# राजस्थान विधान सभा

## ९ वीं बैठक, बृहस्पतिवार, १७ मार्च, सन् १९५५ ई०

**विधान सभा की बैठक सभा भवन, जयपुर में ८ बज कर ४१ मिनिट ( प्रातः ) पर प्रारम्भ हुई**

( श्री नरोत्तम लाल जोशी, अध्यक्ष, पदासीन )

तारांकित प्रश्नोत्तर

प्रश्न संख्या ८४

**सन् १९५४–५५ में जयपुर शहर में अपहरण किए गये बच्चे**

**श्री चांदमल मेहता**—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्नों का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

( १ ) सन् ५४–५५ के वर्ष में जयपुर शहर में कितने बच्चों के अपहरण होने की रिपोर्ट्स पुलिस में दर्ज हुईं ?

( २ ) उक्त बच्चों में से कितने बच्चों का पुलिस द्वारा पता लगाया गया व वे उनके परिवार के व्यक्तियों के सुपुर्द किए गए ?

( ३ ) कितने बच्चे अभी तक लापता हैं ? उनके नाम और उम्र क्या हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास** ( गृह मन्त्री )—( १ ) सन् १९५४–५५ में जयपुर शहर में १३ बच्चों के अपहरण होने की रिपोर्ट्स पुलिस में दर्ज हुईं ।

( २ ) ११ बच्चों का पुलिस द्वारा पता लगा कर उन्हें उनके परिवार वालों के सुपुर्द कर दिया गया ।

( ३ ) केवल दो । उनके नाम हैं कुमारी मानप्यारी, उम्र १३ साल तथा वशिष्ठ कुमार उम्र १३ साल ।

**कुं० श्री जसवन्त सिंह**—इन बच्चों का अपहरण डाकुओं द्वारा किया गया या पुलिस के कर्मचारियों द्वारा ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—न डाकुओं द्वारा और न पुलिस के कर्मचारियों द्वारा ।

**श्री हिम्मत सिंह ( अटरू )**—क्या डाकू जयपुर शहर तक आ गये ?

Page No.2



**श्री रामकिशोर व्यास**—जी नहीं। बहुत से लोग इधर-उधर के आये हुए होते हैं, जो बच्चों को उठा कर ले जाते हैं। (हंसी)

**श्री चांदमल मेहता**—जो बच्चे लापता हैं वे कितने अर्से से हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास**—तारीख तो आपने उनकी पूछी नहीं थी।

**श्री चांदमल मेहता**—इन बच्चों के अपहरण होने का कारण क्या है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—बदमाशों की बदमाशी और कुछ घर वालों की लापरवाही।

**श्री चांदमल मेहता**—बदमाशी करने वाले कितने व्यक्ति इस सम्बन्ध में गिरफ्तार किये गए?

**श्री रामकिशोर व्यास**—जिनके पास से बरामद किया गया है, उनको और जिनको ट्रेस आउट किया गया है उनके खिलाफ मुकद्दमे चले हैं।

**कुं० श्री जसवन्त सिंह**—रेन्सम देकर कितने बच्चे छुड़ाये गये हैं? (हंसी)

**श्री खेतसिंह**—क्या उन बच्चों में से माननीय सदस्य के भी बच्चे थे? (हंसी)

**श्री चांदमल मेहता**—क्या पुलिस की तफ्तीश से बच्चों का क्रय-विक्रय करने वाले किसी गैंग का पता चला है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—किसी रेगुलर गैंग का तो पता नहीं चला।

**श्री चांदमल मेहता**—ईरेगुलर गैंग है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—जो काम करते हैं वह इर्रेगुलर है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या तफतीश के दौरान मे यह जानकारी हुई कि अपहरण करने वाले व्यक्ति बच्चों का क्रय-विक्रय करने के इरादे से उड़ा कर उनको ले गये?

**श्री रामकिशोर व्यास**—इन्डिविज्युअल केसेज़ थे, कोई रेगुलर गैंग तो था नहीं।

**श्री चांदमल मेहता**—बच्चों का अपहरण करने के सम्बन्ध में उनकी मंशा क्या थी?

**श्री रामकिशोर व्यास**—बच्चों को ले जाकर की मंशा थी।

**श्री चांदमल मेहता**—बच्चों को ले जाकर बेचना चाहते थे क्या?

**श्री रामकिशोर व्यास**—हो सकता है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या इस वर्ष में बच्चों के अपहरण की संख्या पिछले वर्ष की बनिस्पत बढ़ी है।

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह अलग प्रश्न है। इसके बारे में जांच करके सूचना दे सकता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ८५**

**छीतर जाट, नरवर, तहसील किशनगढ़ के यहां इस वर्ष हुई चोरी**

**श्री चांदमल मेहता**—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) छीतर जाट, नरवर, त० किशनगढ़ के यहां चालू वर्ष में चोरी किस तारीख को हुई ?

(२) क्या उक्त चोरी में किसी व्यक्ति को गिरफ्तार किया गया ?

(३) यदि हां, तो उक्त व्यक्ति कुचील चौकी में कितने दिन तक रखा गया ?

(४) क्या यह सच है कि कुचील के पुलिस इन्चार्ज के बार बार मांग करने पर भी एस. एच. ओ. किशनगढ़ तफतीश के लिए किशनगढ़ नहीं पहुंचे ?

(५) क्या यह सही है कि गिरफ्तारशुदा व्यक्ति पुलिस कस्टडी से भाग गया ?

(६) यदि हां, तो उक्त व्यक्ति कब भागा और किसकी निगरानी से भागा ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—(१) छीतर जाट के यहां ता० २८–७–५४ को चोरी हुई।

(२) अभी तक इस सम्बन्ध में कोई गिरफ्तारी नहीं हुई।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

(४) जी नहीं, यह असत्य है।

(५) प्रश्न नहीं उठता।

(६) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि छीतर जाट ने सरकार के समक्ष इस प्रकार का आवेदन पत्र पेश किया कि गिरफ्तारशुदा व्यक्ति को रुपये लेकर पुलिस ने छोड़ दिया है ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—मेरे सामने ऐसा कोई आवेदन पत्र पेश नहीं हुआ।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि ऐसा आवेदन-पत्र दाखिल करने की हालत में वहां के सब इन्सपेक्टर का ट्रान्सफर कर दिया गया था जो बाद में उच्च अधिकारियों से मिल कर कैंसिल कराया गया है ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह मुझे मालूम नहीं।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या सरकार जांच करने के लिए तैयार है कि ६ दिन तक वह गिरफ्तार शुदा व्यक्ति चौकी पुलिस कुचील में रहा है और फिर पुलिस वालों ने मिल कर उसे भगाया है ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—कोई आदमी जब गिरफ्तार ही नहीं किया गया है तो फिर भगाने का प्रश्न ही नहीं उठता।

**श्री चांदमल मेहता**—मैं माननीय मन्त्री महोदय के जवाब को चैलेंज करता हूं, गिरफ्तार किया है। मैं उस किसान को ले कर जांच कराने के लिए उच्च अधिकारी के पास उपस्थित हुआ हूं।

**श्री रामकिशोर व्यास**—मेरी इन्फोर्मेशन यह है कि कोई गिरफ्तार नहीं हुआ, आप कहते हैं कि हुआ है तो मैं इसकी जांच कराऊंगा।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या मैं यह मान कर चलूं कि वास्तविक जानकरी सम्बन्धित अधिकारी मन्त्री महोदय को नहीं देते हैं ?

**श्री अध्यक्ष**— नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ८६**

## राजस्थान के निर्माण के पश्चात् किशनगढ़ वेटरनरी विभाग का हैडक्वार्टर

**श्री चांदमल मेहता**— क्या कृषि मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे:

(१) क्या यह सही है कि राजस्थान के निर्माण के बाद किशनगढ़ वेटरनरी विभाग का डिस्ट्रिक्ट हैड क्वार्टर रहा है ?

(२) क्या यह सही है कि इस वर्ष किशनगढ़ स्थित हैड क्वार्टर तोड़ दिया गया है ?

(३) यदि हां, तो क्यों ?

**श्री रामनिवास मिर्धा (कृषि मन्त्री)**—(१) जी नहीं।

(२) डाक्टर इन्चार्ज अस्पताल को ही डिस्पेन्सरीज़ का काम देखने के कारण डिस्ट्रिक्ट वेटरनरीज़ ऑफीसर का नाम दिया; वेतन में कोई फरक नहीं, एक ही है। किशनगढ़ अस्पताल में काम बढ़ने की वजह से यह काम जयपुर अस्पताल के डाक्टर को सौंप दिया गया।

(३) प्रश्न नहीं उठता।

**श्री चांदमल मेहता**—किशनगढ़ के वेटरनरी डाक्टर के मातहत इस नई व्यवस्था के पूर्व कितना क्षेत्र था और नई व्यवस्था से क्या अन्तर आया ?

Page No.5



**श्री रामनिवास मिर्धा**—पहले जो डाक्टर वहां रहता था, डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफीसर कहा जाता था। इसी तरह जयपुर में डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी ऑफीसर था, उसके मातेहत चार पांच डिस्पेन्सरीज़ थीं। नई व्यवस्था के अन्दर यह रखा गया है कि डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर के नीचे दस-बारह डिस्पेन्सरीज़ होनी चाहिये। इस लिहाज से डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर जयपुर में रखा है।

**श्री चांदमल मेहता**—किशनगढ़ में नहीं रखने के क्या कारण हैं, जब कि सरकार ने पुरानी राजधानियों का महत्व रखने के लिए विभागों को बाहर भेजा है।

**श्री रामनिवास मिर्धा**—इसका कारण यह है कि एक डिस्ट्रिक्ट में दो जगह डिस्ट्रिक्ट वेटरनरी हैडक्वार्टर रखना जरूरी नहीं? किशनगढ़ की बजाय जयपुर में हैडक्वार्टर रखना जरूरी है। कई डिस्ट्रिक्ट हैडक्वार्टर ऐसे हैं कि डिविजन भर में एक है; जैसे बीकानेर डिवीज़न में एक है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या इस वक्त डिस्ट्रिक्ट वेटरनेरी हैडक्वार्टर के सम्बन्ध में कोई नया रिऑर्गेनाइजेशन किया है?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—नया रिऑर्गेनाइज़ेशन नहीं किया है, दो-तीन नई तजवीजें मैंने बताई, वह हो गई हैं।

**श्री चांदमल मेहता**—नया रिऑर्गेनाइजेशन करने का मसला सरकार के सामने उपस्थित नहीं था तो किशनगढ़ के लिए ही यह क्यों किया गया?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—केवल किशनगढ़ के लिए ही ऐसा नहीं किया गया, बाड़मेर में भी ऐसा ही किया गया है।

**श्री चांदमल मेहता**—तो सरकार किसी निश्चित आधार पर ऑर्गेनाइज़ करने का विचार भी नहीं करती है?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—ये चेंजेज़ निश्चित आधार पर किये गये हैं।

**श्री चांदमल मेहता**—एक मर्तबा तो माननीय मन्त्री महोदय ने यह कहा है कि नये तरीके से रिऑर्गेनाइज नहीं किया है और दूसरी बार यह फरमाया है कि निश्चित आधार पर किया गया है; तो इन दोनों में से किसको सही समझा जाय?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—मैंने यह कहा कि अभी तक एडहॉक बेसिस पर प्रबन्ध किया गया है। इसका मतलब यह कि वापिस रिऑर्गेनाइज कर रहे हैं और दो-तीन चेंजेज़ बाड़मेर, किशनगढ़ आदि किये गये हैं वह इसलिए किये गये हैं कि हैडक्वार्टर के लिये १० से १२ डिस्पेन्सरीज का होना जरूरी है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि किशनगढ़ के आस-पास पांच डिस्पेन्सरीज़ मौजूद हैं और दूसरी जयपुर डिस्ट्रिक्ट में आती हैं, वे अधिक हैं। इस दृष्टिकोण को मद्देनजर रखते हुए मैं यह कहूंगा कि यह ज्यादा उपयुक्त हो सकता है।

**श्री जवानसिंह**—क्या वहां पर कोई विशेष सुविधा है ?

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट ।

**प्रश्न संख्या ८७**

**एन्टी करप्शन विभाग द्वारा सन् ५४-५५ में पकड़े गये मामले**

**श्री चांदमल मेहता**—क्या गृह मन्त्री निम्न प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(१) एन्टी करप्शन विभाग द्वारा सन् ५४-५५ के वर्ष में कुल कितने केसेज़ पकड़े गये ?

(२) उक्त केसेज़ में कितने जेर तफतीश पुलिस हैं, कितने कोर्ट में चल रहे हैं और कितने फैसल हो चुके हैं ?

(३) जो केसेज़ फैसल हो चुके हैं उनमें कितने मामलों में मुलजिमों को सजा हुई और कितने केसेज़ में मुलजिम बरी कर दिये गये हैं ?

(४) बरी किये जाने वाले कौन कौन व्यक्ति हैं और उनके खिलाफ कितनी कितनी रकम रिश्वत में लेने के जुर्म थे ?

(५) गजटेड ऑफिसर्स कितने हैं, जिनके खिलाफ एन्टीकरप्शन डिपार्टमेंट द्वारा केस चालान किये गये हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—(१) एन्टीकरप्शन विभाग द्वारा १ अप्रेल, १९५४ से अब तक कुल ४७ केसेज़ पकड़े ।

(२) इनमें से ३८ केसेज़ जेर तफतीश पुलिस हैं, ६ कोर्ट में चल रहे हैं तथा १ फैसल हो चुका है ।

(३) किसी को भी सजा नहीं हुई । एक केस का फैसला हुआ है जिसमें मुलजिम बरी हुआ है ।

(४) बरी हुए व्यक्ति का नाम उम्मेदसिंह था जो पटवारी पोसालिया, जिला सिरोही में था । इसके ऊपर २०) रुपया रिश्वत लेने का अभियोग था ।

(४) केवल एक ।

**श्री चांदमल मेहता**—जो व्यक्ति एन्टीकरप्शन में पकड़े गये उनमें गजेटेड आफिसर कितने थे ।

**श्री रामकिशोर व्यास**—एक ।

**श्री श्रीदास गोयल**—क्या एन्टीकरप्शन के केसेज़ नॉन बेलेबल होते हैं ।

# Page No.7



**श्री अध्यक्ष** – It is a matter of law.

**श्री श्रीदास गोयल** – जब रेड हैन्डैड पकड़े जाते हैं तो भी उनको उसी वक्त क्यों छोड़ दिया जाता है ?

**श्री अध्यक्ष** – But that is not the jurisdiction of this House. This is for the Court.

**श्री श्रीदास गोयल** – सरकार की तरफ से एन्टीकरप्शन वाले पकड़ते हैं और उनको वहीं छोड़ देते हैं, क्या यह सही है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** – छोड़ना और न छोड़ना कोर्ट का काम है।

**श्री श्रीदास गोयल** – जब किसी डिपार्टमेंट का आदमी पकड़ा जाता है तो यह जरूरी है कि उसको गिरफ्तार किया जावे।

**श्री रामकिशोर व्यास** – जरूरी नहीं है।

**श्री श्रीदास गोयल** – नॉन वेलेबल केसेज़ में कौन गिरफ्तार करता है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** – पुलिस वाले कार्यवाही करेंगे।

**श्री श्रीदास गोयल**—पुलिस वालों को पकड़ना चाहिये।

**श्री अध्यक्ष** – That is not the question. The Hon'ble Member will seek information and not argue the cases here.

**श्री श्रीदास गोयल** – क्या माननीय मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे कि जब किसी व्यक्ति को रिश्वत लेते पुलिस पकड़ती है तो उसकी गिरफ्तारी के सिलसिले में क्या कार्यवाही करनी चाहिये ?

**श्री अध्यक्ष** – That is a matter of procedure.

**श्री श्रीदास गोयल**—अगर इस प्रोसीजर की कोई खिलाफ वर्जी करता है तो उसके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाती है या नहीं।

**श्री रामकिशोर व्यास**—जरूर।

**श्री श्रीदास गोयल**—खान्डार में एक व्यक्ति रंगे हाथ रिश्वत लेते पकड़ा गया और कोई कार्यवाही नहीं हुई।

**श्री रामकिशोर व्यास**—कार्यवाही जरूर की गई होगी, इसके लिये आप अलग प्रश्न करें तो जवाब दिया जावेगा।

**श्री श्रीदास गोयल**—ये ४७ केसेज़ कब से कब तक पकड़े गये ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—एक अप्रेल सन् १९५४ से।

**श्री चांदमल मेहता**—आपने जो जेर तज़वीज़ केसेज़ की बात बताई, जेर तज़वीज़ केसेज़ में पुराने से पुराना केस कब का है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—तारीख नहीं बता सकता कि कब का है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि उन केसेज़ को दबाने के लिये ये जेर तज़वीज़ केसेज़ दबाये जाते हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह बात नहीं हैं। सी. एस. आर. के अनुसार जो केसेज़ होते हैं उनको डिपार्टमैंट को रेफर करते हैं और चालान करने से पहले रेफर करना बहुत जरूरी होता है।

**श्रीचांदमल मेहता**—ऐसे कितने केसेज़ हैं जिसमें रिश्वत के मामलों में लोग रेड हैंडेड पकड़े गये हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास**—आप इस संबन्ध में अलग प्रश्न पूछें।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि मामलों को दबाने के लिये केसेस को चलाते रहते हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास**—मैंने यह अर्ज किया कि जिस डिपार्टमेंट से वह केस कन्सर्न्ड होता है उसको रेफर किया जाता है और उसमें देर लग जाती है।

**श्री चांदमल मेहता**—रेड हैंडेड पकड़े जाने के बाद भी इतनी देर क्यों? क्या इस प्रोसेस में परिर्वतन करने का विचार कर रही है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—सरकार सोच रही है।

**श्री चांदमल मेहता**—कब से सोचना शुरू किया है और कब तक सोचती रहेगी?

**श्री रामकिशोर व्यास**—पिछले एक महीने से सोचना शुरू किया है।

**श्रीचांदमल मेहता**—एक व्यक्ति जिसको रेड हैंडेड पकड़ा गया उसको भी बरी किया गया क्या?

**श्री रामकिशोर व्यास**—बरी जरूर हुआ और वह अदालत से बरी हुआ?

**श्रीचांदमल मेहता**—में जानना चाहूंगा कि जो बरी हुआ, वह वास्तव में पुलिस की लापरवाही से हुआ या वह निर्दोष था?

**श्री रामकिशो व्यास**—अदालत ने उसको निर्दोष करार दिया।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या एक व्यक्ति जो बरी हुआ वह पुलिस की ढिलाई से हुआ?

# Page No.9



**श्री रामकिशोर व्यास**—अदलात ने उसके खिलाफ जो सबूत था वह काफी नहीं समझा।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या पुलिस की ओर से इस मामले में ढिलाई दिखाई और उस कारण वह बरी हुआ ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—जो सबूत पुलिस ने पेश किया उसको अदालत ने काफी नहीं समझा।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या आयन्दा अदालत के दृष्टिकोण के अनुसार गौर करेंगे ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—जरूर करेगी (सरकार)।

**श्री जवानसिंह**—क्या इस संबन्ध में मजिस्ट्रेटों से पूछेंगे ?

**श्री किशनलाल शाह**—एन्टीकरप्शन वाले तुरन्त घटना पर पहुंचते ही उनको गिरफतार नहीं करते। क्या विभाग को इस संबन्ध में आवश्यक आदेश देने की सरकार कृपा करेगी ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—जानकारी पूरी जरूर करते हैं।

**श्री रामकिशोर व्यास**—क्या यह सही है कि एन्टीकरेप्शन वालों के खिलाफ जो कोई शिकायत होती है उसकी कोई जांच नहीं करते।

**श्री रामकिशीर व्यास**—यह सही नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ८८**

## राजस्थान में डाकुओं की समाप्ति के हेतु आधुनिक रीति

**श्री जवानसिंह**—Will the Minister for Home be pleased to state:—

(a) What new Technical methods have the Government adopted to fight the dacoits in Rajasthan ?

(b) Is it a fact that most of the persons who are notorious dacoits are so due to poverty rather than heredity ?

(c) Is the Government contemplating to adopt the 'Sankra Experiment' in Rajasthan in order to convert these Criminal Tribes into civilians ?

(b) Is it a fact that these dacoits generraly loot the rich people and help the poor.

(e) Has the Government ever thought of an 'all out' effort to fight the dacoits ? If so, with what results ?

**श्री रामकिशोर व्यास** ( गृह मंत्री )—क. सरकार ने डाकुओं से लड़ने तथा उनको पूरी तरह समाप्त करने के लिये पुलिस को आधुनिक शस्त्रों से सुसज्जित कर दिया है। इसके अतिरिक्त वायरलेस तथा शीघ्र आवागमन के साधन भी दे दिये हैं।

ख. जी नहीं।

ग. यह विषय सरकार के विचाराधीन है।

घ. यह सत्य है कि डाकू अमीरों को लूटते हैं किन्तु ग़रीबों को मदद करते हों, इसका कोई उदाहरण सामने नहीं आया।

च. जी नहीं। यह असत्य है।

छ. सरकार हमेशा डाकुओं को समाप्त करने के लिये प्रयत्नशील है। अपराधों की रोक-थाम तथा अपराधियों की गिरफ्तारी के लिये समग्र योजनायें चालू हैं जिनका यह नतीजा हुआ है कि आज–कल डकैतियों की संख्या जो सन् १९५२ में ३५६ थी, वह सन् १९५४ में केवल ९६ रह गई हैं।

**कु० श्री जसवन्तसिंह**–माननीय अध्यक्ष, मैं यह जानना चाहूंगा कि प्रश्न ८८ ए में डेकोइट्स से फाइट करने के लिये टेक्निकल मेथड्स का प्रश्न है, उसका उत्तर आपने दिया। नॉन टेक्निकल मेथर्ड्स कौन कौन से हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—Wireless वगैरह।

**श्री जवानसिंह**--With regard to my question part (c)-"whether any decision by the Government has been taken to adopt the Sankra experiment in the whol of Rajasthan," has not been answered ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—मैंने कहा कि वह विषय विचाराधीन है। यह (सी) में है।

**श्री जवानसिंह**—Whether the Sankra experiment has been adopted by the Rajasthan Government anywhere else ?

**श्री घीसीसिंह**—पुलिस को जब सुपुर्द कर दिये तो अलवर से सीतारामजी को किस तरह से उठा ले गये ? ( हंसी )

**श्री श्रीदास गोयल**—सीतारामजी बनिये वापिस भी आ गये या नहीं ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—जी नहीं।

**कुंवर श्री जसवन्तसिंह**—क्या इसमें टेक्निकल मेथड उपयोग में नहीं लाया गया ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—बावजूद इसके हो गया।

कुंवर श्री जसवन्तसिंह—टेक्निकल मेथड्स इनएफिसियेन्ट साबित होते हैं।

श्री रामकिशोर व्यास—जी नहीं, टोटल्ली साबित नहीं होते हैं।

एक सदस्य—टेकनिकल और नॉन टेकनिकल में क्या फर्क है?

श्री रामकिशोर व्यास—डिक्शनेरी मुलाहिज़ा फरमा लीजिये।

एक सदस्य—यह मंत्रीजी का जवाब सुनाई नहीं देता।

श्री अध्यक्ष—Next question.

प्रश्न संख्या ८६

सरकार द्वारा कृष्णावती नदी बांध बांधने की योजना

श्री जवानसिंह—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या सरकार ने कृष्णावती नदी पर बन्ध बनाने की योजना बनाई है?

(ख) अगर हां, तो उस ओर अभी तक क्या प्रगति हुई है?

(ग) क्या सरकार बन्ध बनाने का काम सन् १९५५-५६ में शुरु कर देगी?

श्री रामनिवास मिर्धा—(सिंचाई मन्त्री)

(क,ख) अभी योजना तैयार नहीं हुई है, जांच-पड़ताल जारी है।

(ग) जांच करने के बाद में अगर योजना ठीक पायी गयी और रुपयों का प्रबन्ध हो सका तो शुरू कर दिया जावेगा।

श्री जवानसिंह— जांच की क्या सुविधायें हैं?

श्री रामनिवास मिर्धा—एक सबडिविज़न के इन्वेस्टिगेशन एंड सर्वे का वहां काम कर रहा है।

श्री जवानसिंह—'वहां' से कहने का मतलब?

श्री रामनिवास मिर्धा—जिस इलाके की आप बात कर रहे हैं।

श्री जवानसिंह—कितना अर्सा हो गया सर्वे करते हुए?

श्री रामनिवास मिर्धा—इसके साथ साथ दो तीन योजनाएं हैं उनकी सर्वे हो जायगी तो योजना बन जायगी।

**श्री जवानसिंह**—क्या यह समझा जाय कि विशेष नदी-घाटी योजना का सर्वे इस वक्त हो रहा है ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—जिस योजना के बारे में प्रश्न किया है उसकी निश्चिततया जांच हो गई है ।

**श्री जवानसिंह**—इस वक्त हो रही है क्या मैं यह मानूं......

**श्री अध्यक्ष**—At this particular moment ?

**श्री जवानसिंह**—At present-I mean these days.

**श्री रामनिवास मिर्धा**—जो सर्वे का काम हो रहा है उसमें तीन-चार योजनायें दी गई थीं, उनमें आपकी योजना शामिल है या नहीं, मैं निश्चित नहीं कह सकता ।

**श्री जवानसिंह**—क्या यह माना जाय कि जो सरकार योजनायें भेजती हैं उन्हीं के लिए सर्वे होता है ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—उनके लिए और बाद में और जो सामने आती हैं उनके लिए भी सर्वे होता है ।

**श्री जवानसिंह**—क्या कारण है कि कृष्णाघाटी नदी योजना की सर्वे पहले हो गई है और उसके बाद में टिकड़ी नदी की सर्वे हुई और उसका बजट में जिक्र आ गया लेकिन इस नदी का सर्वे हो जाने के बावजूद भी बजट में जिक्र नहीं आया है ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—आपने दूसरी योजना की बात कही है । वह दूसरा अलग प्रश्न है ।

**श्री जवानसिंह**—क्या यह समझा जाय कि सैंक्शन आये तब सरकार विचार करेगी ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—इस योजना की सैंक्शन दूसरों पर निर्भर नहीं है । उसका सर्वे खत्म होने पर विचार किया जावेगा ।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट क्वेश्चन ।

**प्रश्न संख्या ६०**

## सिरोही तहसील में सरकार द्वारा बन्ध बनाने की योजनायें

**श्री जवानसिंह**—क्या सिंचाई मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) सिरोही तहसील में सरकार ने कहां कहां बन्ध बनाने की योजनायें तैयार की है ?

(ख) उपरोक्त तहसील में जहां बन्ध नहीं बनाये जा सकते, वहां सिंचाई के लिये सरकार क्या कदम उठा रही है ?

श्री रामनिवास मिर्धा ( सिंचाई मन्त्री )—(क) सिरोही तहसील में कृष्णावती नदी पर बांध बनाने की जांच-पडताल जारी है।

(ख) माइनर तथा मीडियम सिंचाई के साधन उपस्थित करने के लिए जांच की जा रही है।

श्री अध्यक्ष—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री जगतसिंह झाला।

**प्रश्न संख्या ६१**

**कालिया नामक कुख्यात डाकू की पुनः गिरफ्तारी पर पुरस्कार**

श्री जगतसिंह झाला—क्या गृह मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(अ) क्या यह सच है कि कालिया नाम के कुख्यात डाकू को जो छोटी सादड़ी की जेल तोड़कर फरार हो गया था वापिस गिरफ्तार कर लिया गया है ?

(आ) इसे कहां किस प्रकार से गिरफ्तार किया गया ?

(इ) क्या यह सच है कि इसे गिरफ्तार करने वालों को कुछ इनाम देने की घोषणा की गई थी किन्तु उन्हें वह अब तक नहीं मिला है ?

श्री रामकिशोर व्यास ( गृह मंत्री )—(क) जी हां, यह सत्य है। कालिया ता० २७-१०-५३ को प्रतापगढ़ जेल तोड़ कर भाग गया था जो पुनः १३-३-५४ को गिरफ्तार कर लिया गया।

(ख) चौकी मुन्जवा में ता० १३-३-५४ को सूचना मिली कि डाकू कालिया तथा भेरिया ग्राम पारसौली शराब लेने गये हैं। उस समय दो सिपाही चौकी पर मौजूद थे। उनमें से एक पुलिस स्टेशन बड़ी सादड़ी की ओर आवश्यक शक्ति प्राप्त करने गया तथा दूसरा कुछ ग्राम वासियों को लेकर जहां डाकू गये थे वहां गया। एस० एच० ओ० बड़ी सादड़ी ने भी कुछ सिपाहियों को ले कर डाकुओं का पीछा किया। डाकुओं ने पुलिस का सामना होते ही अपनी टोपीदार बन्दूक से गोली चलाई। इस पर उन दोनों सिपाहियों ने डाकुओं पर आक्रमण किया तथा उनको पकड़ कर गिरफ्तार कर लिया।

(ग) इस डाकू को गिरफ्तार करने वालों को इनाम दिये जाने की घोषणा हुई थी तथा घोषित इनाम बांट दिये गये हैं।

श्री श्रीदास गोयल—क्या इनाम दिया गया है साहब ?

श्री रामकिशोर व्यास—जी साहब।

श्री श्रीदास गोयल— उन्हें कोई इनाम दिया गया है क्या ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—बहुतसे आदमियों को दिया गया है।

**श्री श्रीदास गोयल**—उन कॉन्स्टेबल्स को क्या इनाम दिया गया ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—सब इन्सपेक्टर ५१)
कॉन्स्टेबल्स ६१)

**श्री जवानसिंह**—इस मुठभेड़ में पब्लिक का आदमी मारा जाता तो सरकार क्या इनाम देती ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह उस वक्त सोचते।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री सज्जनसिंह।

**प्रश्न संख्या ६२**

**श्री अध्यक्ष**—श्री जगतसिंह झाला।

( प्रश्नकर्ता अनुपस्थित-कृपया परिशिष्ट १ देखिये )

**प्रश्न संख्या ६३**

**बड़ी सादड़ी के तालाबों पर व्यय**

**श्री जगतसिंह झाला**—क्या कृषि मंत्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) क्या यह सच है कि तहसील बड़ी सादड़ी, जिला चित्तोड़गढ़, में नये तालाब बनाने तथा पुरानों की मरम्मत करने के कार्यों पर कुछ भी खर्चा सरकार द्वारा नहीं किया गया ?

(ख) क्या सरकार अब भी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में यहां पर तालाब निर्माण के कार्य पर कुछ खर्चा करने का विचार रखती है ?

**श्री रामनिवास मिर्धा** (कृषिमंत्री )—इस तहसील में सब तालाब जागीर के हैं, इस कारण से कोई खर्चा नहीं किया गया है ?

**श्री जगतसिंह**—क्या जागीर के तालाबों को ठीक करने का सरकार का जिम्मा नहीं है ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—जागीर पुनर्ग्रहण के बाद तालाब सरकार के आधीन हो जावेंगे तो योजना बनाई जवेगी।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट क्वेश्चन, श्री गुरदयालसिंह सन्धु।

# Page No.15



### प्रश्न संख्या ६४

### गंगानगर जिले में किसान--आन्दोलन में भाग लेने वाले व्यक्तियों पर चलने वाले मुकदमे वापिस लेना

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) गंगानगर जिले में किसान–आन्दोलन में भाग लेने के कारण लोगों के विरूद्ध जो मुकदमे चल रहे हैं उनको क्या सरकार वापिस लेने को तैयार है ?

(ख) यदि हां, तो कब तक ?

**श्री रामकिशोर व्यास** (गृह मंत्री)—

(क) गंगानगर जिले में किसान–आन्दोलन के सम्बन्ध में चल रहे मुकदमे दो के अतिरिक्त बाकी सब तय हो चुके हैं। ये दो मुकदमें अदालत में चल रहे हैं।

(ख) सरकार का इन मुकदमों को वापिस लेने का अभी तक कोई विचार नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट क्वेश्चन।

### प्रश्न संख्या ६५

### नवम्बर, १६५४ में गंगानगर जिले के कुछ काँस्टेबलों को हैडकाँस्टेबल बनाना

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु**—क्या गृह मंत्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

(क) नवम्बर, १६५४ में गंगानगर जिले में कितने सिपाहियों को हैड काँस्टेबल बनाया गया ?

(ख) जिन लोगों को हैड काँस्टेबल बनाया गया है उनके नाम क्या हैं ? उनकी शिक्षा सम्बन्धी और दूसरी योग्यतायें क्या हैं ?

(ग) सीनियोरिटी लिस्ट पर उनके नाम कितने नम्बर पर हैं ?

(घ) उनको इतनी बड़ी रियायतें देने का क्या कारण है ?

**श्री रामकिशोर व्यास** ( गृह मंत्री )--

(क) गंगानगर जिले में नवम्बर १६५४ में एक काँस्टेबल को हैड काँस्टेबल बनाया गया है ?

(ख) इसका नाम रामेश्वर काला है। इसने मिडिल परीक्षा पास कर ली है। यह योग्य तथा कार्यपरायण है।

# Page No.16



[ श्री रामकिशोर व्यास ]

(ग) गंगानगर जिले की सीनियोरिटी लिस्ट अभी तैयार नहीं हुई है।

(घ) तरक्की के लिए शिक्षा, कार्यपरायणता एवं योग्यता देखी जाती है। इन्हीं चीजों को देखते हुए रामेश्वर को हेड कॉस्टेबल बनाया गया है?

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु**——इसकी सर्विस कितने अर्से की है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह तो मैं निवेदन नहीं कर सकता।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु**—क्या यह सच है कि इसकी सर्विस तीन महीने होते हुए भी एक एम. एल. ए. का रिलेटिव होने के कारण यह प्रोमोशन मिला?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु**—क्या सरकार जांच कराने के लिए तैयार है कि सबसे जूनियर होते हुए भी इसको सीनियर कर दिया गया?

**श्री रामकिशोर व्यास**——मैंने अर्ज किया कि सिनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी थी। मिडिल पास है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—जब सीनियोरिटी लिस्ट नहीं बनी है तो प्रोमोशन किस आधार पर किया गया?

**श्री रामकिशोर व्यास**—मैंने पहले निवेदन किया कि कार्यपरायणता और शिक्षा के आधार पर।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—क्या यह सही है कि प्रोमोशन में सिनियोरिटी को भी एक अंश माना जाता है, सरकार के कायदे के माफिक?

**श्री रामकिशोर व्यास**—हां, उस पर गौर किया जाता है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—फिर इस मामले में, सिनियोरिटी के मामले में इतना दुर्लक्ष्य क्यों किया जा रहा है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—गंगानगर जिले में आन्दोलन चला। देरी होगई लिस्ट बनने में। अब जल्दी से जल्दी बनाई जा रही है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—क्या यह स्पेशल कंसीड्रेशन है और केवल एक आदमी के लिए ही किया गया है या गंगानगर जिले में आम प्रोमोशन किये हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह अलग सवाल हैं। डिस्ट्रिक्ट ऑफिसर ने रिकमन्ड किया और प्रोमोशन दिया गया।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—कितने प्रोमोशन्स हुए, पूछने पर उत्तर में बताया कि एक हुआ। तो क्या एक ही एन्टाइटल्ड था ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह कांस्टेबल २८ जून, १९५३ को एपॉइन्ट हुआ था।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—इस प्रोमोशन के विरोध में कितने व्यक्तियों ने पिटिशन्स दी हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह अलग से सवाल है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—जितने भी लोग एन्टाइटल्ड थे उन सबके प्रोमोशन के सवाल को एक साथ लिया गया या इसी एक केस पर अलग से विचार किया गया ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—सबको ठीक नहीं समझा गया।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—यह निर्णय लेते समय कितने लोगों के प्रोमोशन को कन्सीडर किया गया और किन किन को एन्टाइटल्ड समझा गया और किसका सिलेक्शन हुआ ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—उसी कॉन्स्टेबल का।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—इनका प्रिलिमिनरी सिलेक्शन किस आधार पर हुआ ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—डिस्ट्रिक्ट एस० पी० इस बात को रिकमन्ड करता है।

**कु० श्री जसवन्तसिंह**—गंगानगर डिस्ट्रिक्ट में क्या सिवाय इस एक के कोई हैड कॉन्स्टेबल का स्थान खाली नहीं है ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—अभी कोई नहीं है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या यह सही है कि किसी एम० एल० ए० के रिश्तेदार होने के कारण उनको हैड कॉन्स्टेबल बनाया गया है ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—किसी एम० एल० ए० का रिश्तेदार है, ऐसा मुझे पता नहीं किन्तु सब के साथ समान बर्ताव किया जाता है।

**श्री चांदमल मेहता**—कॉन्स्टेबल से हैड कान्स्टेबल बनाने के लिये कोई क्राइटेरिया मुकर्रर है क्या ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—इसमें उनकी शिक्षा और कार्य-परायणता देखी जाती है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या इसके लिये कितनी योग्यता, कितनी सर्विस हो जब ही कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल बनाया जा सकता है, इस प्रकार के कोई नियम हैं क्या ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—पुलिस में प्रोमोशन के लिये कई प्रकार की बाते देखी जाती हैं। मान लिजिये किसी ने अच्छा काम किया तो उसकी कम सर्विस होते हुए भी उसको तरक्की दी जा सकती है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि ऐसे व्यक्ति जो मैट्रिकुलेट हैं और जो ट्रेन्ड भी हैं उनको कॉन्स्टेबल्स से हैड कॉन्स्टेबल्स नहीं बनाया जाता है क्योंकि उनके पास सिफारिश नहीं है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह तो जनाब का ख्याल है।

**श्री चांदमल मेहता**—माननीय मन्त्री महोदय के सामने यदि ऐसी मिसालें पेश की जांय कि जो मैट्रिकुलेट हैं, आर्म्ड ट्रेन्ड और जिनकी काफी सर्विस भी है, क्या उनको कॉन्स्टेबल से हैड कॉन्स्टेबल्स बनाने के लिए तैयार हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास**—आप नोटिस में लाइये, अगर योग्य होंगे तो बनाये जा सकते हैं।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

## प्रश्न संख्या ९६.

## रेवदार तहसील में लघु सिंचाई योजना प्रारम्भ करने के हेतु सर्वे

**श्री मोहब्बतसिंह**—Will the Minister for Irrigation be pleased to state :—

Whather the area of Reoder Tehsil in Sirohi District, where the rivers flow throughout the year, has been surveyed for purpose of starting minor irrigation works there?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—अभी तक कोई सर्वे नहीं कराई गई।

**श्री मोहब्बत सिंह**—दो साल पहले सरकार की तरफ से यह आश्वासन दिया गया था कि सर्वे जल्दी से जल्दी कराई जायगी तो अब तक क्यों नहीं करवाई गई?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—वह आश्वासन अब भी जारी है।

**श्री मोहब्बत सिंह**—सरकार द्वारा जो आश्वासन दिये जाते हैं उनके पूरे होने की अमूमन मियाद कितनी होती है?

**श्री अध्यक्ष**—Five years.

## प्रश्न संख्या ९७

## गंगानगर जिले में अप्रेल ५२ से फरवरी, १९५५ तक हथियारों के लिए लाइसेन्स

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु**—क्या गृह मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

[ श्री गुरदयालसिंह सन्धु ]

(क) गंगानगर जिले में १ अप्रेल, १९५२ से लेकर २८-२-५५ तक कितने हथियारों के लाइसेन्स लेने के लिए दरख्वास्तें पेश हुईं ? उनमें से कितनी मन्जूर हुईं और कितनी नामन्जूर हुईं और कितनी विचाराधीन हैं ?

(ख) आज तक कितने लाइसेन्स जारी हुए ? क्या प्रत्येक प्रार्थना-पत्र कितनी ही बार सब इन्स्पेक्टर पुलिस, डिप्टी सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, सुपरिन्टेन्डेन्ट पुलिस, तहसीलदार, एस० डी० ओ० और क्लेक्टर के सामने पेश होता है ?

(ग) इतना टेढा नियम बनाने की क्या आवश्यकता थी ?

(घ) क्या यह सच है कि भारत की सीमा पर जिला गंगानगर में हथियारों की कमी होने के कारण रोज की वारदातें हो रही है ?

श्री **रामकिशोर व्यास**—(क) गंगानगर जिले में ता० १-४-५२ से ता० २८-२-५५ तक १३,७५० हथियारों के लाइसेन्स के प्रार्थना-पत्र पेश हुए। इनमें से ३९५ मन्जूर हुए एवं ३,२५२ नामन्जूर हुए तथा बाकी विचाराधीन हैं। ६,६०६ जो टोपीदार बन्दूकों के लिए, उन पर अभी तक लाइसेन्स देने की आवश्यकता नहीं थी।

(ख) आज तक ३९५ लाइसेन्स जारी हुए। इस बात का कोई रेकॉर्ड नहीं रखा जाता।

(ग) यहां पर आर्म्स रूल्स लगाते समय लोगों के पास पहले ही हथियार थे, इसलिए कुछ दिक्कत पड़ रही है।

(घ) जी नहीं, यह सत्य नहीं है। सेन्सस के समय गंगानगर में १३,४१७ हथियार पाये गये थे।

श्री **अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

**प्रश्न संख्या ९८**

## सिरोही मोटर सर्विस को दी गई बसों में से एक बस सरकार द्वारा लेने सम्बन्धी

श्री **मोहब्बतसिंह**—Will the Minister for Transport be pleased to answer :

(a) Whether the Government has taken or propose to take back one new and big bus out of those which were allotted to Sirohi Motor Service last year in summer ?

(b) If so, what are the specific reasons for taking back this new bus from this concern ?

[ श्री मोहब्बतसिंह ]

(c) What is the total number of buses with this concern and how much are needed for the efficient working of this concern ?

(d) How many buses are there which are old and unserviceable ?

श्री **रामनिवास मिर्धा** (सिंचाई मन्त्री) – जी हां। सरकार का सिरोही मोटर सर्विस से एक नई बस वापिस लेने का इरादा है। इसका कारण यह है कि इस समय वहां १३ नई बसें हैं जिनमें से सर्विस चलाने के लिये १० बसें ही काफी हैं और ८ पुरानी बसों में से भी पांच सर्विस में चलाने के काम में लायेंगे।

**श्री मोहब्बतसिंह** – क्या यह सही है कि बस वहाँ से मंगा भी ली गई है।

**श्री रामनिवास मिर्धा** – जी हां, आ गई है।

**श्री मोहब्बतसिंह** – क्या यह सही है कि जो मंगाने का हुक्म सरकार ने दिया इसमें जिलाधीश महोदय को नहीं पूछा गया ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**–जिलाधीश के सलाह मशविरे से ही यह काम हुआ है।

**श्री मोहब्बतसिंह**–ऑटोमोबाइल इन्जीनियर राजस्थान गेरेज को भेजा गया जो वहां १०-१२ रोज तक वहां रहे और जिलाधीश ने सरकार से निवेदन किया कि वहां बसों की संख्या पर्याप्त नहीं होने से वह बस नहीं हटाई जा सकती ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**–हां, यह ठीक है कि ऑटोमोबाइल इन्जीनियर वहां गये और कुछ रोज उनको वहां रहना पड़ा और कई वजुहात थे जिसके कारण वे बस को यहां रवाना नहीं कर सके।

**श्री मोहब्बतसिंह**–वे वजुहात कौन से थे ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**–माननीय सदस्य का एतराज।

**श्री मोहब्बतसिंह**–माननीय जिलाधीश का इस सम्बन्ध में एतराज था या नहीं ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**–जी नहीं।

**श्री मोहब्बतसिंह**–जिलाधीश का एतराज है कागजों पर कि यहां बसों की संख्या पर्याप्त नहीं है। इसलिये माननीय मन्त्री ने जो जवाब दिया है वह सही नहीं है।

**श्री खेतसिंह**—प्रश्नकर्ता महोदय को बसों में खास तौर से इन्टरेस्ट दिखाई देता है ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**–इसीलिये तो १०–१२ दिन की देरी हुई है।

**श्री जवानसिंह**–क्या यह बात सही है कि इस बस को केवल इसलिये यहां पर मंगाया गया है

[ श्री जवानसिंह ]

कि कोटा के किसी माननीय सदस्य को राजी किया जा सके और कोटा में नई बस सर्विस शुरू की जा सके ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**–असलियत यह है कि सरकार ने जयपुर और कोटा के बीच नई सर्विस शुरू करने का निश्चय किया है। यहां से रूट बहुत लम्बा है इसलिये नई बस की आवश्यकता थी और सिरोही में रूट छोटा है और बसों की संख्या भी काफी है।

**श्री मोहब्बतसिंह**—क्या सरकार के पास पर्याप्त धनराशि है कि स्टेट ट्रान्सपोर्ट चलाया जाय ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—यह तो प्रश्न नहीं उठता।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—क्या सरकार ने जो ५१ में छः बसें खरीदी थीं उनको क्या इस काम के लिये योग्य नहीं समझा गया ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—वे ही सिरोही भेजी गई थीं, उन्हीं में से एक वापस मंगाई जा रही है।

**श्री मोहब्बतसिंह**—नई बसें जो भेजी थीं, वहां की जरूरत का ख्याल में रखते हुए ही भेजी गई थीं या आवश्यकता से अधिक ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—अब जो जरूरत पैदा हुई है वह उससे ज्यादा है।

**श्री जवानसिंह**—यह जरूरत इसलिये हुई है कि एक मन्त्री वहां से आते हैं और वहां से जनता को यहां आने के लिये पर्याप्त धनराशि व्यय करके स्टेट ट्रान्सपोर्ट चलाने की सरकार की इच्छा रखी रहती है।

**श्री रामनिवास मिर्धा**–जी नहीं।

### प्रश्न संख्या ६६

### गंगानगर नहरी क्षेत्र में सरकार की ओर से पेय जल की सुविधाएं

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सिंचाई मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगेः

(क) गंगानगर नहरी क्षेत्र में सरकार की ओर से पीने के पानी के लिए क्या सुविधायें दी गई हैं ?

(ख) क्या कोई ऐसा गांव है जहां सरकार ने पीने के पानी की व्यवस्था की हो ?

(ग) क्या यह सच है कि पिछले सालों में पीने के पानी की पक्की डिग्गियों पर नहर विभाग द्वारा हजारों रुपये तावान के वसूल किये गये ?

[ श्री गुरुदयालसिंह ]

(घ) यदि हां, तो क्या सरकार नहरी क्षेत्र के गांवों में पीने के पानी के लिए सहायता देने और डिग्गियों पर लग रहे तावान को बन्द करने का विचार रखती है ?

**श्री रामनिवास मिर्धा** ( सिंचाई मन्त्री )—

(क) नहरी क्षेत्र में हर गांव को पीने के लिए पानी बारी व सांझे से दिया जाता है ।

(ख) नहरी क्षेत्र के हर गांव को पीने के लिये पानी बारी से दिया जाता है; और जो बारनी गाँव जो नहर के पास पड़ते हैं उनको भी आवश्यकतानुसार नहर से पानी पीने के लिये दिया जाता है जैसे लालगढ़ आदि आदि ।

(ग) पक्की मन्जूर शुदा पीने के पानी की डिग्गियों पर कोई तावान नहीं किया गया है ।

(घ) यह सही नहीं है ।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु**—सरकार द्वारा जिन गांवों को पानी देने के लिये कहा गया है उनमें से किसी गांव को भी पानी नहीं दिया जाता है ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—यह तो मैंने मिसाल की तौर पर बताया है ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या सरकार इस बात की जांच कराने के लिए तैयार है कि एक भी गांव को पीने के लिये पानी नहीं दिया जाता है ।

**श्री रामनिवास मिर्धा**—जी हां ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—क्या यह सही है कि नहरी इलाके के किसी भी गांव को पानी नहीं दिया जाता है ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—जोड़ों और डिग्गियों को पानी दिया जाता है । बारी बारी से दिया जाता है । यहां तक कि बारानी इलाके को पानी दिया जाता है ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—मैं तो नहरी क्षेत्र के लिये कह रहा हूं । नहरी क्षेत्र के एक भी गांव को पीने के लिये पानी दिया जाता है क्या ? इस बात की जांच कराने के लिए तैयार है क्या सरकार ?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—जी हां, जांच करायेगी ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—ऐसी भी मिसालें दे सकता हूं जहां पर लोगों के ऊपर जुर्माना किया गया क्योंकि उन्होंने बिना इजाजत पीने के लिये पानी ले लिया ।

**श्री रामनिवास मिर्धा**—बगैर इजाजत अगर लेते हैं तो जुर्माना लिया जाता होगा ।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—तो इससे यह समझा जा सकता है कि पीने के लिए पानी नहीं मिलता ।

**श्री रामनिवास मिर्धा**—ऐसा समझना गलत होगा। गांव की जो सामूहिक डिग्गियां है जिनके लिए बारी बन्धी हुई है वहां सबको बारी बारी से पानी दिया जाता है। बारी तोड़कर अगर कोई पानी लेता है तो उस पर जुर्माना हो सकता है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—सरकार पानी की बारी किसको कहती है और क्या वह गवर्नमेंट रेन्ट एक्स्ट्रा सप्लाई होता है उस पर लिया जाता है या अपनी जमीन के पानी की बारी में से लेने पर लगाया जाता है?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—एक्स्ट्रा नहीं दिया जाता। जमीन के पानी के हिस्से में से दिया जाता है।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—मैं यह पूछता हूं कि क्या सरकार को कानून का पता है कि डिग्गियों में पानी पीने के लिए नहीं डाल सकते हैं। क्या ऐसा कानून है कि वे डाल सकते हैं।

**श्री रामनिवास मिर्धा**—ऐसा कानून नहीं है कि डिग्गियों में पानी नहीं डालें।

**श्री गुरुदयालसिंह सन्धु**—पर नहर का कानून है कि जिस जमीन के लिए पानी लिया जाता है वह पानी उसी जमीन में डाला जाय। क्या सरकार इस सब मामले की जांच करने के लिए तैयार है और पीने के लिए एक्स्ट्रा पानी देने के लिए भी तैयार है?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—अगर मेरे जवाब से माननीय सदस्य को सन्तोष नहीं है तो मैं जांच कराऊंगा।

**श्री कर्नल दिलीपसिंह**—उन डिग्गियों में जो पानी दिया जाता है वह क्या फिल्टर्ड है?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—वह ताजा नहर का पानी होता है।

**श्री कर्नल दिलीपसिंह**—वह डिकम्पोज्ड नहीं होता क्या?

**श्री रामनिवास मिर्धा**—जी नहीं।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—उस पानी का रंग कैसा होता है फिर?

**श्री कपिलदेव**—लाल होता है।

**श्री रामनिवास मिर्धा**—कभी कभी थोड़ा लाल भी होता है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—अमूमन पानी पीला होता है। सफेद कभी नहीं होता।

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

# Page No.24



प्रश्न संख्या १०७

## जयपुर जिले की तहसीलों में राजस्थान सरकार द्वारा किसानों की भूमि पर खड़े पेड़ों से पत्तियें छांगने का ठेका

**श्री चांदमल मेहता**—क्या वन मन्त्री निम्न लिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) जयपुर जिले में किस किस तहसील में किसानों के पर्चे की जमीन में खड़े हुए पेड़ों की पत्तियों छांगने का ठेका इस वर्ष राजस्थान सरकार द्वारा दिया गया ?

(ख) उक्त ठेके दिये जाने के क्या कारण हैं ?

(ग) क्या यह सही है कि रूपनगर तहसील में इस तरह के ठेके की कार्यवाही बन्द करने के आदेश तार द्वारा सम्बन्धित अधिकारियों को दिये जाने पर भी उसकी कोई तामोल नहीं की गई ?

(घ) इस तरह की अनुचित कार्यवाही में किन किन अधिकारियों का हाथ है और उनके खिलाफ सरकार द्वारा क्या कार्यवाही को गई ?

**श्री बृजसुन्दर** (वनमन्त्री)—(क) रूपनगर ( डिविजन जयपुर ) में सदैव के अनुसार इस वर्ष भी अन्य ठेकों के साथ साथ परचों की जमीन में पेड़ों के छांगने के ठेके पुकरवाये गये, जिसमें २ ठेकों में बोली लगी, किन्तु बाद को हस्ब आदेश सरकार इन ठेकों पर दखल नहीं दिया गया।

दीगर डिविज़नों में ऐसे ठेके नहीं होते हैं।

(ख) डिविजन जयपुर में यह ठेके हमेशा से दिये जाते रहे हैं। इसी आधार पर इस वर्ष भी पुकरवाये गये। रेन्जर, रूपनगर के पास ऐसा कोई रेकॉर्ड नहीं था कि किस किस काश्तकार को परचे मिले हैं। अतः ठेके इस वर्ष भी पुकरवाये गये।

दीगर डिविजनों में ऐसे ठेके नहीं होते, अतः कारण का प्रश्न ही नहीं उठता।

(ग) नहीं, गलत है। तार प्राप्त होते ही उसी समय उसकी तामील की गई।

(घ) यह प्रश्न नहीं उठता।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि पिछले सेशन के वक्त इस सदन में यह जवाब दिया गया था कि रूपनगर तहसील में काश्त की जमीनों में, जिनका परचा मिल चुका है वहां के पेडों के पतों को छांगने का सरकार की ओर से ठेका नहीं दिया जावेगा।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—इसका तो मुझे इल्म नहीं है, पर जैसे ही लोग मेरे पास आये मैंने इसे रोक दिया।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है, कि हुक्म होने के बाद भी उसे रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और सम्बन्धित अधिकारी ने अपने फॉरेस्ट के गार्ड को आज्ञा दी कि जितनी जल्दी हो सके

[ श्री चांदमल मेहता ]
ठेकेदार को पेडों को छांगने के लिए मौका दिया जावे ? तो इस तरह से ठेकेदार को मदद करते थे गार्ड लोग।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—ऐसा मेरी जानकारी में नहीं है। आपने इसकी सूचनी दी इसके लिए आपको धन्यवाद। इसकी जाँच की जावेगी और अगर सही पाया गया तो एक्शन लिया जावेगा।

**श्री चांदमल मेहता**—जब इस तरह की कार्यवाही आपके तार देने से बन्द नहीं हुई तो दुबारा मन्त्री महोदय के पास रूपनगर का डेपूटेशन गया और फिर उस पर मन्त्री महोदय ने दुबारा आदेश दिया, क्या यह सही नही है ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—तामील हुई या नहीं, इसके बारे में तो आपने बताया नहीं पर दुबारा इसके लिए हुक्म दिया गया था।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही हैं कि दुबारा आदेश जो दिया गया उसको तामील भी नहीं की गई और ठेकेदार ने सब पत्तियां छांग लीं ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—आप ही ऐसी सूचना दे रहे हैं, इसके लिए धन्यवाद। मैं इसकी जांच करूंगा।

**श्री चांदमल मेहता**—मैं सूचना चाहता हूं, दे नहीं रहा हूं। क्या यह बात, कि पहले हुक्म की ताईद नहीं हुई इससे साबित नहीं होता कि दुबारा आपको हुक्म देना पड़ा और क्या यह सही नहीं है कि दुबारा भी जो आदेश दिया गया वह भी रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया और वह ठेका बराबर चालू है ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—मेरा तो ऐसा ही खयाल है कि तामील हुई। नहीं हुई तो इसकी जानकारी हॉसिल करके, मैं माननीय सदस्य को यह विश्वास दिलाता हूं कि जिस किसी ने हुक्म की अवहेलना की है उसके खिलाफ सख्त से सख्त कार्यवाही की जावेगी।

**श्री चांदमल मेहता**—और जिन्होंने रकम ठेकेदार से वसूल कर ली क्या उसकी पूर्ति अपनी ओर से सरकार उन किसानों को करने को तैयार है ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—अगर इस प्रकार की शिकायत की आवेगी तो विचार किया जावेगा।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि हुक्म देने के बाद में भी ठेकेदार को दरख्तों को छांगने में मदद करने की कोशिश की गई ?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—ऐसा मेरी नॉलेज में नहीं हैं।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या यह सही है कि इस तरह के प्रेयत्न में मारपीट की गई और कुछ लोगों के सिर फूटने पर फॉरेस्ट विभाग की ओर से उन किसानों के खिलाफ मुकद्दमे चलाने की कार्यवाही की जा रही है ?

# Page No.26



**श्री वृजसुन्दर शर्मा**—यह मेरी जानकारी में नहीं है।

**श्री चांदमल मेहता**—क्या इस सारे मामले की जानकारी फॉरेस्ट विभाग के द्वारा न कराई जाकर किसी दूसरे विभाग के आदमियों के द्वारा कराई जावेगी ?

**श्री वृजसुन्दर शर्मा**—मैं स्वयं इसकी जानकारी करूंगा।

**श्री खेतसिंह**—क्या यह सही है कि सख्त से सख्त कदम तो क्या, सरकार नाज़ुक से नाज़ुक क़दम भी नहीं उठाती ?

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—वह क़दमों पर मुनस्सिर है साहब।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—बजाय सरकार के, सदस्यों के पास कहीं अधिक सही और अधिक जानकारी रहती है, तो क्या माननीय मन्त्रीगण इसका कोई इन्तजाम करेंगे कि उनको भी सही और अधिक से अधिक जानकारी प्राप्त हो सके ?

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट, १०१।

**प्रश्न संख्या १०१**

**श्री अध्यक्ष**—श्री जयनारायण व्यास।

( प्रश्न कर्त्ता अनुपस्थित )

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट, १०२।

**प्रश्न संख्या १०२**

## राजस्थान में कारतूसों के लाइसेन्सदार

**श्री केसरीसिंह** ( वि० सं० ७५ )—क्या गृह मन्त्री निम्नलिखित प्रश्न का उत्तर देने की कृपा करेंगे :

(क) राजस्थान में कारतूसों के लाइसेन्सदार कितने हैं और यह कौन कौन से ज़िले में हैं ?

(ख) क्या सरकार कारतूसों की कीमत पर भी नियन्त्रण रखती है ?

(ग) कारतूस लाइसेन्स से मिलते हैं अथवा किसी की इजाजत से ? यदि इजाजत से तो किसकी से ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—(क) अभी तक राजस्थान में कारतूसों के लाइसेन्सदार १२ हैं जो निम्न लिखित हैं—

(१) कोटा में—२

# Page No.27



[ श्री रामकिशोर व्यास ]

(२) बून्दी में—१

(३) टोंक—१

(४) जोधपुर—३

(५) जयपुर—२

(६) उदयपुर—१

(७) भरतपुर—१

(८) सिरोही—१

(ख) जी नहीं।

(ग) कारतूस के मिलने का व्यौरा लाइसेन्स में लिखा रहता है तथा लाइसेन्स दिलाने पर ही मिलते हैं।

श्री **रोशनलाल**—उदयपुर में कौन है। उसका नाम बता सकते हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास**—मैसर्स क्यूरियोज़ हाउस, उदयपुर।

**श्री रोशनलाल**—इसको लाइसेन्स कब मिला और कौन से एम्युनिशन्स बेचता है यह?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह अलग सवाल है।

**श्री रोशनलाल**—यह उदयपुर में है भी या नहीं, क्या मन्त्री महोदय यह बता सकते हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास**—मेरे पास रिकार्ड में तो यही लिखा है।

श्री **रोशनलाल**—मैं तो यह पूछ रहा हूं ऐसी कोई दुकान उदयपुर में है भी, कि नहीं?

कु० **श्री जसवन्तसिंह**—इसकी जांच करावेंगे आप?

**श्री रामकिशोर व्यास**—यह क्यूरियोज़ हाउस नहीं, सोरी, ए. के. तहसीन एण्ड सन्स है।

**श्री रोशनलाल**—इसको अभी कोई लाइसेन्स नहीं मिला है। क्या यह मन्त्री महोदय की जानकारी में हैं कि इसके लिए काफी दरख्वास्तें भी आपको भेजी जा चुकी हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास**—नहीं, वह अपॉइन्ट हो चुका है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—सरकारी कागज़ों में जिनके नाम दर्ज हैं वे हैं भी कि नहीं, इसकी भी क्या कोई जांच कराई जाती है?

**श्री रामकिशोर व्यास**—एक, तहसीन एण्ड संस जिसको लाईसेन्स मिल चुका है वह मौजूद है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—हकीकत में ये हैं भी या नहीं, इसकी साल दो साल में जांच करके क्या सरकार मालूम करती है ?

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट।

**श्री गुरदयालसिंह सन्धु**—गंगानगर बोर्डर एरिया में होते हुए भी वहां लाइसेन्सदार कोई नहीं होने का क्या कारण है ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—वहां पर कायम किये जाने की कार्यवाही हो रही है।

**श्री केसरीसिंह**—बूंदी में कौन लाइसेन्स होल्डर है ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—अब्दुल कादिर तैयबअली।

**श्री केसरीसिंह**—गन पाउडर बेचने का लाइसेन्स है या कारतूस बेचने का ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—कारतूसों का।

**कुँ० श्री जसवन्तसिंह**—यह बूंदी का जो बताया इसको लाइसेन्स राइफल्स के कारतूसों का है या गन के कारतूस का है ?

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—प्रश्न यह है कि कारतूस ये देशी हैं या बाहर वाले कारतूस हैं ?

**कुं० श्री जसवन्तसिंह**—मुझ को थोड़ा जवाब दे दें।

**श्री अध्यक्ष**—दोनों को ही दे दें।

**श्री रामकिशोर व्यास**—आपके सवाल की जानकारी हासिल करके जवाब दे सकूंगा।

**श्री कपिलदेव अग्रवाल**—और मेरे सवाल का भी ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—इसका कोई उत्तर नहीं है। ( हंसी )

**कुं० श्री जसवन्तसिंह**—तो फिर क्या राइफल के कारतूस का लाइसेन्स अलग दिया जाता है और गन का अलग दिया जाता है ?

**श्री रामकिशोर व्यास**—नहीं, एक ही दिया जाता है।

**श्री श्रीदास गोयल**—सी. ओ. आर. कौन से कारतूस होते हैं ?

**श्री कपिलदेल अग्रवाल**—ये तो सवाई माधोपुर में पाये जाते हैं। ( हंसी )

**श्री केसरीसिंह**—क्या इतने ही लाइसेन्स होल्डरों को राजस्थान भर के लिए आप पर्याप्त समझते हैं ?

**श्री रामकिशोर व्यास**--अगर किसी क्षेत्र में और दुकान खोलने की डिमान्ड आई तो और खोली जा सकती हैं।

**श्री केशरीसिंह**--क्या कारण है कि अजमेर-मेरवाड़े में ब्लेक में बेचे जाते हैं?

**श्री रामकिशोर व्यास**--ऐसा तो नहीं है।

**श्री अध्यक्ष**--नेक्स्ट

**प्रश्न संख्या १०३**

**जिला बूंदी के सोल्जर्स होम के लिए रकमें**

**श्री केशरीसिंह**--क्या वित्त मन्त्री यह बतलाने की कृपा करेंगे :

( १ ) क्या जिला बूंदी में सोल्जर्स होम के लिये बूंदी स्टेट से २५,००० ) और भारत सरकार से २५,००० ) मिले थे ?

( २ ) क्या यह रकम अभी तक काम में नहीं ली गई हैं ?

( ३ ) सरकार सोल्ज़र्स होम कब तक बनवाने की योजना रखती है।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा** ( वित्त मन्त्री )--

( १ ) जी नहीं।

( २ ) सवाल नहीं उठता।

( ३ ) सवाल नहीं उठता।

वस्तु स्थिति इस प्रकार है : राजस्थान स्टेट सर्विसेज़ पोस्टवार रिकन्स्ट्रक्शन फंड द्वारा १९४७ में सैनिक विश्रान्ति गृह निर्माण हेतु २० ,००० )बूंदी सरकार को प्रदान किया गया था। इस रकम का बूंदी सरकार द्वारा उपयोग न हो सका। राजस्थान पोस्ट वार रिकन्स्ट्रक्शन फण्ड के द्वारा यह रकम उठा ली गई क्योंकि राजस्थान में समस्त स्थानों पर सैनिक विश्रान्तिगृह निर्माण का कार्य इस फंड द्वारा क्रमशः जनसंख्या को आधार मानकर सम्पन्न किया जा रहा है। बूंदी में विश्रान्ति गृह की सम्भावना उन स्थानों के पश्चात् है, जो कि इसकी अपेक्षा घनी आबादी वाले हैं।

**श्री खेतसिंह**--बूंदी स्टेट ने जब २५ हजार रुपया दिया तो सवाल क्यों नहीं उठता है?

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**--मैंने कहा कि जी नहीं, नहीं दिया था बूंदी स्टेट ने। जो २० हजार रुपया मिला था वह पोस्ट वार रिकस्ट्रक्शन फन्ड से मिला था।

**श्री कंवरलाल जेलिया**--तब किस आधार पर कह दिया कि सवाल नहीं उठता है।

**श्री दामोदरलाल व्यास**--इसलिए कि बूंदी स्टेट ने कोई रुपया नहीं दिया था।

Page No.30



**श्री अध्यक्ष**--Now the question hour is over.

## सदन से अनुपस्थित रहने की अनुमति

सभा की कार्यवाही प्रारम्भ होने से पूर्व में सदस्यों को सूचित करता हूं कि श्री संग्रामसिंह, डिविजन नं० ३४, ने विधान सभा की बैठकों से दिनांक १५ मार्च, १९५५, से २६ मार्च, १९५५ तक सदन से अनुपस्थित रहने की आज्ञा के लिए प्रार्थना की है।

क्या सदन की यह अनुमित है कि उन्हें अनुपस्थित रहने कि आज्ञा प्रदान की जाय ?

(स्वीकृत)

आज्ञा प्रदान की गई।

## विधायी कार्य

### राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक, १९५५.

**श्री अध्यक्ष**--श्री दामोदरलाल व्यास।

**श्री दामोदरलाल व्यास**--माननीय अध्यक्ष, राजस्थान लगान दर पुनर्विलोकन तथा वैधकरण विधेयक, १९५५, को पुरः स्थापित करने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (विराम क्या सदन की अनुमति है कि विधेयक को पुरः स्थापित करने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( प्रस्ताव स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री दामोदरलाल व्यास**--माननीय अध्यक्ष मैं विधेयक को पुरः स्थापित करता हूं।

## वापिस लिये जाने वाले विधेयक

### राजस्थान सीमेंट विक्रय कर विधेयक, १९५४

**श्री अध्यक्ष**--श्री अमृतलाल यादव।

**श्री अमृतलाल यादव**--माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान सीमेंट विक्रय कर विधेयक, १९५४ को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**--प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ। (विराम) क्या सदन की यह अनुमति है कि इस विधेयक को वापिस लेने की आज्ञा प्रदान की जाय।

( प्रस्ताव स्वीकृत )

आज्ञा प्रदान की गई।

**श्री अमृतलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, मैं विधेयक को वापिस लेता हूं।

## राजस्थान तमाखू के व्यापारियों को अनुज्ञापत्र प्रदान करने का विधेयक, १९५३.

**श्री अध्यक्ष**—नेक्स्ट, श्री अमृतलाल यादव ।

**अमृतलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, मैं राजस्थान के तमाखू के व्यापारियों को अनुज्ञापत्र प्रदान करने के विधेयक, १९५३, को वापिस लेने की आज्ञा के लिए प्रस्ताव प्रस्तुत करता हूं।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—On a point of order, Sir, has the Select Committee considered this Bill and submitted any report to the House so f ar

**श्री अध्यक्ष**— Tobacco Bill

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—Tobacco Dealers' Licensing Bill; in respect of that Bill a motion is being made for leave to withdraw it.

**श्री अमृतलाल यादव**—यह सिलेक्ट कमेटी में रखा हुआ कोई बिल नहीं है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—माननीय अध्यक्ष, इस सदन में माननीय मन्त्रियों द्वारा जो इत्तिला दी जाती है वह वगैर किसी जानकारी के ही दी जाती है क्या ? मैं उस सिलेक्ट कमेटी का मेम्बर था और उसकी दो मीटिंगे भी हो चुकी हैं। (विपक्ष की ओर 'हियर-हियर')

**श्री अमृतलाल यादव**—माननीय अध्यक्ष, यह मेरी जानकारी में नहीं था। अब जानकारी करने पर मालूम हुआ कि यह सिलेक्ट कमेटी को रेफर तो हुआ था, लेकिन उसकी रिपोर्ट नहीं हुई।

**श्री जसवन्तसिंह**—क्या माननीय मन्त्रीजी बिना सोचे-समझे ही कह देते हैं, वगैर जानकारी किये हुए ही कह देते हैं। मन्त्री का पद बड़ी जिम्मेवारी का पद होता है। वे यहां पर जो कह देते हैं तो वह क्या वगैर जानकारी किये वगैर कह दिया जाता है ?

**श्री अमृतलाल यादव**—यह बात नहीं थी इसको वापिस लेने की बात थी। सिलेक्ट कमेटी में भी करीब करीब यह तय हुआ था। उसकी दो मीटिंगें हुई थीं वहां पर कोई खास बात नहीं हुई थी।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**— मुझे इसमें एतराज नहीं है माननीय अध्यक्ष, कि उनको वापिस लेने की इजाजत दी जानी चाहिए, लेकिन सिलेक्ट कमेटी की ओर से इस प्रकार की रिपोर्ट प्रस्तुत करवाई जा सकती थी। वह कुछ नहीं होकर सीधे मंत्री महोदय कह रहे हैं इसलिए मेरा ऑब्जेक्शन है।

**श्री अध्यक्ष**—The Hon'ble member invokes a point of order.

**श्री कुं० जसवन्तसिंह**—But he cannot withdraw.

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—Whether it is possible for the Hon'ble Member in charge to make a motion to the House for permission to withdraw the Bill before enabling the Select Committee to consider a motion in this regard, when a Select Committee has been appointed and the Bill is still under its Consideration ?

**श्री अध्यक्ष**—I may put one question. Is the Select Committee bigger than the House ?

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—Certainly not, sir. But when the House wants a small body of it to consider a measure, it is an utter disregard of the wishes of that House to make a motion of this nature, It can go into the question over again without having the benefit of the small body of the people to whom they have delegated this Bill. This House can certainly take a decision in this matter irrespective of the opinion of the Select Committee, but to make a motion to this House without permitting the Select Committee to discuss this question and give its findings, is a dis-regard of the earlier resolution of the House which appointed the Select Committee.

**श्री सोहनलाल भटनागर**—माननीय अध्यक्ष, इसका एक प्रिसीडेन्ट भी है। राजस्थान सिक्योरिटी बिल सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया था और बाद में चीफ मिनिस्टर साहब ने विद्ड्रा किया था तो सदन ने इजाजत दे दी थी।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—उसके बारे में लोग जानते हैं कि सिलेक्ट कमेटी में बहस हुई थी और इस प्रकार की राय सारी की सारी सिलेक्ट कमेटी की थी।

**कुं० श्री जसवन्त सिंह**—इसके अलावा भी अगर एक गलती हो गई है तो क्या माननीय सदस्य यह सजेस्ट करना चाहते हैं कि दूसरी गलती भी की जाय ?

**श्री मथुरादास माथुर**—Section 148 of the Rules of Business say that the Member in charge of the Bill may at any stage of the Bill move for leave to withdraw the Bill and if such leave is granted no further motion is to be made in respect of the Bill.

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—Which rule ?

**श्री मथुरादास माथुर**— 148.

The Hon'ble Minister is free at any stage of the Bill to move for leave to withdraw the Bill. The Bill is under consideration of the Select Ccmmittee and the Member-in-charge is entitled, is free under this section, to move for the withdrawal of the Bill. Therefore, the motion for withd drawal by the Ministere in charge of the bill is qute correct.

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—Mr. Speaker, Sir, I am afraid an entirely incorrect interpretation is being put into this particular rule. This rule refers to various stages of the Bill. My submission is that the stage commenced when the Bill was referred to the Select Committee. Now the next stage will commence on the presentation of the report of the Select Committee. Then a further motion can be made in relation to the disposal of that Bill. Between the period when the Bill has been referred to the Select Committee to the period when the Select Committee presents its report, there is no stage and, therefore, no motion under section 148 can be made. The point is that the House wants the Bill to be considered by the Select Committee. A decision of the House has alrerdy been arrived at. Is it proper and fair to counterfeit this decision ? Of course, if the Select Committee takes the view that this should be done then after hearing the report of the Committee, it is open to the House to reject it; it is open to the House to re-refer the Bill; it is open to the House to circulate the Bill for eliciting public opinion. It is open to the House to give its findings. My submission is that once the House has decided to refer the Bill to the Select Committee, it is improper for anybody to make a motion that the House does not stand by the original decision.

**श्री अध्यक्ष**—Any other Member who wants to speak on this ?

**कुं० श्री जसवन्तसिंह**—Sir, I would like to make a submission that reference to the Select Committee contained in Rule 133 means that, "the Select Committee to which a bill has been referred shall make a report thereon." It is compulsory for the Select Commttee to make some sort of recommendation. This Bill is before the Select Committee and it has not submitted its report, and it is compulsory for the Select Committee to submit its report. During this intervening period the interpretation given by my Hon'ble friend opposite would not hold good. Rule 148 refers to the stage when the Select Committee has finalised and submitted its report before the House. That is the stage that has been envisaged in that rule. As long as the Bill is before the Select Committee it is compulsory for the Select Committee to report to the House. At this stage it cannot be withdrawn.

**श्री रामकिशोर व्यास**—Rule 133, subject to Rule 148, provides that the Bill can be withdrawn with the leave of the House. The Select Committee need not submit its report. Rule 148 clearly says that it can be withdrawn at any stage, which means that from the time of the presentation of the Bill to the House to the time when the Bill is passed the Bill can be withdrawn under Section 148.

**श्री अध्यक्ष**—Any other discussion or I give my ruling ?

( विराम )

श्री अध्यक्ष--राजस्थान टोबेको डीलर्स लाइसेन्सिंग बिल,१६५३, जो सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया था, की अवधि इस अधिवेशन के प्रारम्भ होने के पहले सप्ताह तक समाप्त होती हैं और इस दफ्तर से संबंधित मंत्री महोदय को उसका समय बढ़ाने के लिये या उस पर क्या कार्यवाही करनी है उसके लिये एक सूचना भी भेजी गई। उनको अपना वक्तव्य देते समय यह बताना चाहिये था कि इस बिल तरह से इस बिल को सिलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया है लेकिन सरकार का यह निर्णय है कि इस को वह आगे नहीं चलाना चाहती और वापिस करना चाहते हैं। लेकिन उनके दिमाग से शायद यह बात उतर गई इसलिये उन्होंने अपने वक्तव्य में यह नहीं बताया, इसलिये सारी गलतफ़हमी हुई। रूल्स ऑफ बिजनेस जो यहां हैं उसमें इस प्रकार का कोइ रूल नहीं है कि जब कोई बिल सलेक्ट कमेटी को रेफर किया गया हो और उस बीच में सरकार यह निर्णय करे कि हमें उक्त विधेयक को आगे नहीं चलाना है या वापिस लेना चाहते हैं तो उसके लिये क्या प्रोसीजर होना चाहिये। जो हाउस ऑफ पीपल (लोक सभा) के नियमोपनियम हैं उनमें इस प्रकार का आदेश है कि यदि बिल सिलेक्ट कमेटी में हो और ट्रेजरी बेन्चेज़ या सरकार यह निर्णय करे कि हम उस बिल को वापस लेना चाहते हैं, इसके लिये कोई प्रस्ताव सदन के सामने पेश करे और सदन उसको पास कर दे तो वह प्रस्ताव उस सिलेक्ट कमेटी के पास विचारार्थ चला जाता है। इसलिये इसमें रूलिंग देने की कोई आवश्यकता नहीं है। यदि यह सदन प्रस्ताव पास करता है तो वह प्रस्ताव सिलेक्ट कमेटी के पास जा सकता है। अब यदि सिलेक्ट कमेटी जिंदा है या नहीं और उसकी अवधि बढ़ाने के लिये प्रार्थना नहीं करते हैं तो यह दूसरी चीज़ है मैं समझता हूं इस पर जो वाद-विवाद हो चुका है वही इस पर प्रकाश डालने के लिये काफी है और जो कोई इसके बारे में बोलना चाहते हैं तो बोल सकते हैं।

श्री कपिलदेव—वह तो ऑटोमेटिकली लेप्स हो जाता है।

श्री अध्यक्ष—क्या लेप्स हो जाता है?

श्री कपिलदेव—बिल।

श्री अध्यक्ष—बिल कैसे लेप्स होगा? सिलेक्ट कमेटी लेप्स होगी। सिलेक्ट कमेटी ने जो भी विचार किया है उसे हाउस के सामने रखना होगा। यदि सिलेक्ट कमेटी की लाइफ नहीं है तो हाउस को अधिकार है कि सदन पास करे; न करे यह हाउस का अधिकार है। इस पर काफी चर्चा हो चुकी है और मैं समझता हूं कि वह काफी है। क्या सदन की राय है कि इस बिल को वापस लेने की इजाजत दी जाय?

(स्वीकृत)

बिल वापिस लेने की अनुमति प्रदान की गई।

श्री अमृतलाल यादव--मैं इस विधेयक को वापस लेता हूं।

श्री अध्यक्ष--बिल वापस लिया गया।

(विराम)

बजट पर अग्रेतर वादविवाद

## आय-व्यक भाषण पर वाद-विवाद

**श्री हरिकृष्ण व्यास**--अध्यक्ष महोदय, राजस्थान का इस वर्ष का बजट प्रस्तुत करते समय वित्त मंत्रीजी ने जो भाषण इस सदन में दिया उसके अंत में उन्होंने इस बात के लिये विशेष प्रार्थना की कि सरकार को अपने काम में राजस्थान की हर कोम को सहयोग देना चाहिए और सरकार सहयोग प्राप्त करने के लिये कितनी आतुर है, उसके दो नमूने इस बजट के सिलसिले में हमारे सामने पेश हुए हैं। एक नमूना यह पेश हुआ है कि हर साल बजट के साथ एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम की भी एक प्रति दी जाती रही है लेकिन इस बार या तो वित्त मंत्रीजी यह सोचते हैं कि बजट इतना साफ सुथरा है और आसानी से समझ में आने काबिल है कि एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम देने की कोई आवश्यकता नहीं है, इसलिए नहीं दिया गया है और...

**श्री वृजसुन्दर शर्मा** ( वित्त मंत्री )--अध्यक्ष महोदय, मैं समझता हूं कि यह तो गलत चीज़ है। बजट के ऐक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम दिये गये हैं।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**--( अपना भाषण जारी रखते हुए ) माननीय अध्यक्ष, मैं जो बात कहता हूं वह सही कहता हूं और जिम्मेदारी के साथ कहता हूं और आपके सोचने के लिए निवेदन कर दूं कि अंग्रेजी की बजट की जितनी कॉपीज आईं उनसे कितनी ही कम एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम की कॉपीज़ आईं; कितनी कम आईं, कैसे कम आईं, यह मुझे मालूम नहीं। मैं यहां खड़ा मौजूद हूं; जिसको बजट एस्टीमेंट की कॉपी सप्लाई की गई पर एक्सप्लेनेटरी मेमोरेन्डम की सप्लाई नहीं की गई है।

**श्री अध्यक्ष**--इसमें आपकी ही कोई स्लेकनेस (slackness) होगी। हमारे यहां से तो दी गई हैं।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—मेरी ओर से तो कोई स्लेकनेस नहीं हुई मैं तो लेना चाहता था...

**श्री अध्यक्ष**—Better such things should not be referred to on the floor of the House. Such things should be consulted with me.

**श्री हरिकृष्ण व्यास**--( अपना भाषण जारी रखते हुऐ )It is not the responsibility of your Secretariat. Copies came only yesterday evening from them ( the Government ). Of course nobody would be prepared to admit that I have been asking for a copy but I am not getting any reply. I have not got a copy in any case.

इसकी जांच हो, कॉपीज़ पूरी नहीं आई हैं यह फैक्ट है। अब मैं दूसरी इसी सिलसिले में हुई घटना का उल्लेख करना चाहूंगा। जहां विधान सभा के सदस्यों के लिये कॉपीज़ की स्थिति यह थी वहां माननीय अध्यक्ष, दिल्ली के अखबार वालों को तो पहले ही वह कॉपियां पहुंचा दी गई थीं, स्पेशल इन्तज़ाम करके यहां से बजट पहले ही रवाना हो गया, जिससे इसकी पब्लिसिटी अच्छी तरह से हो जाय; इसका एतिहात बरता गया।

**श्री वृजसुन्दर शर्मा** ( वित्त मंत्री )—बजट की कॉपियां पहले वहां मिलने के बारे में आप कैसे कह सकते हैं ? Is there any authority for that. कि वहां पहले डिस्ट्रिब्यूट हो गईं।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) मैं अपनी जानकारी के मुताबिक ऑथोरिटेटिली कहता हूं।

श्री **कपिलदेव अग्रवाल**—आप तो भाषण दें।

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) अगर यह जानने के लिये उत्सुक ही हैं तो टाइम के मुतल्लिक जांच करवा लें कि अखबार में किस वक्त छपा। यह मैंने सहयोग प्राप्त करने की दिली तमन्ना और हकीकतन प्रयत्न दोनों में फर्क है, यह बताया।

अब इस बजट में कौन कौन से मद हैं, कितने कितने प्रोविजन किये गये हैं और इस बजट में राजस्थान राज्य सरकार की कौनसी नीति का आभास मिलता है, इस पर तफसील में कुछ अर्ज करने से पहले राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय ने जो इतिहास क्रियेट किया है उसकी ओर संकेत करना मैं आवश्यक समझता हूं। अध्यक्ष महोदय, मैं बजट भाषण के पेज २ के पेराग्राफ २ की ओर संकेत करना चाहूंगा जिसमें यह कहा गया है कि—

"आर्थिक प्रवृत्तियां का रुख हमारे पक्ष में है। भाव सब तरफ गिर रहे हैं। कतिपय खाद्यान्नों के मूल्यों में कुछ ज्यादा गिरावट आई है, किन्तु भारत सरकार और राज्य सरकार दोनों, भावों में आर्थिक सन्तुलन बनाये रखने के उपाय प्रयोग में ला रही हैं।

श्री **चांदमल मेहता**—आर्थिक ?

श्री **हरिकृष्ण व्यास**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) हां आर्थिक। राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय की यह राय मालूम होती है कि पिछले डेढ़-दो वर्षों में जिन जिन वस्तुओं के भावों में कमी आई है वह एक ऐसी आर्थिक प्रवृत्ति है जो हमारे पक्ष में है।

परन्तु भारत के वित्त मन्त्री, श्री चिन्तामणि देशमुख महोदय ने अभी कुछ दिन पहले बजट के सिलसिले में अपना भाषण दिया तो उन्होंने इस बात का संकेत किया कि रॉ-मेटिरियल के भावों में जो कमी आ रही है, एग्रीकल्चर प्रोड्यूस के भावों में जो कमी आ रही है, और जो चीजें हम विदेशों को भेजते हैं, माइका, ऊन, मेंगेनीज, तमाखू, इनके भाव में कमी आ रही है। और यह हमारे लिये एक बड़ी कठिनाई का बायस है। तो राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय की आर्थिक प्रश्न की कल्पना शायद भारत सरकार के वित्त मन्त्री महोदय से भी आगे बढ़ी हुई है और दोनों में फर्क है, वह तो अलग, पर मुझे तो यह सुनकर ताज्जुब हुआ, अध्यक्ष महोदय, कि राजस्थान में पैदा होने वाली चीजों के भावों में कमी होने का उल्लेख किया और उससे उन्हें सान्त्वना है। राजस्थान में पैदा होने वाली चीजों के भावों में कमी का होना, कीमतों का घटना यह सान्त्वना होने का कारण नहीं; बल्कि उन्हें इससे चिन्तित होना चाहिये था। यह जो यहां की चीजों के भावों में कमी आई वह कौनसी आर्थिक उन्नति की द्योतक है ? वित्त मन्त्री महोदय को मालूम होगा और होना चाहिये कि लगभग दो साल से राजस्थान में एक बहुत महत्वपूर्ण खनिज है मोडल, उसके भावों में कमी आई है, इसलिये कि जिन बाजारों में ले जाकर हम यह सामान बेचते थे वहां के लोगों ने, इंग्लैंड-अमेरिका के लोगों ने कीमतों पर एक अच्छी तरह से कस दिया है। इसके परिणाम स्वरूप राजस्थान में इस उद्योग के बारे में

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

भयंकर संकट पैदा हुआ है और उसका नतीजा कह हुआ है कि इस उद्योग में काम करने वाले लोगों की तादाद में काफी अन्तर आ गया है । अब २-ढाई हजार मजदूरों की तादाद रही है जहां पहले ६० हजार मजदूर काम करते थे । फिर भी मोडल के भावों की गिरावट से जिससे राजस्थान के सामान्य आदमी को चिन्ता मालूम होती है, हिन्दुस्तान की बहबूदी चाहने वाला हर एक आदमी दिल में थोड़ा सा अफसोस महसूस करता है कि हमारे यहां पैदा होने वाली चीजों के भावों में कमी आ गई है, भाव गिर गये हैं; वहां हमारे राजस्थान के वित्त मन्त्री महोदय को सन्तोष होता है । उनकी भी यही स्थिति है ।

अध्यक्ष महोदय, कल एक माननीय सदस्य बोल रहे थे और खनिज का जिक्र कर रहे थे तो उन्होंने बताया कि बुलफोर्म एक बहुत बेश कीमती चीज़ राजस्थान में है । राजस्थान के वित्त मन्त्रीजी को सोचना चाहिये कि उसमें ८०० परसेंट कमी आई है । तो उसका फायदा राजस्थान को नहीं हुआ है, बल्कि नुक्सान राजस्थान को हुआ है ।

राजस्थान एक कृषि प्रधान देश है, कच्चा माल पैदा करने वाला देश है । बुलफोर्म के भावों में कमी, मोडल के भावों में कमी, तमाखू के भावों में कमी, जिस पर पौने बत्तीस रूपया मन तो केन्द्रीय सरकार की कस्टम की ड्यूटी है और २२) रू० २४) रूपया मन तमाखू का भाव है, इससे सन्तोष किसको होना चाहिये ? दूसरी कमी आई है किसानों की पैदावार की चीजों में । केवल खाद्यान्नों में ही नहीं, किन्तु तिल और तिलहन के भावों में भी कमी आई है जो कि कॉमर्शियल क्रोप है ।

यदि वित्त मन्त्रीजी के भाषण पर विश्वास किया जाय तो राजस्थान में मोडल के उद्योग में संकट आया है, उससे उनको सन्तोष है, अनाजों के भाव गिर रहे हैं और किसानों को इससे नुकसान हो रहा है और किसानों को इससे उभारना बहुत जरूरी है, मगर इससे आपको संतोष है । यदि ये चीजें हमारी प्रवृतियों के लिये घातक नहीं हैं तो मैं चाहूंगा कि वे ऐसी चीजों का जिक्र करें जिससे इस गिरावट, को चीज़ों के भावों की गिरावट को नहीं माना जावे । यदि दूसरी मेन्युफेक्चर्ड चीजों के भाव गिरे और गिरे तो किस हद तक गिरे, उसकी माननीय मंत्री मुझे सूचना दें । आज जिस प्रकार के भावों की गिरावट है उससे हमको चिन्ता होनी चाहिये । लेकिन इस भाषण में ऐसा नहीं कहा गया है और इसलिये मैं निवेदन करना चाहता हूं कि यह जो सरकारी दृष्टिकोण है वह एक उसूल पर नहीं है और सारा बजट उसी दृष्टिकोण से प्रभावित है और वह दृष्टिकोण क्या है ? वह यह है कि बजट के एक भाग को इग्नोर करके यह बनाया गया है । मेरे कई मित्रों ने इस पर हालां कि बराबर कहा है लेकिन इस बजट को ठीक नहीं समझा है । मैं यह कहूंगा कि इसका सही उल्लेख किया जाना चाहिये था । माल का उल्लेख दुकानदार को करना चाहिये था । यहां तो फाइनेन्स ने एक दुकान लगाई है और एक बोर्ड लगाया है । जैसे बनिया शुद्ध घी की मिठाई का बोर्ड लगाता है उसी प्रकार जो चीजें पक्ष में है उसको भी पक्ष में माना है और जो विपक्ष में हैं उनको भी थोड़ा बहुत तोड़-मरोड़ कर अपने पक्ष में माना है ।मैं इस पर ज्यादा न कह कर इस बजट में छपे हुए दस्तावेज हैं उन पर कहना चाहता हूं जो इसके असली रूप को सदन के सामने रखेंगे ।

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

हमारे वित्त मंत्रीजी ने अपने भाषण में बताया कि हमारा कल्याणकारी राज्य बनाने का उद्देश्य है और हॉस्पिटलों के लिये दवाइयों में लगातार उन्नति हो रही है। उन्होंने यहां तक कहा कि दवाइयों के लिये मद जोड़ा है। नये नये हॉस्पिटल खोले हैं और राजस्थान के मेडिकल डिपार्टमेंट ने तरक्की की है और हम दिनों-दिन कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ते जा रहे हैं। लेकिन मैं, माननीय अध्यक्ष, इस संबन्ध में विशेष आंकड़ों की ओर सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूं और वह है वोल्यूम नम्बर २ के पेज १४१ पर जहां कि मेडिकल विभाग के अलग अलग हिस्सों के आंकड़े दिये गये हैं। इन पेजों पर हॉस्पिटल के लिये 'ड्रग्ज़ एन्ड मेडिसिन्स इन्क्ल्यूडिंग कस्टम्स् ड्यु टि' नाम का उल्लेख है। उसमें बजट एस्टीमेट ५४–५५ के लिये ५ लाख ७० हजार रुपये और रिवाइज़ हुए, १९५४–५५ के लिये ४ लाख ७५ हजार रुपया और बजट एस्टीमेट सन् ५५-५६ का केवल ५ लाख रुपया है। माननीय अध्यक्ष, इस पूरे बजट में और पिछले दो तीन वर्षों में दिये गये आँकड़ों पर गौर फरमाइये तो मालूम होगा कि अस्पतालों में कैसी उन्नति हो रही है? मेडिकल फोर्स बढ़ रहा है, लेकिन जहाँ तक दवाइयों का खर्चा है उसमें २०–३० हजार की बचत होती है और फिर अगले साल में रिवाइज्ड़ स्टेटमेंट पर दूसरे मद पर खर्च कर दिया जाता है। मेरे मित्र ऐसा महसूस करते होंगे कि यह बात जो में कह रहा हूं वस्तुस्थिति से परे है और वे अपने जवाब में ये कहने वाले हैं कि कस्टम का खर्चा नहीं होने से वह भी इसमें जोड़ दिया जावेगा। में उनसे यह बता देना चाहता हूं कि डाइट के लिये प्रोविजन ४ लाख ३५ हजार सन् ५४–५५ में था और रिवाइज्ड एस्टीमेट ३ लाख ७६ हजार हुआ। बजट एस्टीमेट सन् ५५–५६ को देखेंगे तो वही ३ लाख ७६ हजार। मैं माननीय मंत्री महोदय से पूछना चाहूंगा कि अगर हम राजस्थान में वास्तव में कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ रहे हैं और राजस्थान की जनता को दवा-दारू और इलाज के लिये नये नये हॉस्पिटल खोल रहे हैं और उनकी तादाद बढ़ा रहे हैं तो सरकार ने हॉस्पिटलों में सन् ५४–५५ में जो बजट एस्टीमेट ४ लाख ३५ हजार का रोगियों के लिये खाने का था और जो कई सालों से चला आ रहा था उसके मुकाबले में सन् ५५–५६ में ३ लाख ७६ हजार का प्रोविजन रखा है। यह किस उन्नति और समाजवाद की तरफ ले जाने को है?

**श्री चन्दनमल वैद**—अब लोगों की सेहत अच्छी हो गई है।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) जिन लोगों की सेहत अच्छी हो गई, उसके लिये मुबारिकबाद। लेकिन यह कहा जाता है कि नम्बर ऑफ बेड्स बढ़ा दिये गये हैं, मरीज़ ज्यादा हो गये, मरीज़ बढ़ गये, डाक्टर बढ़ाये गये, लेकिन दवाइयों का खर्चा नहीं बढ़ा, लाइट का खर्चा कम हुआ नहीं, डाक्टरों की तनख्वाह का खर्चा कम हुआ नहीं, किन्तु वह खर्चा कम हुआ जो मरीजों के पेट में खाने के लिये खुराक दी जाती थी और इसको कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ना कहा जाता है। यह कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ना नहीं यह (अश्रव्य) राज्य है।

**कु० श्री जसवन्त सिंह**—इसमें वे हंगर स्ट्राइक एक्सपेक्ट करते हैं।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) यह तो उनकी महानता है।

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

अब में इस सिलसिले में एक बात का उल्लेख देता हूं और वह है पंचवर्षीय योजना जो इस बजट का सिर माना गया है। यह तो मेरे माननीय मंत्रीजी मानते हैं कि इस योजना के चार वर्ष पूरे हो चुके हैं और यह पांचवां और अंतिम साल है और वे इस बजट के अन्दर यह कह गये हैं कि इन पूरे चार वर्षों में जो २५ करोड़ रूपया पंचवर्षीय योजना में खर्च करने का विचार कर रखा था उसमें से चार वर्षों में लगभग १२ या १३ करोड़ रूपया खर्च कर चुके हैं। ये आंकड़े खुद माननीय मंत्री महोदय ने दिये हैं। यानी जो खर्च करने का इरादा पांच वर्षों में था उसमें से आधा तो खर्च हो गया इन चार वर्षों में। अब कल्याणकारी राज्य कैसे बनाया जावेगा ? बाकी का आधा बचा है, जो १२-१३ करोड़ रुपया बचा है वह सारा का सारा हम क्या इसी साल के लिये खर्च कर देंगे ? मगर किस आधार पर यह दावा किया जावे। माननीय मंत्री महोदय और सदन का ध्यान, माननीय अध्यक्ष, आपके द्वारा आकर्षित करूंगा एक बहुत हो(अश्रव्य)चीज़ पर और इस सम्बन्ध में मैं मेरे मित्रों का ध्यान बजट

( श्री लालसिंह शक्तावत, उपाध्यक्ष, पदासीन )

एस्टीमेट के पेज २८४ की ओर आकर्षित करूंगा जहां Construction of irrigation, navigation, embankment and drainage है और जिसका हिन्दी में तुर्जुमा करते हुए मेरे माननीय मंत्री महोदय ने यह कहा था कि हमने बजट की नई शाखाएं खोली हैं; मुण्डन, गठबंधन आदि-आदि

यह उन्होंने कहा या मैंने यह सुन लिया हो, यह जुदा बात है। यह तो नया सीगा खुला है। इसमें आप गौर फरमाइये। इसके नीचे कुछ, इरिगेशन प्रोजेक्ट्स का जिक्र है; उसमें से मैं एक, दो, तीन का जिक्र करूंगा। एक सरेरी प्रोजेक्ट है उसमें कितना खर्चा होगा।

| | |
|---|---|
| वर्क | १६,८४,३४० |
| एस्टेब्लिशमेन्ट | १५,६६० |
| | कुल २० लाख |

अब ये सरेरी से चले तो अरवाड़ा में आ गये। अरवाड़ा या Arwara नामक एक दूसरा प्रोजेक्ट है। उसकी क्या हालत है ? वर्क्स के हैं १६,८४,३४०) और उसका एस्टेब्लिशमेन्ट का कितना खर्चा है, १५६०७)। फिर उससे आगे बढ़े गम्भीरी रिवर प्रोजेक्ट में आ गये। यह गम्भीरी प्रोजेक्ट वही है जिसका माननीय मित्रों ने अभी जिक्र किया था। गंभीरी प्रोजेक्ट का क्या हाल है ? विकास का कितना खर्चा है ? १६,८४,३४०) रु० और एस्टेब्लिशमेन्ट का खर्चा १५६०७)रु०; आप टोटल मिलाइये तो कितना, २० लाख रुपया।

मुझे यह समझ में नहीं आता है कि राजस्थान सरकार का, उसके मुलाजिम तो कहना मानते ही हैं बेचारे, और वह आगे से दफा १४४ लगाती है, और कोई भी ऐसा काम करती है तो उस पर उसकी चलती है, लेकिन कुदरत पर उसका इतना बड़ा कन्ट्रोल कैसे हो गया कि तीन-तीन वर्क्स हैं, कुछ कम, कुछ ज्यादा रुपया आना पाई हो सकते हैं, किन्तु वे ही वर्क्स और वे ही रुपया, आना, पाई यानी वर्क्स का १६,८४,३४०)रु० और एस्टेब्लिशमेन्ट का १५,६०७)रु० और वही टोटल २० लाख रुपया; चाहे वह गम्भीरी प्रोजेक्ट हो, चाहे अरवाड़ा हो या सरेरी हो ? ऐसी योजनायें बनाकर हमें विश्वास कराया जा रहा है कि सीरियस काम किया जा रहा है, तो मैं यह कहूंगा कि टेबल पर बैठ कर केवल

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

कागजों पर टोटल लगाने से काम नहीं चलता है। लगातार हर एक का टोटल लगाया, इसका मतलब यह हुआ कि हम यह देखना चाहते हैं कि इतना खर्चा करने की उम्मीद है। नहीं तो किसी की १७ लाख, किसी की तीस लाख और किसी की २२ लाख की टोटल आती। लेकिन नहीं सब ही वर्कर्स की रुपया, आना, पाई टोटल में वर्कर्स और एस्टेब्लिशमेन्ट की एक ही टोटल लगाई गई है। मेरी समझ में तो नहीं आया और मेरा अर्थमंत्री महोदय से निवेदन है कि वे इसको समझा दें, सदन को समझा दें और दुनिया को समझा दें। इसीलिए मैंने यह कहा माननीय उपाध्यक्ष, कि इस बजट की जो हकीकत है उसका आभास माननीय मित्रों को मिल जाय और जो बजट प्रस्तुत करने वाले हैं उनको भी उल्लेख करने की आवश्यकता महसूस हो। मैं फिर से दोहराना चाहता हूं कि इस बजट की यह विशेषता है कि यह बजट डेकोरेशन का बजट है और चार साल में पंचवर्षीय योजना में जो कुछ बचा है वह इस वर्ष में प्रोवाइड करके यह दिखाने का प्रयत्न किया गया है कि जो कदम उठाया गया है उससे हम पंचवर्षीय योजना को पूरा करने जा रहे हैं। पंचवर्षीय योजना के बारे में तसल्ली नहीं होती और आगे के लिए जो विचार किया गया है वह भी समझदार आदमी के लिए तसल्ली पूर्ण नहीं है।

अब मैं जिस आधार पर ये चीज़े रखी हैं उनके बारे में कहूंगा। मेरे मित्र ने कस्टम ड्युटी के खत्म होने का जिक्र इस बजट में किया है। इसमें कोई शक नहीं कि राजस्थान सरकार को कस्टम ड्युटी खत्म करने के विषय में यहां मुबारिक-बादी मिलेगी। आप दुरुस्त आये लेकिन कोई कहे कि देरी से आये। कस्टम ड्युटी १ अप्रेल, सन् ५५ से समाप्त कर रहे है। यह राजस्थान सरकार ने ठीक बात की है।

**कुं. श्री जसवन्तसिंह**—राजस्थान सरकार ने क्या किया, केन्द्रीय सरकार ने किया।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) उसी पर आता हूं, आता हूं आप बेफिक्र रहें।

मेरे माननीय मंत्री महोदय ने यह किया कि परवाह नहीं हमारे बजट में चार करोड़ रुपयों का घाटा हो तो हो, कोई परवाह नहीं। हम उदारवादी हैं कल्याणकारी राज्य लाना चाहते हैं और आवड़ी अधिवेशन में कल्याणकारी राज्य लाने का प्रस्ताव भी हुआ है, इसलिए कस्टम ड्युटी खत्म कर दें। यह परिस्थिति से भिन्न है। वह इसलिए भिन्न है कि अगर राजस्थान सरकार की चलती तो वह अलबत्ता साल-दो साल बढ़ाने की कोशिश करती, किन्तु चली नहीं। केन्द्र की भी बात नहीं है। उनको फाइनेन्स कमिशन से इजाजत लेने के बाद निर्णय करना पड़ा है। मेरे उधर बैठने वाले बुजुर्ग मित्र अपने सिर को हिला कर सूचना दे रहे हैं कि मैं कह रहा हूं कि यह परिस्थिति से भिन्न है, इसलिए सत्य है। यदि राजस्थान सरकार की नीयत और उसका इरादा पक्का था तो फिर राजस्थान सरकार के वित्त मन्त्री के मुंह से बजट भाषण में यह कहलाने की आवश्यकता नहीं होती कि हमको पांच साल तक कस्टम रखने की इजाजत दी। ऐसी बात नहीं कहलाते "अश्वत्थामा हतो"। सच और झूंठ मिला नहीं देते। और यह कहते कि पांच साल नहीं हर साल रिड्यूस कर रहे हैं। "पांच साल की इजाजत दी थी" यह जोरों से एलान करते हैं और चुपके से यह नहीं बोला जाता है कि हर साल १।५ कम करने को कहा गया था, किन्तु नहीं किया। खाते गये, लाते गये और पांच साल में एक पैसा कम नहीं

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

किया और अब जब मजबूरी आयी और चूंकि मजबूरी का नाम नीति है इसलिए कस्टम को हटा कर राजस्थान सरकार ने एक काम का उल्लेख किया। किसी भी कारण से किया हैं, काम दुरुस्त किया हैं इसमें कोई शक नहीं। यह तो राज्य सरकार को कहने का मौका नहीं मिल सकता कि हमारे ऊपर अचानक आफत आयी है। यदि १।५ हर साल कस्टम का खत्म किया होता तो उसकी वजह से जो घाटा मिला है वह घाटा नही हुआ होता। मैंने हिसाब लगाया तो मुझे मालूम हुआ है कि कम से कम १० करोड़ रुपया एडीशनल इन पांच सालों में सरकार विशेष खर्च कर चुकी है। इसमें यह उल्लेख किया है कि हमें यह मालूम था कि ऐसी स्थिति आने वाली है। यह बात सही है। यदि राज्य सरकार को मालूम था कि ऐसी स्थिति आने वाली है और सारे मालूमात की वजह से और लगातार घाटे की वजह से हर साल पांचवां हिस्सा कम नहीं किया और आज राजस्थान सरकार यह कहे कि हमने कस्टम खत्म कर दिया है इसलिए थोड़ी परेशानी है तो मेरा यह कहना है कि हर साल कम न करके आपने दस करोड़ रुपये जमा कर दिये हैं; उनको तो दो साल चलाइये और फिर आगे सोचेगें। लेकिन ऐसा उन्होंने नहीं किया। तो हर साल कम न करने की नीति और आज यह कहना कि हमने मर्जी से यह कम किया है तो इसमें परस्पर विरोध आता है और यह परस्पर विरोध ही राजस्थान सरकार की असफलता को सामने रखता है जो काफी है। यह मान लीजिये कि कस्टम खत्म करने से चार करोड़ का घाटा होने वाला है और सेल्स टैक्स से १ करोड़ और १७ लाख के लगभग या १॥ करोड़ ज्यादा से ज्यादा समझ लीजिये, आमदनी होने वाली है। लेकिन फिर भी ऐसी स्थिति में उस राज्य सरकार की ओर से इस बजट में ऐसा प्रयत्न प्रस्तुत किया जाता कि जो आमदनी को बढ़ाने का द्योतक होता और साथ ही साथ लोगों को राहत देने का द्योतक होता और खर्चे को कम करने का द्योतक होता और राजस्थान सरकार के दिमाग पर सही असर हुआ है, सही दिशा में वह जा रही है ऐसा प्रगट होता। इस बजट की विशेषता यह है, माननीय उपाध्यक्ष, कि न तो आमदनी का सीगा है, न खर्चा कम करने की ओर कोई कदम उठाया गया है। एक चीज़ की ओर जिससे कि हालत सुधार सकते हैं उसकी ओर ध्यान देने का एक इशारा किया गया है। मैं सबसे पहले आपका ध्यान आकर्षित करूंगा उस चीज़ पर कि सदन में उधर बैठने वाले माननीय मित्र, भूतपूर्व माननीय वित्त मन्त्री और मुख्य मन्त्री श्री जयनारायणजी व्यास, ने अपने भाषण के दौरान में कल जिक्र किया था। राजस्थान सरकार के बनने के पहले और राजस्थान सरकार के बनने के बाद जो लगभग करोड़ों रूपयों की पूंजी, जो शेयर्स के रूप में उधार के रूप में, ऋण के रूप में इधर-उधर दी गई हैं, पूंजिपतियों को दी गई हैं उसके बारे में वे जिक्र कर रहे थे और यह कह रहे थे कि इस पूंजी का रिटर्न हमारे पास कुछ नहीं आता है। ऐसी स्थिति है और मैं इसमें बिल्कुल शंका नहीं मानता कि यह ऐसी ही स्थिति है। मेरा तो यहां तक अनुमान है कि अलग अलग जगहों पर राज्य सरकार ने जो अपना पैसा लगा रखा है, उसमें से शायद दो-चार जगहों से रिटर्न आता होगा, बाकी कोई रिटर्न राज्य सरकार के पास नहीं आता है। यह जो दो, सवा दो करोड रुपयों की पूंजी लगी हुई है उसमें से ४६ लाख रुपये जमा होने का अनुमान लगाया गया है। उसके बारे में वित्त मन्त्री महोदय ने एक शब्द भी अपने भाषण में नहीं कहा और उसकी ओर ध्यान आकर्षित करना पड़ा भूतपूर्व वित्त मन्त्री महोदय को कि हमारा आज तक का अनुभव है कि कुछ भी कोशिश करें, उद्योगपति नाम मात्र के लोग हैं, आखिर में हमको कुछ लेते देते नहीं।

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

यह वे अपने अनुभव से कह रहे थे, माननीय उपाध्यक्ष। उन्होंने राज्य का काम चलाया है और ऐसा मौका आया कि उद्योगपति उन्हीं से करवा कर ले गये, जो आज वे कह रहे हैं।

जयपुर में एक स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल है, जहां अभी तक केवल स्पिनिंग का ही काम चलता है। इसमें भी हमारी राजस्थान सरकार का १३ लाख रुपया लगा हुआ है। हमें तो इसमें कोई एतराज नहीं है, लेकिन भूतपूर्व मुख्य मन्त्री और वित्त मन्त्री महोदय, जिन्होंने इसका अपने भाषण में कल जिक्र किया, वे अपने अनुभव से बता रहे थे कि उद्योगपति बड़े ऐसे लोग हैं जिनको काबू में नहीं लिया जा सकता। उनके इस अनुभव को आज एक सहयोगी के नाते माननीय वित्त मन्त्री को, जिन्होंने कि यह बजट पेश किया, उस अनुभव से फायदा उठाना चाहिये था। आज सवा दो करोड़ रुपये की पूंजी जो प्राइवेट उद्योगपतियों को दी गई है, उनको केवल यही नहीं और भी कई प्रकार की रियायतें दी गईं, बिजली की रेट्स में भी काफी सहूलियतें दी गईं, लगभग मुफ्त में जमीन दी गई, पानी दिया गया, इनकम टैक्स में भी रियायत दी गई, ऑक्ट्रॉय ड्यूटी में भी उनके लिये रियायत दी गई, उनके कारखाने तक रेलवे लाइन दी गई, यहां तक जयपुर बैंक की बिल्डिंग तक बनवाने के लिये राज्य सरकार ने मदद दी, लेकिन बावजूद इतनी रियायतें देने के पश्चात भी, मैं आज वित्त मन्त्रीजी से पूछना चाहता हूं कि आपको उनसे एक पैसे की भी प्राप्ति हुई है क्या? आपको यह भी ध्यान में रखना चाहिये कि इस २। करोड़ रुपये के पीछे इन पांच सालों में आपने व्याज भी कितना दिया है उसका एक अल्पांश हिस्सा भी राज्य सरकार को नहीं दिया गया है तो इस सम्बन्ध में क्यों ध्यान नहीं दिया जा रहा है? यह सब होते हुए भी जो समाजवाद की योजना हमारे वित्त मन्त्रीजी ने प्रस्तुत की है जिसका कि जिक्र माननीय मन्त्री महोदय ने किया है वह यह है कि इसके अन्तर्गत नये उद्योग-धन्धे खोले जायेंगे। उसके लिये १ करोड़ रुपये का इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन बना दिया गया।

इस विषय पर अभी दो दिन पहले राजप्रमुख के अभिभाषण के सिलसिले में काफी जिक्र हो चुका है। इस बोर्ड ऑफ डाइरेक्टर्स के अध्यक्ष हैं वही रामनाथजी पोद्दार, जिनका जिक्र इस सदन में काफी हो चुका है राजप्रमुख के भाषण के सिलसिले में। जब ऐसी बातें कही जाती है तो मजाक में यह कह कर उड़ा दिया जाता है कि आखिर इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन का चेयरमेन होगा तो कोई उद्योगपति ही होगा कोई इधर उधर का आदमी थोड़े ही होने वाला है। एक मित्र ने अपने भाषण के सिलसिले में यहां तक भी कह दिया था कि हमने जो कुछ निर्णय लिया है वह सही और सोच समझ कर लिया है। माननीय उपाध्यक्ष, मैं आपके जरिये सदन से निवेदन कर देना चाहता हूं कि हमने तो यहां सन् ५५ में इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन की स्थापना की है, जबकि भारत सरकार ने हम से दो साल पहले ही सारे हिन्दुस्तान के लिये एक इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन बना दिया था और जिसके लिये कायदे भी बना दिये गये थे। इस कॉरपोरेशन के चेयरमेन सर श्रीराम थे। सर श्रीराम ने कॉरपोरेशन के अध्यक्ष के नाते जो कलाबाजियां खेली उसका मैं नमूना आपको दिखाना चाहता हूं। पार्लियामेन्ट द्वारा नियुक्त जांच कमेटी, जिसकी अध्यक्षा श्रीमती सुचेता कृपलानी थीं, द्वारा दी हुई रिपोर्ट को आप मुलाहिजा फरमायेंगे तो आपको मालूम होगा कि इस कॉरपोरेशन के जरिये सर श्रीराम ने अपने इधर उधर के और नजदीकी बैठने वाले रिश्तेदारों को बोर्ड ऑफ

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

चेयरमेन के अध्यक्ष के नाते जो उनको अधिकार प्राप्त थे उनका दुरुपयोग करके बेजा फायदा दिया। ऐसे विशेष अधिकारों की जगह पर अगर किसी को लेजाकर बैठाया जाता है और उसके लिये यह कहा जाता है कि हमको बैंक से, बीमा कम्पनियों से, पूंजी चाहिये तो ठीक है आपको ४६ लाख की पूंजी चाहिये, आप ५१ लाख रुपये तो देने वाले हैं ही, तो यह एक प्रकार अन्डर-राइड पूंजी है। ऐसी स्थिति में पूंजी देने की वजह से ही या पूंजी देने की काबलियत की वजह से किसी आदमी को बोर्ड का चेयरमेन बनाकर बैठा देना कोई न्यायसंगत नहीं होगा। जो कुछ भी वे करेंगे उसका राजस्थान के फाइनेन्स पर असर पड़ेगा। आज १६ लाख रुपया बीकानेर इन्डस्ट्रियल कॉरपोरेशन के अन्दर, जिसके श्री रामनाथजी पोद्दार मैनेजिंग एजेन्ट थे, सरकार का लगा हुआ है। क्या रेकर्ड है उस इन्स्टालमेन्ट्स का? अभी अभी सुगर फेक्टरी को लीज़ पर लेने के पहले १५ लाख रुपये का ब्याज चूकता किया या नहीं, इसकी भी जिम्मेवारी उन पर है।

जयपुर की स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल है, जिसमें केवल स्पिनिंग का ही काम होता है। इस मिल में १७ लाख रुपया राजस्थान सरकार का लगा हुआ है। आज तक उसका पैसा भी रिटर्न नहीं हुआ। इसके भी मैनेजिंग एजेन्ट श्री रामनाथजी पोद्दार हैं। इनको बिजली किन रेट्स पर दी जाती है, दूसरी इन्डस्ट्रीज़ के मुकाबले में, इस बारे में जब प्रश्न किया गया तो उसके उत्तर से पता चला कि इनको दूसरी इन्डस्ट्रीज़ के मुकाबले में ६ पैसे युनिट के हिसाब से बिजली दी जाती है जिसका रिटर्न भी सरकार को एक पैसा भी नहीं मिला। अभी अभी उनकी ओर से एक दरख्वास्त आई है जिसमें उन्होंने सरकार से ब्याज की दर कम करने को लिखा है। यह दरख्वास्त सरकार के सामने मौजूद है। १६ लाख रुपया बीकानेर का और १७ लाख रुपया जयपुर स्पिनिंग एन्ड वीविंग मिल; इस प्रकार ३६ लाख रुपये के करीब इन सेठजी में सरकार का निकलता है जिसमें से कुछ भी रिटर्न सरकार को नहीं मिला......

**एक माननीय सदस्य**—जयपुर बैंक में भी तो है?

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) उसमें जो पैसा लगा हुआ है उसके डिवीडेन्ड के रूप में तो कुछ आता है। क्या आपकी ओर से इस ३६ लाख रुपये की वसूली के लिये कोई कार्यवाही की गई? ठीक है आपके कहने के मुताबिक उनके पास पैसा है, वे पूंजी लगाने को समर्थ है, कई कम्पनियों के वे मैनेजिंग एजेन्ट हैं, कई बोर्ड्स के डाइरेक्टर भी हैं, उनमें काबलियत है, और उस काबलियत की विशेषता यह है कि जिन कम्पनियों में सरकार का पैसा लगा हुआ है उन व्यवसायों में उनको मुनाफा नहीं होता। यह एक काबलियत का नमूना है। अगर आज उसकी जगह उनका खुद का पैसा ३५ लाख लगा होता तो हम देखते कि कैसे उनको मुनाफा नहीं होता, किस प्रकार वे इतने रुपये को पांच साल तक पड़ा रखते; तो इस प्रकार इतनी बड़ी पूंजी पड़ी रखकर कौनसा उद्योग पनप सकता है? बीकानेर की शक्कर फेक्टरी बन्द हो गई, जयपुर स्पिनिंग एण्ड वीविंग मिल में कोई मुनाफा नहीं है। यह है उनके औद्योगिक क्षेत्र में प्रगति के नमूने और सरकार क्या इसी आधार पर उनको इन्डस्ट्रियल फाइनेन्स कॉरपोरेशन का चेयरमेन बनाती है? सरकार अपने पैसे के रिटर्न की हालात को ही देख ले। ऐसी स्थिति होते

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

हुए भी यदि राजस्थान सरकार सोचती है कि हमने राजस्थान की उन्नति की दृष्टि से इन महाशय को कॉरपोरेशन का चेयरमेन नियुक्त किया है तो मुझे कुछ कहना नहीं। आप इनके अलावा किसी अन्य व्यक्ति को भी रख सकते थे। अगर आप इसी प्रकार एक करोड़ रुपया इन सेठजी को समर्पित करना चाहते हैं तो मैं आज आपको चेतावनी देना चाहता हूं कि इन रुपयों की वही हालत होगी जो आज इन ३६लाख रुपयों की हो रही हैं। यह निश्चित मानिये; आज नहीं तो कल, कल नहीं तो परसों आप स्वयं को यह अनुभव हो जायगा और सरकार को अपनी गलती, कुबूल करनी होगी। जिस प्रकार सवा दो करोड़ रुपया इधर उधर लटका हुआ है वैसा ही हाल इन रुपयों का भी होगा।

सवाई माधोपुर की सीमेन्ट फेक्टरी को सरकार द्वारा ७५ लाख रुपया दिया गया है। माननीय मंत्रीजी बताने की कृपा करेंगे कि उसमें से कितना पैसा रिटर्न हुआ आज तक? यह रुपया जो डालमियां कन्सर्न को दिया गया उसमें से कितना रुपया आपके पास आया है? आज जिस फेक्टरी से रोजाना ५०० टन सीमेन्ट का उत्पादन होता है वहां मुनाफा नहीं दिखाई देता! इन सब चीजों पर गौर करते हुए हमें इस ओर सतर्कता से कदम रखना चाहिये। यह हमारा एक आमदनी का अच्छा सीगा है, जिसका यह हाल है। आज जितना रुपया इसमें लगा हुआ है उसका ब्याज तक नहीं मिल रहा है।

दूसरा एक आमदनी का सीगा है, जिससे हमें थोड़ी आमदनी हो सकती है अगर हम मुस्तैदी से काम लें और मैं अब आपका ध्यान उस ओर आकर्षित करना चाहता हूं। पिछले साल पब्लिक अकाउन्ट्स कमेटी ने अपनी रिपोर्ट में इस बात का उल्लेख किया था कि सरकार के जो अलग अलग महकमें हैं उन महकमों के लोगों से पैसा वसूल करना है, बकाया लेना है, जिसकी तादाद भी करोड़ों पर जाती है।

पिछले साल की उस पी. ए. सी की रिपोर्ट के अन्दर दर्ज आंकड़ों पर अगर आप गौर फरमावें तो आपको मालूम होगा कि अकेले बिजलीघर विभाग की १,१८ लाख रुपयों की वसूली बाकी है। यह ११८ लाख की वसूली अकेले बिजली घर की ५३ के अन्त तक की है।

राजस्थान सरकार हर साल अपना बजट पेश करती है तब कहती है कि यह बिजलीघर में घाटा है, अब यह घाटा कैसे है इस पर तो बाद में जिक्र करूंगा अलग से, पर उस घाटे की विचित्रता यह है कि साल भर में राजस्थान के बिजलीघरों को चलाने का खर्चा जो है वह १,१८ लाख है और सन् ५३ के मार्च के अन्त तक ११८ लाख रुपया बिजलीघरों का बकाया है वसूल करने के लिए और अब तो वह वसूली की रकम और भी बढ़ गई होगी और मेरा तो खयाल है कि करीब करीब सवा करोड़ या इससे भी ज्यादा पहूंच गई होगी। तो साल भर में यह विभाग जितना अपने बन्दोबस्त में खर्च करता है उससे भी कहीं बहुत ज्यादा रुपया तो वसूली में फंसा पड़ा है। और फिर यह वसूली किस में बाकी है? कोई छोटा मोटा कन्जूमर होता तो दो-तीन महीने में वसूल कर लेते। अगर देर करता तो बिजली बन्द कर देते और नतीजा यह होता कि उसे अपना बकाया देना ही पड़ता है। पर बड़े लोगों की बात जुदा है। इनको तो और भी करोड़ों रुपया सौंपा जा रहा है। इनमें से एक तो बड़े हैं जे. पी. श्रीवास्तव साहब। वे अब तो नहीं हैं इस दुनिया में, पर उनकी मिल अभी है। ८॥ लाख तो

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

केवल उनका ही बाकी है। आइस फैक्टरी जोधपुर, का काफी बाकी है, और राजाओं का बाकी है लाखों रुपया। एक-दो नहीं, लाखों रुपया। अब हमारी यह इतनी इफीसियेन्ट सरकार है कि जिस तरह पिछले साल पी. ए. सी. ने कहा था कि राजस्थान तो ४६ में बनी और आपने यह तय किया था कि राजाओं को मुफ्त में बिजली और पानी कितना देना है तो उसकी लिमिट तय कर दें। तो कहते हैं कि इस पर हमारा विचार चालू है, शीघ्र चल रहा है, शीघ्रातिशीघ्र चल रहा है पर चार साल के बाद तक भी राजस्थान सरकार यह तय नहीं कर पाई कि जयपुर, जोधपुर और बीकानेर के राजाओं को कितनी बिजली मुफ्त दी जानी चाहिये। नतीजा यह होता है कि जितना देना है वह तो देना है, पर बाकी जितना रह जाता है उसका एक टका वसूल नहीं होता। अगर ऐसी स्थिति नहीं है तो माननीय मन्त्री महोदय बतावें और अगर निर्णय ले लिया है तो इसकी सूचना बतावें, नहीं लिया तो ४ करोड़ का घाटा जिस सरकार का हो रहा है उसको अपने दिल में खयाल नहीं आता कि अरे बाबा इतना लाखों रुपया पड़ा है, वसूल करने का क्या ? पी. डब्ल्यू डी. और वित्त मन्त्रीजी एक दिन अपने आपको ताले में बन्द करके एक कमरे में बैठ नहीं जाते तब तक के लिए जब तक कि लिमिट नहीं इसकी तय कर देते। तय करने के बाद ही बाहर निकलें। चार-चार साल तक घसीटते ले जाते हैं और कहा जाता है कि हमारी सरकार तो कल्याणकारी राज्य कायम करने जा रही है, कल्याणकारी राज्य की बड़ी लम्बी-चौड़ी दुहाई दी जाती हैं, पर सही माने में आप किसका कल्याण कर रहे हैं, यह आपकी हरकतों से साफ है, आप कल्याण कर रहे हैं, लाखों रुपया जिन्होंने सरकार का दबा रक्खा है उनका। नतीजा यह होता है कि कोटा के महाराजा जो हैं उनकी यह स्थिति हो गई कि हालां कि ऐसी कोई फेसीलिटी थी नहीं उनको उनकी कोई मियाद नहीं थी बिजली लेने की, पर उनके द्वारा भी बिजली ली गई। तीन-चार साल के बाद जब बकाया रुपया मांगा गया तो उन्होंने कहा इतने दिन नहीं मांगा और अब मांग रहे हैं तो यह तो बड़ी गड़बड़ हो गई, गोलमाल और घोटाला हो गया, इसकी पूरी पूरी जानकारी तो फाइनेन्स मन्त्री महोदय और सेक्रेटरी महोदय दे पावेंगे पर मैंने जहां तक सुना है गोलमाल चलते चलते यह हो गया कि सन् ५२ के पहले का सब बकाया माफ, इसके बाद के बिल लगेंगे। मैं पूछता हूं यह किस आधार पर ? क्यों किया ? कोई इसकी सूचना नहीं है। तो मैं यह अर्ज करना चाहूंगा माननीय उपाध्यक्षजी, कि इसकी तफसील में इस समय न जाते हुए अकेले बिजलीघर का करीब सवा करोड़ रुपया और अलग अलग दूसरे सभी विभाग हैं, सफाई को ही लीजिये; इसका भी लाखों रुपया लोगों में बाकी है, और दूसरी बात जाने दीजिये। पर सरकार अपनी बिल्डिंगें दूसरों को किराये देती है, उनका भी रुपया बाकी है। सिनेमा किराये पर दिया उसमें लाखों रुपया बाकी है। और राजस्थान सरकार के बड़े बड़े मकान भारत सरकार ने किराये ले रक्खे हैं तो उनका भी किराया बाकी है। हालत यह है कि आज जितना रुपया राजस्थान सरकार का इधर उधर से लेना है वह वसूल करे और जो कर्जा दे रक्खा है कि जिनका ऑडिट रिपोर्ट तक में जिक्र है; मैं अभी एक मिनिट में उधर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा, उनको वसूल करने के लिए अगर सरकार भरपूर दिलचस्पी से काम करे तो लगभग पांच-छः करोड़ रुपया राजस्थान सरकार का उसके हाथ में आ सकता है, और कुछ नहीं तो वह इम्पीरियल बैंक का ओवरड्राफ्ट तो कम करे और कुछ नहीं तो २२ लाख, २३ लाख सालाना ब्याज का तो बचेगा जो किसी गरीब के काम में आवेगा। लेकिन अपना रुपया तो पड़ा है वसूल करना बाकी, और बैंक से

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

ब्याज पर कर्जा ले रही है यह हमारी सरकार और फिर वित्त मन्त्रीजी कह रहे हैं कि भाई हम तो चार परसेन्ट का ब्याज देते थे, वह अब सवा तीन का ही देते हैं; यह कम कराने की हमने बहादुरी की है। बहुत अच्छी बात है सवा तीन परसेन्ट का ही देते हैं, पर इसका जवाब दें कि आपका रुपया बाकी पड़ा है तो ब्याज किस बात का देते हैं। इसकी वसूली क्यों नहीं करते ? इसका कोई जिक्र वित्त मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में नहीं किया और मैं मानता हूं कि इस वजह से भी राजस्थान की आर्थिक स्थिति पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ा है।

उपाध्यक्ष महोदय, अब दूसरी और एक महत्वपूर्ण चीज़ की ओर आपका ध्यान में आकर्षित करना चाहूंगा और वह है इस बजट के शुरु में ही जिसका नाम रक्खा है इन्टरेस्ट चार्जेज़ उसकी ओर, और राजस्थान की असली आर्थिक स्थिति का अगर आप चित्र देखना चाहें तो वह चित्र आपको इस इन्टरेस्ट चार्जेज़ के आंकड़ों में देखने को मिलेगा। मैं इसकी वाल्यूम नम्बर २ के पेज ४६ की ओर आपका ध्यान आकर्षित करूंगा कि जिसके अन्दर बैंक्स से लिया हुआ यह कर्जा है जिस पर करीब २६ लाख रुपये का ब्याज का प्रोवीजन है २८,७५,००० रु०। भारत सरकार से जो पैसा दिया हुआ है उस पर २३ लाख का प्रोवीजन है और प्रोवीडेन्ट फण्ड का रुपया जमा है वह भी इधर उधर खर्च होता ही है, राज के काम में वह भी कर्जा समझ कर इसके भी ब्याज का प्रोवीजन है और अब तो कम्पलसरी इन्श्योरेन्स कर रक्खा है; वह पैसा तो साथ-साथ आता जावेगा लेकिन देने की लाएबिलिटी भी साथ साथ होती जावेगी। तो इसके लिए भी ब्याज का प्रोवीजन करना पड़ेगा। ऐसे ही मिलाकर हकीकतन तो ६० लाख रुपया ब्याज का होता है। ६० लाख रुपया ब्याज का अगर दिखावें तो विधान सभा में और राजस्थान की आम जनता के सामने लोग देखेंगे कि यह तो बहुत जोरदार सरकार है, करोड़ों की बात करती है, मूल में नहीं ब्याज में। ६० लाख ब्याज की बात करती है तो यह तो बहुत मालदार और अच्छी चलने वाली सरकार होनी चाहिये। तो फिर विन्डो-ड्रैसिंग शुरु किया। २७ लाख ८० हजार ट्रान्सफर कर दिया कमर्शियल डिपार्टमेन्ट को। अब यह अजीब स्थिति है। कमर्शियल डिपार्टमेन्ट को ट्रान्सफर तो कर दिया पर हाल उसका यह है कि पहले से ही वह घाटे में है सो अलग। डेप्रिसियेशन प्रोवीजन जो है उसका भी ट्रान्सफर हुआ है यह अलग और भाखरा का भी जो कुछ ट्रान्सफर हुआ है जिनका कैपिटल अकाउन्ट रक्खा जाता है तो यह दस लाख भाखरा का ट्रान्सफर हो गया।

अब जो जमीन पांच लाख की सोची गई है, उसको नीलाम करके उसकी बोली लगाकर मालूम नहीं करोड़ों रुपया ले लिया जाता है, तो नतीजा क्या होता है ? यह ब्याज का सीगा लगातार बढ़ता जाता है। इसलिये कि जितना हमारा कैपिटल खर्चा हो रहा है वहां कैपिटलाइज़्ड वेल्यू इसकी बहुत कम है। मैं आपको बताऊं भाखरा का यहां बार बार जिक्र होता है। इतना पानी आया है, उसका इतना आवेगा, इसके बारे में आपका खयाल नहीं है, ऐसा कहा जाता है, आप तारीफ नहीं करते यह भी कहा जाता है। पर में कहता हूं इसकी हम जरूर तारीफ करते हैं। पानी अगर किसान को मिलेगा तो हर आदमी इसको पसन्द करेगा और कहेगा कि बहुत अच्छी बात हुई। पर इस प्रोजेक्ट का खर्चा कितना हो रहा है, राजस्थान सरकार इसकी पार्टनर बनी बैठी है इसके बारे में भी आपने कभी विचार किया है ? जितना शुरु का अन्दाज है उसका लगभग दूना खर्च हो रहा है। क्या मालूम है राजस्थान सरकार को कि भाखरा के अन्दर जो अमेरिका से एक टेक्निकल एडवाइज़र एक्सपर्ट के

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

रूप में बुलाया गया है उसको भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड इतनी तनख्वाह देती है कि उसकी यह तनख्वाह अमेरिका के राष्ट्रपति को जो मिलती है उससे भी ज्यादा है। It is more than the President of the United states of America. अगर आपस में टन्टा हो जावे तो हिन्दुस्तान के किसी कोर्ट में मुकद्दमा नहीं चलेगा। चार साल के बाद छुट्टी दे देंगे, आने-जाने का हवाई जहाज का डबल किराया देंगे, काम करे तो भी फीस, नहीं करे तो भी फीस, ऐसा एग्रीमेन्ट भाखरा कन्ट्रोल बोर्ड ने कर रक्खा है, जिसका राजस्थान सरकार पर भी असर पड़ेगा ही और करोड़ों रुपया खर्च हो जावेगा। बाद में इसकी कैपिटलाइज़्ड वेल्यु देखेंगे तो इतनी आमदनी आने वाली नहीं है। इसके बारे में क्या करेंगे आप?

रिहैबिलिटेशन का करोड़ों रुपये का लोन है। भारत सरकार ने करोड़ों रुपया कर्ज दिया है और वह कैसा कर्जा है इसका तो ऑडिट रिपोर्ट में जिक्र है। उदयपुर में प्रतापनगर के पास एक कॉओपरेटिव सोसायटी थी, भोपाल कॉआपरेटिव सोसायटी के नाम से। इसको लगभग ३५ लाख रुपया कर्जा का दिया हुआ है और वह मकानात बनाने के बजाय और तरह तरह के कामों पर खर्च हुआ है।

आज स्थिति जो है वह और है। जो कर्जा दिया था उस कर्जे में से वापिस एक टका भी नहीं आया है।

यहां जयपुर के अन्दर हाउसिंग सोसाइटीज़ जो हैं उनकी जांच करवाये, माननीय मंत्रीजी। ऑडिट रिपोर्ट में दर्ज है, फिर भी उसकी जांच नहीं होती हैं। रुपया दिया, माननीय उपाध्यक्षजी, यह कह कर कि आपको सारा रुपया दे दिया जाता है उसको एक साल के बाद वापिस रिटर्न करना शुरू कर देगें। उन्होंने कहा कि कर देगें। मंत्री महोदय, ने एक ड्राफ्ट एग्रीमेंट तैयार किया, उस ड्राफ्ट एग्रीमेंट में यह लिखा है कि जब वह लोन १-४-५० को या १-४-५१ को पूरा हो जाता है तो उसके एक साल बाद में वापिस लौटाना चाहिए, लेकिन हुआ क्या? साइक्लोस्टाइल से जो मोर्टगेज डीड तैयार हुआ है सरकार के विभाग में उसके अन्दर और किया हुआ है और जो साइन किया गया है उसके अन्दर और है। ऑडिट रिपोर्ट जो की गई है उसमें लिखा है कि सरकार ने जो मन्जूर किया है मोर्टगेज डीड वह यह नहीं है और दूसरा ही साइन कर दिया गया है। नतीजा यह हुआ कि उसमें यह लगा दिया गया है कि पेमेन्ट लास्ट इन्स्टालमेंट के एक साल के बाद शुरू होगा। अब उस सोसाइटी को ६लाख का कर्जा दिया। उसने ५,८५,०००) रु० तो ले लिये और १५,०००)रुपये छोड़ दिये। सरकार वापिस लेना चाहती हैं कि हमें रुपया वापस दो तो वह कहते हैं कि यह आपका लिखा हुआ है कि लास्ट इन्स्टालमेंट लेने के एक साल के बाद पेमेंट शुरु होगा तो लास्ट इन्स्टालमेंट लिया नहीं इसलिए शुरू हुआ नहीं........

**श्री खेतसिंह**—ओन ए प्वाइन्ट ऑफ एक्सप्लेनेशन, सर, टाइम की भी लिमिट हैं या वे ही जारी रखेगें।

( श्री अध्यक्ष पदासीन )

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—एक दो प्वाइन्ट और अर्ज करूंगा, मैं कट शोर्ट कर देता हूं।

**अध्यक्ष**—But then I should fixup the time limit now.

**श्री खेतसिंह**—एक घन्टा और २ मिनिट हो गये हैं।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—१०, १५ मिनिट और दे दिये जांय।

**श्री अध्यक्ष**—Not 15, but 10 minutes.

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) Now I go at a quick speed. मैं यह अर्ज कर रहा था कि मैं इस सब तफसील में न जाना चाहूंगा। समय को बचाना चाहता हूं और केवल बहुत ही महत्वपूर्ण बातों का जिक्र यहां करता हूं। इस प्रकार से जो कर्जा दिया वह वहां से आता नहीं और ब्याज और उल्टा दिया जाता रहा है। यह स्थिति है।

जो आमदनी के सीगे हैं उनके बारे में तफसील से जिक्र नहीं करते हुए मेरे दूसरे मित्रों ने जो कहा है उन्ही को दोहरा देना चाहता हूं। खनिज विभाग और बिजलीघर विभाग में, दोनों में, अगर सरकार ध्यान दे तो वहां घाटा होने के बजाय मुनाफे से बिजलीघर चलेंगे, और खनिज विभाग में जो लाखों की आमदनी होती है वहां करोड़ों की आमदनी होगी। यह चीज़ तफसील से कटमोशन के वक्त आकड़ों सहित बताऊंगा। अब हम इस मसले को एक दिन के लिए थोड़ा अलग रख दें तो भी आमदनी नहीं बढ़ी। कोशिश की सरकार ने, लेकिन आमदनी नहीं बढ़ी, तो खर्चा तो कम करें। मुझे तो यह देखकर ताज्जुब हुआ कि सरकार जिन माननीय मित्रों के सहयोग की प्रार्थना करती है और राजस्थान की जनता के सहयोग की बराबर प्रार्थना करती है, उन लोगों ने आप लोगों को सहयोग दिया है। इस सदन की जो प्राक्कलन समिति, एस्टीमेंट्स कमेटी है, जिसके अन्दर इस सदन के उधर बैठने वाले और इधर बैठने वाले सब तरफ के माननीय सदस्य हैं, उन्होंने सहयोग दिया है। लगभग ३० लाख रुपये का खर्चा कम किया जा सके, उसके बारे में सुझाव दिये है। सहयोग की प्रार्थना करने वाले मित्रों से यह जवाब चाहता हूं कि यह जो सहयोग मिला है उसकी कद्र क्या हुई है?

आपने क्या उन सिफारिशों में से एक भी सिफारिश को माना है, चाहे वह मोटर से सम्बध रखने वाली हो, चाहे वह राजप्रमुख, महाराजप्रमुख या उपराजप्रमुख से सम्बन्ध रखने वाली हो। आपने एक भी सिफारिश को नहीं माना है। तो आमदनी के जरिये में कोई चीज नहीं तो खर्च कम करने के बारे में कोई कदम नहीं उठाया। आपका रुपया लोगों में पड़ा है उसको वसूल करने का कोई प्रयत्न नहीं और फिर हम कहते हैं कि हम तेज़ी से आगे बढ़ रहे हैं, भयभीत होने का कारण नहीं; मगर यह होगा कि भविष्य में और कोई मंत्रीमंडल आयेगा और अपने आप सम्हालेगा। भारत सरकार ने डेढ़ करोड़ का एडवान्स देने के लिए मन्जूर कर लिया। मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहूंगा कि जो बातें मैं कह रहा हूं वह न सिर्फ महत्व की हैं लेकिन इस तरह सरकार का नुकसान हो रहा है, हर चीज़ में उसको बताने के लिए है।

कल ही मेरे एक मित्र कह रहे थे स्टोर्स पर्चेजेज़ के बारे में, स्टोर्स पर्चेजेज के बारे में काफी तफसील में न जाकर मैं सदन का ज्यादा समय नहीं लूंगा। स्टोर्स पर्चेजेज़ में जैसी एक विशेष स्थिति में भ्रष्टाचार होता है, तो उसी राज्य के अलग अलग हिस्सों के अन्दर वैसी

[श्री हरिकृष्ण व्यास]

स्थितियां मौजूद हैं; तो उससे बड़ा भारी नुकसान होता है। उसको दूर करने के लिए क्या किया जाय ? एक बोर्ड बिठाया जाय। अब यह बोर्ड क्या कारगुजारी करता है, इसका नमूना बोर्ड का काम शुरू होने के बाद में हमारे सामने आयेगा, लेकिन उस दिन माननीय मुख्य मंत्रीजी बड़े जोश के साथ बोल रहे थे कि कोई ऐसी बात हो तो वे बाकायदा जांच करेंगे। तो मैं आपके जरिये उनकी सेवा में एक बात रखना चाहूंगा, जिसका ताल्लुक कुछ वर्षों से होते हुए भी एक बहुत महत्वपूर्ण घटना से है, जिस घटना का नाम रखा गया है, टेक्स्ट बुक कमेटी कान्ड। शिक्षा विभाग में कमेटी तय हुई थी और उसका कान्ड इसलिए बन गया कि उसमें एक आदमी गिरफ्तार भी हुआ है। इतना ही नहीं यह भी पता चला है कि जो सीक्रेट कोड पुस्तकों के बारे में तैयार किया गया था वह आउट होगया और उस पर सिफारिश बाजी हुई, दबाव शुरू हुआ। मंत्री महोदय से पूछते हैं कि ऐसी बातें हुई क्या, तो पहले इन्कार किया जाता है। उनसे कहते हैं तो वे कहते हैं कि हमारे सामने कोई निश्चित चीज़ नहीं आई, चीज़ आये तो जांच करायेंगे। तो मैं प्रस्तुत करता हूं; ऐसी ही एक चीज़ प्रस्तुत करता हूं, हाथ से लिखी हुई चीज़ है। कोई फोटो या टाइप किया हुआ नहीं है जिससे कि वह कह सकें कि मजमून पहले लिखा गया था और दस्तखत बाद में रखकर फोटो ले लिया। वह पत्र आपको पढ़कर सुनाता हूं। हमारे इस सदन में बैठे हुए माननीय मित्र का लिखा हुआ है। आप उसको सुनते ही पहचान जायेंगे कि असलियत क्या है। जयपुर का यह पत्र है। जयपुर से लिखा हुआ है।

"My dear Director Sahib, ( Director of Education )

Kindly keep in view Book No. 31 ( Hindi Primer ) for Class I published by Frontier Publications.

Mathuradas
10-1-53."

**एक माननीय सदस्य**—यह चिट्ठी आप कहां से लाये ?

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) किसी को यह पूछने का क्या अधिकार है कि यह चिट्ठी कहां से लाये हैं ? यह कोई टाइप की हुई चिट्ठी नहीं है कि जिसके बारे में कहा जाय कि चिट्ठी टाइप करके फोटो से दस्तखत बनाये गये। यह चिट्ठी हाथ से लिखी हुई है और टेक्स्ट बुक्स के बारे में बार बार जब जांच की गई थी तब यह कहा गया था कि अभी तक एडॉप्ट नहीं हुई हैं, तब फिर ये कोड नं० जिन्हें डिपार्टमेंट ने स्वीकार किया था उनकी जानकारी मथुरादासजी को कहां से हुई ? उसके आधार पर आप डाइरेक्टर को लिखते हैं कि फलां किताब का ध्यान रखना है। इससे बढ़कर भ्रष्टाचार क्या होगा ? उस समय मंत्रीजी बढ़-बढ़ कर बातें कर रहे थे कि हमारे सामने कोई सच्ची बात लाई जाय। जो चिट्ठी अखबार में छपी थी उसके बारे में तो आप जैसा चाहें वैसा कह सकते हैं लेकिन मैं इस बात के प्रमाण तैयार रखता हूं कि जब चाहें तब दिखाने को तैयार हूं। यह मेरे पास मौजूद है इसकी जांच करनी है तो कर लें। मैं चेलेन्ज देता हूं कि यदि यह गलत हो तो मेरे खिलाफ कार्यवाही आप कर सकते हैं। सदन में यदि मैंने गलत इतला दी है तो मैं यह स्वीकार करूंगा कि मुझे यहां से निकाल दिया जाय और यदि यह सच्ची है तो लिखने वाले के खिलाफ सख्त से सख्त एक्शन लिया जाय।

कुं० श्री **जसवन्तसिंह**—फर्जी हो सकती है ।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) हाथ से लिखी हुई फर्जी कैसे हो सकती है ? जिसने लिखा है उसके दस्तखत हैं । यदि कोई जांच करे तो मेरा यह दावा है कि इसमें असलियत है ।

कुं० **श्री जसवन्तसिंह**—लेकिन गलती हो सकती है ।

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) गलती होने की बात दूसरी है । मैं यह चाहता हूं कि जिसका इसमें उल्लेख किया है उसकी जांच की जाय । मैं इस चिट्ठी को सदन के सामने प्रस्तुत करने को तैयार हूं । यदि सदन कोई कमेटी बनाकर जांच कराने को तैयार हैं तो मैं इसको देने को तैयार हूं, लेकिन शर्त यह है कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय । कल से यहां पर बजट पर बहस हो रही है, वाटर बोर्ड, इन्डस्ट्रियल, फाइनेन्शियल कॉरपोरेशन आदि के बारे में कई मित्र यहां खड़े होकर बोले हैं और यहां पर उनकी आलोचना की गई है । इन सबसे पता चलता है कि इनमें गड़बड़ अवश्य है और जवाब यह दिया जाता है कि कोई खास बात हो तो बताई जाय, हम उसकी जांच करेंगे ।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा, ३-४ मिनिट और लूंगा ।

बार बार यह कहा जाता है कि कोई खास बात हो तो बताई जाय । मैंने अभी जो बात बताई है क्या वह खास बात नहीं है ? क्या यह राजस्थान सरकार और उनके हामी लोगों के लिये खास बात नहीं है ? यह सरकार के खास नजदीकी सहयोगी का मामला है । क्या वे हिम्मत करेंगे कि उनके खिलाफ कोई कार्यवाही की जाय ? यदि वे उनके खिलाफ कार्यवाही करने की हिम्मत करेंगे तो दुनिया उनकी तारीफ करेगी । यदि वे इसमें हिचकिचाहट करेंगे तो दुनिया कहेगी कि ये बढ़-बढ़ कर फालतू की बातें करते हैं और ऐसे लोगों के साथ सांठ गांठ करते हैं । क्योंकि अब समय काफी हो चुका है और अध्यक्ष महोदय ने सूचना दे दी है कि समय की ओर ख्याल रखा जाय, इसलिये अन्त में मैं सिर्फ एक चीज़ का जिक्र करूंगा और उसके लिये सदन की अनुमति चाहता हूं, वह यह कि सब कुछ कहने के बाद इस बजट के बढ़ने की ओर इशारा किया गया है और कहा गया है कि इसका घाटा पूरा करने के लिए हम सेटलमेन्ट पर लेवी लगायेंगे और भाखरा स्कीम के नीचे जो जमीन आयगी उसको नीलाम करके पैसा पैदा करेंगे । वित्त मन्त्रीजी के मुंह से भाषण सुनने के बाद महसूस हुआ कि भूतपूर्व रेवेन्यु मिनिस्टर और वर्तमान मुख्य मन्त्रीजी ने यह कहा था कि प्लानिङ्ग कमीशन ने उनसे कहा कि इस जमीन को बेच दो, लेकिन मेरी यह राय थी कि हम इसे बेचेंगे नहीं बल्कि भूमि-हीन किसानों को देंगे । हम इस तरह का सौदा नहीं करना चाहते हैं, प्रोफिटियरिंग नहीं करना चाहते हैं । उस दिन जोर से कही हुई बात आज वित्त मन्त्री जी के मुंह से निकल गई और उन्होंने कहा कि हम उस जमीन को नीलाम पर लगा देंगे । इस तरह की यदि बात है तब तो गरीब किसानों का कल्याण हो चुका !

[ श्री हरिकृष्ण व्यास ]

शिक्षा के क्षेत्र में ४ करोड़ का बढ़ा चढ़ा कर खर्चा दिखाया है। इसको मैंने रिले नहीं किया है, कट मोशन के समय करूंगा। लेकिन केवल यह कहना चाहता हूं कि बढ़ा चढ़ा कर खर्चा दिखाया गया है। इसका काफी अंश नॉनरेकरिंग है और जो जागीरें ली गई हैं उनका खर्चा भी इसमें शामिल है। पहले से जो प्राइमरी स्कूलें चलती हैं उनका खर्चा भी शामिल किया गया है और अब जो स्कूलें खोलेंगे उनका खर्चा भी इन्क्ल्यूड किया गया है। इस तरह से ४ करोड़ का खर्चा दिखाया गया है। यह राजस्थान के बहुत अधिक लोगों को शिक्षित करने के लिये नहीं है। यह एक सुन्दर बना कर रखा हुआ राजस्थान सरकार का मकान है जिसके बाहर लिखा हुआ है कि आपको सब सुविधाएं प्रदान की जायेंगी। जिस दुकान के बाहर बोर्ड पर लिखा हुआ है कि यहां केवल शुद्ध घी की मिठाई मिलेगी लेकिन अन्दर केवल डालडा ही इस्तेमाल नहीं होता है बल्कि अमरीका से आया हुआ सड़ी गली बटर का डालडा काम में लिया जाता है। ऊपर से इस तरह की बातें करें तो वह कोई सुधार नहीं कहा जा सकता। इस प्रकार के बजट से राजस्थान का कल्याण नहीं हो सकेगा। मैं आशा करता हूं कि सदन मन्त्री जी पर दबाव डाल कर इसमें संशोधन करवाने का प्रयत्न करेंगे।

(विराम)

यह चिट्ठी देनी है क्या ?

**श्री अध्यक्ष**—Of course, if you place it on the table of the House, I will...

**श्री जयनारायण व्यास**—What is the date of this letter ?

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—10-1-1953.

**श्री तेजमल बापना**—अध्यक्ष महोदय, माननीय वित्त मन्त्रीजी द्वारा राजस्थान सरकार का...

**श्री अध्यक्ष**—आप कितना समय लेना चाहेंगे ?

**श्री तेजमल बापना**—मैं १०-१५ मिनिट में समाप्त कर दूंगा।

**श्री तेजमल बापना** ( भाषण जारी रखते हुए )—मैं वित्त मन्त्री महोदय को इस बात की बधाई देना चाहूंगा कि उन्होंने एक बहुत अच्छा बजट सदन के सामने प्रस्तुत किया है। इस बजट की कई मदों में, कई डिपार्टमेन्टस् के लिए, जो कि जन-कल्याणकारी महकमे हैं, काफी बड़ी रकम रखी है। शिक्षा में, मेडिकल और हेल्थ डिपार्टमेन्ट में और दूसरे जो कई डिपार्टमेन्ट्स हैं उनके लिये भी लाखों रुपयों की तादाद में रकम बढ़ाई है, जो बड़ा सराहनीय कार्य है। आज यह बजट २ करोड़ ३९ लाख और २९ हजार रुपयों के घाटे का बजट पेश किया गया है और यह घाटे का बजट इस बात की

[ श्री तेजमल बापना ]

सूचना देता है कि दरअसल में हमारी यह स्टेट काफी प्रगति कर रही है। साथ ही मुझे अफसोस इस बात का है कि घाटे का बजट जो डेवलपमेन्ट स्कीम्स हैं उनके आधार पर नहीं बताया गया है, लेकिन बताया गया है कि जो कस्टम से कम होने वाली आय है उसकी वजह से घाटे का बजट है। हमारे कई मित्रों ने बताया कि कस्टम से घाटा जरूर होगा लेकिन यदि हमारी सरकार कुछ ज्यादा होशियारी से और ज्यादा विजिलेन्ट होकर कुछ ऐसे डिपार्टमेंट्स हैं जो काफी इन्कम कर सकते हैं उनकी ओर ध्यान देती तो काफी प्रगति हो सकती थी। वित्त मन्त्री महोदय ने मंजूर किया है कि हमने काफी तरक्की नहीं की है, लेकिन जब बजट के आंकड़ों में घाटा है तो मुझे ताज्जुब होता है, इस बात को मंजूर करते हुए भी कि वाकई माइन्स डिपार्टमेन्ट ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। हमारे यहां की माइन्स बहुत अच्छी हैं, लेकिन यह डिपार्टमेंट ठीक ढंग से काम नहीं कर रहा है। बजट में इस पर और कमी कर दी गई है। इसमें २ लाख ८ हजार का बजट कम कर दिया है। आज जिस तरह से माइन्स डिपार्टमेन्ट चल रहा है उसको देखते हुए राजस्थान में कोई प्रगति नहीं हो रही है और अब तक इस विभाग में काफी अव्यवस्था रही है। जो इन्कम इससे होनी चाहिये वह ठीक ढंग से नहीं हो रही है।

यदि इस डिपार्टमेंट में दो-चार लाख रुपये बढ़ाये जायं और एफिशियेन्ट स्टाफ इसमें लगाया जाय तो हमारी यह कमी काफी हद तक मिट सकती है, पर अफसोस है कि इसमें दो लाख रुपयों की कमी कर दी गई है; तो किस तरह से उम्मीद कर सकते हैं कि हमारा यह डिपार्टमेंट बढ़ सकेगा।

इसके साथ मैं आपका ध्यान रूरल डेवलपमेंट की ओर दिलाना चाहता हूँ। रूरल डेवलपमेंट में करीब ३६ लाख का घाटा बताया गया है, जो ग्रान्ट नं० २० है। इसमें कुछ आइटम्स बैकवर्ड क्लास के हैं, इसे मिस्लेनियस में लिया है। बैकवर्ड क्लास को निकाला जाय तो भी काफी प्रोविज़न इसमें किया जा सकता है। पर इसकी ओर सरकार का ध्यान नहीं गया है। सरकार इस ओर ध्यान देगी कि रूरल इन्हेबिटेन्ट्स जो हैं उन्हें हर तरह से सरकारी सहयोग की कितनी आवश्यकता है। वह इस बजट में प्रोवाइड की जायगी, इसकी मुझे उम्मीद है। जो स्कीम चल रही है उसमें किसी तरह की बाधा न डाल कर रूरल डेवलपमेंट के काम में प्रगति की जायगी।

माननीय अध्यक्ष, मैं आपके द्वारा माननीय संबन्धित मन्त्री महोदय का ध्यान पी०डब्ल्यू०डी० डिपार्टमेण्ट द्वारा किस तरह काम किया जाता है, किस तरह से एस्टीमेट लगाये जाते हैं, बजट एस्टीमेट में बताये गये आंकडों की ओर आकर्षित करना चाहता हूं। भीलवाड़ा से मांडलगढ़ की सड़क के लिए ४,५४,८००) रुपयों का एस्टीमेट था और इस पर खर्च हो चुका है ४,७२,८००) रुपया। दूसरी सड़क भीलवाड़ा से कांकरोली की है उसके लिए एस्टीमेट था ३,६६,५००) रुपये का और खर्च

[ श्री तेजमल बापना ]

हो चुके हैं ४,२६,६००) रुपया। इस प्रकार एक सड़क में करीब १८,०००) रुपया और दूसरी में करीब ३०,०००) रुपया ज्यादा खर्च हो चुका है, पर अफ़सोस इस बात का है कि अब तक दोनों सड़कें अधूरी पड़ी हैं और ११ माइल का टुकड़ा दोनों सड़कों का इस साल खत्म न होकर आयन्दा फाइव ईयर प्लान में रखा है। जो एस्टीमेट था उससे ज्यादा खर्च हो गया और वे सड़कें अधूरी पड़ी हैं। किस प्रकार ये महकमे काम करते हैं? इस साल और गत साल भी पी० डब्ल्यू० डी० महकमे की काफी आलोचना की गई! इसे कई उपाधियां भी दी गई हैं कि इस विभाग में बहुत गड़बड़ियां होती हैं और कोई काम नहीं होता है। उपरोक्त छानबीन की जाय और जांच की जाय कि इतना हजार रुपया ज्यादा खर्च कैसे हुआ।

बजट में इस साल भीलवाड़ा टाउन रोड के लिए ७३,०००) रुपया रखा है और इसके लिए आयन्दा साल के बजट में कुछ भी नहीं रखा है। इसके सम्बन्ध में मैं माननीय अध्यक्ष, आपके जरिये मन्त्री महोदय को सूचना देना चाहता हूं कि इस साल इस टाउन रोड पर एक पैसा भी खर्च नहीं हुआ है, फिर आयन्दा साल क्यों नहीं रखा जायगा? इस सम्बन्ध में मैं मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे अपने भाषण में इस पर प्रकाश डालें।

अब मैं रेवेन्यू डिपार्टमेंट की ओर भी आपके जरिये सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। भीलवाड़ा जिला में मेजा-डेम कुछ तैयार हुआ है और उसमें इस साल दो गांव तो डूबने वाले हैं। वहां के वासिन्दों को दूसरी जगह बसाना व कम्पेन्सेशन देना यह जरूरी काम है। जिला कलेक्टर की ओर से इस सम्बन्ध के कागज़ात तीन महीने हुए यहां सेक्रेटेरियेट में भेज दिये गये हैं, गांव उधर डूब रहे हैं पर उनको दूसरी जगह बसाने व कम्पेन्शन देने की एडमिनिस्ट्रेटिव सेंक्शन अभी तक जिला कलेक्टर के पास नहीं पहुँची है। वे गांव डूब जायेंगे और यह ऑर्डर नहीं पहुँचेगा तो मुझे बड़ा अफसोस होगा कि किस तरह हम जन-कल्याणकारी कार्य की ओर जा रहे हैं। मैं मन्त्री महोदय से अर्ज करूंगा कि यदि इस सम्बन्ध में अभी आर्डर वहां नहीं पहुँचा है तो जल्दी पहुँचाने की कोशिश करें।

लेंड एक्वीज़ीशन ऑफीसर हमारे यहां मुकर्रर हो गया पर कोई आदमी उसको नहीं दिया गया, उसके कोई स्टाफ का पता नहीं। उनकी ३१ मार्च की मियाद खत्म होने वाली है पर अभी तक कौन कौन से गांव उठने वाले हैं, उन गांवों के वासिन्दों को कहां बसाना है, इस सम्बन्ध में एक पैसा भर भी काम नहीं हुआ है और यहां कागज़ात सेंक्शन के लिए आते हैं, वे सेंक्शन होकर वापिस वहां नहीं जाते तो किस तरह यह काम होगा? इस तरह ढिलाई से काम नहीं होना चाहिए।

इसके साथ मैं एज्युकेशन डिपार्टमेंट की ओर भी अध्यक्ष महोदय, आपका ध्यान आकर्षित

[ श्री तेजमल बापना ]

करूंगा। एज्युकेशन डिपार्टमेंट काफी तरक्की कर रहा है। दो-तीन वर्ष से लाखों रुपये इसके बजट में बढ़ाये जा रहे हैं, पर भीलवाड़ा जिले की ओर इस डिपार्टमेंट का कोई ध्यान नहीं है, ऐसा मैं निवेदन करता हूं। हाई स्कूल की बिल्डिंग एक सेठ के द्वारा बनाई गई थी। ईयर बिफोर लास्ट काफी अधूरी छतों की तैयारी करा दी गई, पर हाई स्कूल की सेंक्शन भी अभी यनिवर्सिटी से नहीं हुई, वहां इन्टर कॉलेज़ भी ४-५ वर्ष से खुल गया जो बराबर हड़ताल करता है कि सेंटर हमारे यहां होना चाहिए, बिल्डिंग में बढ़ोतरी की जाय, वह मांग भी पूरी नहीं होती है, इन्टर साइन्स नहीं खोली जाती है। मुख्य मन्त्रीजी भीलवाड़ा दो-तीन दफा पधारे हुए हैं, जो स्थिति से पूर्णतया परिचित हैं पर इस ओर ध्यान नहीं दिया गया, जो यहां पर सब इन्टर कॉलेज़ के मुकाबिले में ज्यादा यानी २०० छात्र इन्टर-मीजिएट क्लासेज़ में पढ़ रहे हैं फिर भी यह निग्लेक्ट किया जा रहा रहा है और इस प्रकार ध्यान नहीं दिये जाने की व्यवस्था जो है इस ओर माननीय मन्त्री महोदय ध्यान देंगे।

इसके साथ साथ एक और बात की ओर ध्यान दिलाने की कोशिश करूंगा कि स्पोर्ट्स के बारे में भारतवर्ष तरक्की कर रहा है। इसके लिए जो एसोसियेशन है उनको एन्करेज किया जा रहा है। मध्य भारत और पेप्सू ने स्पोर्ट्स के लिए स्पेशल पोर्टफोलियोज़ मुकर्रर किये हैं खेलों में काफी प्रगति करने की कोशिश की जा रही है, जिससे हमारे यहां नवयुवकों की तन्दुरुस्ती, एबीलिटी और एक्टिविटी बढ़े, परन्तु राजस्थान सरकार इस ओर ध्यान नहीं दे रही है।

मैंने माननीय शिक्षा मन्त्री से भी इस सम्बन्ध में चर्चा की है और उन्होंने आश्वासन दिया है कि आज जो स्पोर्ट्स की नेशनल बॉडी है उसके आधार पर राजस्थान की एक बॉडी बनाई जावे। इस सम्बन्ध में शायद वे विचार भी कर रहे हैं कि राजस्थान में स्पोर्ट्स व गेम्स में तरक्की की जाय। इस सम्बन्ध में मैं एक पेपर का कटिंग जो मेरे पास है उसको अगर आप मुनासिब समझें तो पढ़ कर सुना दूं जो ४ फरवरी, सन् १९५५ का है।

वह इस प्रकार है :—

"A portfolio for sports has been created by the PEPSU State. This is the second State in India, Madhya Bharat being the first. A provision of Rupees One Lac is understood to have been made in the State Budget for the next financial year."

तो क्या मैं उम्मीद करूं माननीय शिक्षा मंत्रीजी से कि इस संबंध में हमारी सरकार भी काफी आगे बढ़ेगी। यहां पर अभी-अभी फिल्मी कलाकारों के खेल का दो-तीन रोज प्रोग्राम रहा है। जो ऑलम्पिक गेम्स हैं, उनमें राजस्थान की कोई बॉडी नहीं है। राजपूताने की बॉडी अजमेर में है। क्यों

[ श्री तेजमल आपना ]

नहीं हम अपनी इन्डिपेन्डेन्ट बॉडी राजस्थान की बनावें जिसमें सरकार भी सहायता दे। इसके साथ-साथ माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं थोड़ा सा ध्यान आपका पुलिस विभाग की ओर आकर्षित करूंगा। पुलिस विभाग में एन्टीकरप्शन विभाग है। इस संबंध में एक प्रश्न पूछा गया था उसका जवाब आज माननीय मंत्रीजी ने दिया है। उसका बजट अगर हम देखते हैं तो पता चलता है कि एक तरफ तो हम कहते हैं कि भ्रष्टाचार काफी बढ़ रहा है और काफी जगह बढ़ रहा है, उसको हमें रोकना है, लेकिन उधर बजट की ओर देखेंगे तो उसमें जो स्पेशल ऑफिसर यानि सुप्रिन्टेन्डेन्ट पुलिस है उसका पहले प्रोविजन था ६१५० रुपया। उसको घटा कर अब ५६०० रुपये रख दिये हैं। मैं यह कहूंगा कि अगर इस विभाग को केवल एक मखौल की तरह रखना है तो इसको रखना कोई विशेष महत्व नहीं रखता क्योंकि आज सरकार का कोई भी महकमा ऐसा नहीं है जिसमें भ्रष्टाचार नहीं चलता हो। शिकायत होती हैं। हम चाहते हैं कि एक इन्डिपेन्डेन्ट आई. जी. पी. के मुकाबले का अफसर इस पर रहे। तभी हम उम्मीद कर सकते हैं कि अच्छा काम होगा। अगर अच्छी तनख्वाह का आदमी सरकार रखेगी तो वह काफी दिलचस्पी से काम करेगा। इस प्रकार के एन्टीकरप्शन ब्रान्च से हम क्या उम्मीद कर सकते हैं ? वे खुद करप्शन में शामिल नहीं हो जावें। इसका पूरा खतरा है, इसलिये मैं माननीय मंत्री महोदय का ध्यान आकर्षित करूंगा कि इसमें बड़ा व ईमानदार जो आदमी हो, उसे लिया जावे।

आज हम देखते हैं कि काश्मीर में करप्शन बिलकुल खत्म हो गया। चीन की ओर देखें तो आपको मालूम होगा कि वहां भी करप्शन नाम मात्र के लिये नहीं रहा है। चीन के लिये तो मैं यह कहूंगा कि वहां पर विशेष ढंग से काम लिया गया है। मगर काश्मीर की मिसाल हमारे सामने है। उसका अनुकरण क्यों न करें ? हमें तो इस बात की व्यवस्था करनी है कि हमारे यहां जो करप्शन है वह समाप्त हो जावे और करोड़ों रुपया जो भ्रष्टाचार के रूप में खर्च होता है, वह जन-कल्याणकारी कार्मों के लिये खर्च हो। यही मेरा निवेदन है और इसके लिये मैं माननीय मंत्रीजी का ध्यान आकर्षित करूंगा।

माननीय अध्यक्ष, अब मैं आपका ध्यान लेबर डिपार्टमेन्ट की तरफ जो एक बहुत इम्पोर्टेन्ट डिपार्टमेन्ट है, आकर्षित करना चाहता हूँ। इसकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया जा रहा है। जो लेबर की समस्याएं हैं, जो कानून-कायदे हैं, उनमें क्या जरूरी चीज़ है और क्या नहीं है, उसके अनुसार कार्य होता है या नहीं, कोई ध्यान नहीं दिया जाता। आंख मीच कर हमारा यह डिपार्टमेन्ट सोया हुआ है। केपिटलिस्ट चाहे जैसा काम करते हैं, मगर उनके खिलाफ कोई केस चालान नहीं किये जाते। उधर लेबर का यह हाल है कि इन्डस्ट्रियल ट्रिब्यूनल से तीन-तीन चार-चार साल तक फैसला नहीं हो पाता।

[ श्री तेजमल आपना ]

क्या आप केपिट्लिस्टों से कुछ आशा कर सकते हैं कि वे मजदूरों के हित के लिये कुछ करेंगे । इस सम्बन्ध में पहले जो लेबर मिनिस्टर थे उनके सामने काफी हमने इस मसले को रखा है । भीलवाड़ा में टैक्सटाइल लेबर है, इसी प्रकार अन्य भी लेबर हैं, उनकी समस्याओं पर सरकार उतना ध्यान नहीं देती जितना दिया जाना चाहिये ।

( समय समाप्ति सूचक घंटी )

मैं यह कहूंगा कि आप इस संबंध में जितना जल्दी हो सके इस कार्य को हाथ में लीजिये । अगर कोई लॉ में किसी प्रकार की तरमीम करनी है तो बहुत जल्दी तरमीम कीजिये । लेबर केपिट्लिस्टों का मुकाबला नहीं कर सकती है । इसलिये उनको सहूलियतें देने के लिये बहुत जल्दी कीजिये ।

इसके साथ-साथ मैं आखिरी बात निवेदन करना चाहता हूं वह है मेडिकल और हैल्थ डिपार्टमेंट के बारे में । माननीय मन्त्री महोदय ने बताया कि पब्लिक हैल्थ और मेडिसिन्स में रुपया बढाया गया है । वाकई में बढाया गया, लेकिन आवश्यकता है हॉस्पिटलों में दवाइयों की, जो मिल नहीं रही हैं । चन्द हॉस्पिटलों में बिल्डिंग एक्सटेन्शन का काम हो रहा है । हॉस्पिटलों को रुपया दिया जा रहा है, यह मैं मानता हूं । कोटा हॉस्पिटल को दो लाख और ५ हजार रुपये इसी साल दिये गये हैं । ठीक है, मगर विशेष आवश्यकता है दवाइयों की, जिस पर भी खर्च होना चाहिये । इसके अलावा भीलवाड़ा में महात्मा गांधी हॉस्पिटल है । उसमें भी बिल्डिंग बनाना जरूरी है । जो बिल्डिंग बनी है वह एक सेठ द्वारा बना दी गई है । डॉक्टर बहुत दूर रहते हैं, मरीज़ काफी हैं ।उनके लिये बेड्स की कोई व्यवस्था नहीं है और भी कई तरह की कमियाँ हैं जिसके कागज़ात भी यहां पर आये हुए हैं । इसलिये मैं यह माननीय मन्त्री महोदय से निवेदन करूंगा कि वे इस ओर ध्यान देंगे और कहां पर कितनी आवश्यकता है इस बात को ध्यान में रख कर रुपयों को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे ।

मैं माननीय वित्त मन्त्रीजी ने जो बढ़ी हुई रकम के संबंध में बजट पेश किया है उसके लिये एक बार फिर धन्यवाद देता हूं ।

**श्री चांदमल मेहता**—माननीय अध्यक्ष, वित्त मन्त्रीजी ने अपने बजट भाषण में बहुत लम्बी-चौड़ी बातें कही हैं । मैं सबसे अधिक महत्व चौथे पेरा में कही गई बातों को देता हूं, जिसमें यह कहा गया है कि हमारा उद्देश्य, कांग्रेस के आवड़ी अधिवेशन में आर्थिक नीति के सम्बन्ध में स्वीकृत किये गये प्रस्तावों के अनुसार समाजवादी व्यवस्था के आधार पर एक कल्याणकारी राज्य का निर्माण करना है ।

[ श्री चांदमल मेहता ]

अध्यक्ष महोदय, ये जो शब्द मैंने पढ़कर सुनाये हैं इस सारे भाषण में वे बहुत ही महत्वपूर्ण हैं और जब मैं बजट भाषण सुन रहा था तो मेरे दिल में बड़ी उत्सुकता हो रही थी कि मैं कितनी जल्दी माननीय वित्त-मंत्रीजी को इसके लिए धन्यवाद दूं।

( विपक्ष से 'हियर, हियर' की आवाज )

लेकिन ज्योंही मुझे बजट की कॉपियां मिलीं और बजट को देखा तो मैं इस नतीजे पर पहुँचा कि यह बात तो सिर्फ इस बजट भाषण में है। इस बजट में कोई समावेश नहीं है।

मैं यह कल्पना कर रहा था कि जिस आधार पर जो समाजवाद की चर्चा की गई है तो शायद उसी आधार पर इस बजट में कुछ ऐसी बातें होंगी कि जिससे जो आर्थिक और सामाजिक असमानता आज बढ़ी हुई है उस असमानता को कम करने की कोशिश की जायगी। मैं अपने खयाल में यह भी कल्पना कर रहा था कि यह एक ऐसा नारा था कि जिस नारे ने दूसरी पार्टीज़ को कांग्रेस में विलीन होने को विवश किया और यह एक ऐसा नारा था कि जिससे आन्ध्र में कांग्रेस ने साम्यवादियों पर शानदार विजय पायी। अगर बजट में इसी तरह की बातें होतीं तो, मैं समझता हूं कि और कितने विरोधी दल के साथी इसमें ( कांग्रेस में ) शामिल होने की उत्सुकता प्रकट करते।

अध्यक्ष महोदय, अगर हम हमारे यहां के कर्मचारियों के वेतन की ओर निगाह डालें तो उनके वेतन में १०० गुना तक फर्क है। एक ओर आपको ३५) तनख्वाह पाने वाले मास्टर मिलेंगे और दूसरी ओर आपको पांच हजार रुपया तनख्वाह पाने वाले अधिकारी मिलेंगे। मैंने देखा कि बाहर के मुल्कों में भी इतनी असमानता नहीं है और मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि चीन में दस गुना असमानता है और इंगलैंड में तीस और पैंतीस गुना असमानता है। अध्यक्ष महोदय, जहां १०० गुना फर्क होता है, और फिर बाद में हम यह कहें कि हम उस कल्याणकारी राज्य की स्थापना करने के लिए उद्देश्य रखते है तो मैं यह कहूंगा कि ये सारी चीजें केवल भाषण में ही कहने की हैं और उसका बजट में कहीं दिग्दर्शन नहीं होता।

( विपक्ष द्वारा 'हियर, हियर' की आवाज )

अध्यक्ष महोदय, मैं यह खयाल कर सकता हूं कि शायद माननीय मंत्री महोदय ने यह दृष्टिकोण रखा हो कि कम तनख्वाह वाले अधिक हैं, अध्यापक अधिक हैं, चपरासी अधिक हैं और यदि हम उनके वेतन में वृद्धि करते हैं तो यह मौका आ सकता है कि जो बजट पहले ही हमारा डेफिसिट है वह उससे अधिक डेफिसिट हो जायगा। कोई हर्ज नहीं है यदि हमारा बजट डेफिसिट होता है और शायद उस ओर, कल्याणकारी राज्य की ओर जाना चाहते हैं तो मैं निवेदन करूंगा कि सबसे पहले आदर्श उपस्थित करें हमारे मंत्रीगण। माननीय अध्यक्ष, आज हमारे कांग्रेस के अध्यक्ष, जो कि किसी समय मुख्य मंत्री रहे हैं और उन्होंने जो मुख्य मंत्री होते हुए आदर्श उपस्थित किया है, असमानता

[ श्री चांदमल मेहता ]

दूर करने का प्रयत्न किया है, उस ओर उन्होंने जो कदम उठाया है, हमारे मंत्रीमंडल के सदस्य भी कदम उठावें तो मैं निश्चितरूप से कह सकता हूं कि बजट में कुछ भी बातें रहें, वह एक आदर्श मिसाल होगी और संभव है कि बड़े २ ऑफिसर्स गण जिनको दो-दो हजार और तीन-तीन हजार तनख्वाह मिलती है वे भी आदर्श उपस्थित करेंगे और अपनी तनख्वाहों में कटौती करना स्वीकार कर लेंगे। इससे बचत की हुई रकम से मौका ऐसा आ सकता है कि कम तनख्वाह वाले आदमियों को आगे बढ़ा सकें। माननीय मंत्रियों के ऊपर कितना खर्चा होता है, मैं इस पर चर्चा नहीं करना चाहता क्योंकि विरोधी दल के सदस्यों ने काफी इस पर कहा है। मैं तो यह निवेदन कर देना चाहता हूं कि बड़ी २ कोठियों की आवश्यकता नहीं। हमारे कांग्रेस के माननीय अध्यक्ष, ढेबर भाई, राज्य के मुख्य मंत्री होते हुए एक छोटे-से मकान में रहते थे, जिसमें तीन कमरे थे। हमारे मंत्री गण भी बंगले, गाड़ियां, भत्ते, गार्ड आदि खर्चों में पर्याप्त कमी कर एक आदर्श उपस्थित करें जिससे हम यह कह सकें कि आवड़ी कांग्रेस के फैसले को कार्यान्वित करने में राजस्थान सबसे आगे है।

दूसरी बात जिसके लिए मैं वित्त मंत्री महोदय को धन्यवाद निश्चित दूंगा वह यह है कि कई महत्वपूर्ण विभागों में पर्याप्त मात्रा में खर्चा करने की व्यवस्था रखी है। शिक्षा में, जन स्वास्थ्य में और दूसरे निर्माणकारी कार्यों में इस चीज़ का खयाल रखते हुए कि घाटे का बजट है, फिर भी काफी व्यवस्था रखी है और अपने भाषण के अन्त में यह भी जाहिर किया है कि हम कल्याणकारी राज्य कायम करना चाहते हैं। अध्यक्ष महोदय, अब तक निर्माणकार्यों में और दूसरे कार्यों में जो खर्चा हुआ है और आयन्दा खर्चा करने जा रहे हैं वास्तविक रूप में उस खर्चे का उपयोग होता है तो निश्चित रूप से हम कल्याणकारी राज्य की ओर बढ़ेंगे। मेरा अनुभव है कि अब तक जो खर्चा करते हैं, मैं निश्चितता से कह सकता हूं कि खर्चा जो किया गया है उसका बडा २ भाग बर्बाद होता है और दृढता के साथ मैं यह भी कह सकता हूं कि शासन की जो मशीनरी है और जिनके जरिये हम खर्चा करने जा रहे हैं उसमें बहुमत भ्रष्टाचारी अधिकारियों का है और बहुमत इसलिए बढ़ गया है कि अल्पमत में जो अधिकारी हैं उनको वे बहुमत वाले खत्म करते जा रहे हैं। अगर बहुमत इस तरह से आगे बढ़ता रहता है तो अल्पमत वाले समाप्त ही हो जाएंगे। एड़ी से चोटी तक रिश्वत लेने वालों की संख्या अधिक है, एक गुटबन्दी है और वह गुटबन्दी यह बताती है कि भ्रष्टाचारियों को सजा देने का कोई इन्तज़ाम नहीं है और सजा दी जाती है तो उनको जो ईमानदार हैं और जो भ्रष्टाचारियों के काले कारनामों में शामिल नहीं होना चाहते। यदि वे अल्पमत वाले सच बात प्रकट करते हैं तो उनके खिलाफ एक्शन लिया जाता है और अनुशासन की कार्यवाही उनके खिलाफ की जाती। पिछले बजट सेशन में एक लिस्ट हमारे सामने रखी गई थी पुलिस के उन कर्मचारियों की जिनको डिसिप्लिन भंग करने के अपराध में सजा दी गई थी। मैंने जानकारी हासिल की तो मुझे पता चला कि उसमें वे आदमी ज्यादातर हैं जो भ्रष्टाचार के काम में हिस्सा नहीं लेना चाहते थे और जो भ्रष्टाचारियों के खिलाफ स्पष्ट बात कहना चाहते हैं। तो मैं इस नतीजे पर पहुंचा कि यह गुटबन्दी बहुमत वाले दल की है और अल्पमत वालों को सजा दी गई तो स्थिति यह होगी कि अल्पमत खत्म हो जायगा और उनमें सच्चाई और कार्य-कुशलता बिलकुल नही रहेगी। मैं इस सम्बन्ध में कुछ निवेदन करूंगा कि यह दल इतना हावी हो गया है कि मन्त्रियों के हुक्म को रद्दी की टोकरी में डाल दिया जाता है, और यह स्थिति

[ श्री चांदमल मेहता ]

पहुंच गई है भ्रष्टाचारी दल में कि हमारा बहुमत है और हमें सजा देने वाला कोई नहीं है। मैं करीब करीब सब डिपार्टमेंट्स के बारे में ऐसे उदाहरण रखना चाहूंगा कि किस तरह मन्त्रियों के हुक्म रद्दी की टोकरी में डाल दिये जाते हैं और किस तरह गलत जवाब देने को हमारे मन्त्री-गण विवश होते हैं प्रश्नोत्तर काल में। मैं कुछ बातें सदन के सामने रखना पसन्द करूंगा।

आज एक प्रश्न के बारे में जो माननीय वित्त मन्त्रीजी से सम्बन्ध रखता था उस पर कुछ बातें कहीं। मैं उसकी वास्तविकता के बारे में निवेदन कर देना चाहता हूँ कि रूपनगर तहसील में इस तरह की व्यवस्था थी कि जिस जमीन में किसानों का कब्जा है और वहां पेड़ हैं उनकी पत्तियां छांगने का ठेका दिया जाय। यह व्यवस्था किशनगढ़ स्टेट के वक्त में थी, जो अनुचित है। इस पर मैंने पिछले विधान-सभा के अधिवेशन में आवाज बुलन्द की थी और प्रश्न किया था कि क्या ऐसा तरीका है? तो उस पर उस वक्त के मन्त्री महोदय ने बड़ी निर्भीकता के साथ जवाब दिया था कि नहीं, कोई ऐसा ठेका नहीं दिया जाता है। तो फिर मैंने सप्लीमेंटरी में पूछा था कि यदि इस प्रकार के ठेके दिये जाते हैं तो क्या उन्हें बन्द कर दिया जावेगा, तो उत्तर मिला कि ऐसे ठेके देना बन्द है। इस जवाब के बाद भी रूपनगर तहसील में वन-विभाग द्वारा ठेके दिये गये। रूपनगर तहसील में जागीरों की संख्या अधिक है और इन ठेकों की आमदनी जागीरदारों को जाती है। ठेके के देने से जागीरदारों को होने वाली पन्द्रह-बीस हजार की आमदनी में वन-विभाग के कर्मचारियों को भी पांच-चार हजार की रिश्वत मिल जाती है, इसलिए यह सब कार्यवाही की गई। पिछली विधान सभा के अधिवेशन में जो इस सम्बन्ध में जवाब दिया, उसकी कोई कीमत नहीं। राजस्व मन्त्री महोदय ने अपने भाषण में भी रूपनगर कस्बे का जिक्र किया लेकिन वन विभाग के अधिकारियों ने उस पर कोई ध्यान नहीं दिया और इस वर्ष भी ठेके नीलाम किये गये। तो फिर माननीय मन्त्री महोदय के पास एक डेपुटेशन वन विभाग के अधिकारियों के खिलाफ शिकायत लेकर मिला। वन-मन्त्री ने तुरन्त तार द्वारा उक्त ठेके को बन्द करने के आदेश दे दिये, लेकिन मैंने जैसा पहले कहा था कि बहुमत जो है वह भ्रष्टाचारियों का है और जो यह मानते हैं कि बहुमत के आधार पर हमको कोई कहने वाला नहीं है और नतीजा यह हुआ कि वह तार रद्दी की टोकरी में डाल दिया गया। फोरेस्ट गार्ड को इजाजत दी कि ठेकेदार को ले जाकर पेड़ों की पत्तियों को छांगने दिया जाय। जब इस पर रुकावट डाली गई तो कुछ आदमियों के साथ मारपीट की गई। मैं उस समय खुद किशनगढ़ हॉस्पिटल में मौजूद था। ऐसे आदमियों को देखना पड़ा कि जिनके साथ मारपीट की गई थी और इस झगड़े का कारण एक तरफ तो मन्त्रीजी का हुक्म था और दूसरी तरफ अधिकारियों का जोम था कि हमारा बहुमत है। आखिर नतीजा मारपीट का हुआ।

दुबारा जब इस संबन्ध में मंत्री महोदय को एप्रोच किया गया तो उन्होंने फिर आर्डर दिया कि डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जाकर जाँच करें, लेकिन होता क्या है कि १५ दिन तक डिस्ट्रिक्ट फॉरेस्ट ऑफिसर जाँच के लिए नहीं पहुँचे। यह है एक विभाग की बात। अब मैं ज्यादा समय न लेता हुआ एक दो डिपार्टमेन्ट्स के बारे में खास तौर से निवेदन करूंगा।

राजस्व विभाग के बारे में खास तौर से एक महत्वपूर्ण बात कहूंगा कि किस प्रकार भ्रष्टाचार का

[ श्री चांदमल मेहता ]

बोलबाला इस विभाग में हो रहा है। इसका एक उदाहरण मैं आपके सामने पेश करूंगा कि किस प्रकार के गलत जवाब मंत्रियों द्वारा इस सदन में दिये जाते हैं, इस विभाग द्वारा उसका नमूना मैं आपके सामने रखूंगा। २ अप्रेल, सन् ५४ को मैंने एक प्रश्न पूछा था इसी सदन में कि चुर्ली, पाटन, बड़गांव में नकदी लगान मुकर्रर होने के बाद भी क्या लटाई की गई है? राजस्व विभाग के अधिकारियों में भ्रष्टाचार का तो बोलबाला है ही, इसके अलावा वे लटाई करके अनाज भी उड़ा जाते हैं जैसा कि चुर्ली और पाटन व बड़गांव में हुआ? प्रश्न के उत्तर में कहा गया कि वहां लटाई हो गई है और अनाज राज्य में जमा भी हो गया है। तो मैंने इस पर पूछा कि लटाई राज्याधिकारियों द्वारा की गई या जागीरदारों द्वारा तो कहा गया कि यह सवाल दूसरा है। मैंने फिर पूछा कि वह अनाज जमा है, तो उत्तर दिया गया, हां जमा है और जब इस अधिवेशन के शुरूआत में इस संबन्ध में प्रश्न किया गया तो जवाब दिया गया कि लटाई ही नहीं हुई। इस संबन्ध में पिछले अधिवेशन के वक्त संतोषप्रद उत्तर न मिलने पर मैंने एक डी० ओ० लेटर माननीय मंत्री महोदय को लिखा कि जो जवाब विधान-सभा में दिया गया है, वह भ्रष्टाचार को बढ़ावा देता है, जो माननीय मंत्रीजी के लिए शोभनीय नहीं है। अपने डी० ओ० लेटर में जैसी भी कड़ी भाषा का इस्तेमाल इस संबन्ध में कर सकता था, मैंने किया। मेरी यह धारणा है और मैं यह चाहता हूं कि हमारे राज्य में भ्रष्टाचार खतम हो। जिसके दिल में ऐसी धारणा है, वह अगर किसी प्रकार कड़ा पत्र लिखता है तो कोई बेजा बात नहीं कही जा सकती। कम से कम राज्य में भ्रष्टाचार का निवारण नहीं हो सकता तो जिस निर्वाचन क्षेत्र से मैं आया हूं, उस क्षेत्र में भ्रष्टाचार को समूल नाश करने के लिए मैं कृतसंकल्प हूं। उस डी० ओ० लेटर पर माननीय राजस्व मंत्री ने जयपुर के कलेक्टर को ऑर्डर दिया कि वे इस संबन्धी सब कागजात लेकर रूबरू उपस्थित हों। यह सन् ५४ के अप्रेल की बात है। लेकिन मुझे खेद के साथ निवेदन करना पड़ता है कि वे कागजात आज तक माननीय मंत्री महोदय के सामने पेश नहीं हुए। इस प्रकार हमारे माननीय मंत्री महोदय के हुक्म की तामील होती है! बहुत पते की बात तो यह है कि जब इस संबन्ध में मैंने दुबारा प्रश्न किया तो जवाब मिला कि लटाई हुई ही नहीं।

इस तरह एक तीसरी बात मैं यह निवेदन करूंगा सेटलमेन्ट डिपार्टमेन्ट के बारे में। यह डिपार्टमेन्ट क्या गड़बड़ियां करता है, इसका विशेष वर्णन तो जब इस मांग पर चर्चा होगी, निवेदन करूंगा। इस वक्त सिर्फ इतना ही निवेदन करना चाहता हूं कि रिश्वत लेने के लिए किसानों को परेशान करने की दृष्टि से रूपनगर और किशनगढ़ तहसील के कई सेटलमेन्ट केसेज की सुनवाई जयपुर में रखी गई। मेरे विधान सभा में प्रश्न करने पर मा. राजस्व मंत्रीजी ने सम्बन्धित तहसीलों के हैड क्वार्टरों पर सुनवाई करने के आदेश दिये, जिसकी तामील भी किशनगढ़ तहसील में नहीं की गई।

मेरे पास सारे विभागों के बारे में इस प्रकार की मिसालें मौजूद हैं। आज सरकार कुछ काम करना भी चाहती है, लेकिन उसके नीचे जो अधिकारी हैं, वे उनके हुक्म की बराबर तामील नहीं करते हैं, आज की सरकार को चाहिये कि वे इस बारे में सोचें कि सच्चे और ईमानदार आदमी जो अल्प मत में रह गए हैं, उन्हें आगे बढ़ावें और भ्रष्टाचारियों के बहुमत को समाप्त करें। आज जो पंचवर्षीय योजना में इतना रुपया हमारी सरकार खर्च कर रही है, इन अधिकारियों की लापरवाही से सही मायने में उसका उपयोग नहीं हो रहा है। जब श्रीमन् राजप्रमुख के भाषण पर चर्चा

[ श्री चांदमल मेहता ]

हुई, उस समय भी मैंने यह निवेदन किया था कि डाके दो तरह के हो रहे हैं। एक डाके का पता चल जाता है जो डाकुओं द्वारा डाले जाते हैं, लेकिन दूसरा डाका, जैसे कि हम पंचवर्षीय योजना में करोड़ों रुपये का प्रोवीजन करते हैं, लेकिन उसका आधा रुपया केवल कमीशन के रूप में उड़ जाता है, इस प्रकार के डाके का पता नहीं चल पाता। आज हमारी सरकार कल्याणकारी राज्य बनाने जा रही है, उसके लिये पैसे की भी काफी व्यवस्था कर रही है, लेकिन इसका वास्तविक उपयोग तभी सही मायने में हो सकेगा जबकि हम भ्रष्ट अधिकारियों के खिलाफ कार्यवाही करेंगे और तभी सही मायने में यहां मंगल-कारी राज्य स्थापित करने में कामयाब होंगे।

इस सम्बन्ध में कुछ ऐसी भी बातें हैं, जिनके बारे में मैं प्रकाश डालना आवश्यक समझता हूं। खास तौर से मेरी विशेष दिलचस्पी है यह उद्योगों के सम्बन्ध में। मेरा जहां तक ख्याल है। राजस्थान सरकार ने अब तक इस औद्योगिक विकास की ओर कोई कदम नहीं उठाया है। यह जरूर हुआ है कि राजस्थान सरकार ने एक औद्योगिक कॉरपोरेशन की स्थापना जरूर की है ताकि उद्योग-धन्धों को मदद देने के लिए पैसे की व्यवस्था की जा सके। मौजूदा मन्त्री-मण्डल ने यह कार्य तो किया है किन्तु केवल इन चीजों से राजस्थान के उद्योग-धन्धे पनप नहीं सकते। इसके लिये तो हमें अपनी औद्योगिक नीति निश्चित करनी होगी। हमारा आधार क्या हो उस नीति का, हमें कौन कौन-सी बातें तय करनी हैं जिससे औद्योगिक विकास राजस्थान का हो सके, इस चीज को प्रथम पंचवर्षीय योजना में महत्व न दिया गया। भारत सरकार ने भी इस बात को प्रथम पंचवर्षीय योजना में महत्व नहीं दिया, अब दूसरी पंचवर्षीय योजना में इसको महत्व देने जा रही है। इस प्रकार हमारी सरकार को भी चाहिये कि वह भी अपनी द्वितीय-पंचवर्षीय योजना में इसको स्थान दे, नहीं तो जो भी उद्योग-धन्धे हमारे यहाँ हैं, वे धीरे धीरे समाप्त होते जायेंगे। मैंने पहले भी एक मर्तबा बताया था कि किस प्रकार हमारे यहां छोटे २ उद्योगों का ह्रास हो रहा है। जिस समय कि विधान-सभा के समक्ष सेल्स टेक्स आया था उस समय भी मैंने कहा था कि इसको सिलेक्ट कमेटी के पास भेज दिया जाय, क्योंकि हमें राजस्थान में औद्योगिक विकास के लिये छोटे उद्योगों को खास तौर से रियायतें देनी होंगी। जब तक वे परिपक्व अवस्था में न आजायं तब तक सरकार को उसकी तरफ अपनी आमदनी के लिए देखना तक भी नहीं चाहिये। सेल्स टेक्स के समय मैंने निवेदन किया था कि इसे सिलेक्ट कमेटी में भेज दिया जाय क्योंकि उसमें इस बात की जाँच करना आवश्यक है कि पहले ऐसे कौन कौन-से उद्योग हैं जिनको टेक्सेज़ की छूट है ? जब तक जाँच नहीं कर ली जाती उनके लिये टेक्स-बढ़ाना उनकी हालत को कमजोर करना है।

सेल्स टेक्स के लग जाने पर मेरा ख्याल था कि रॉयल्टी टेक्स हटा देंगे, इसलिए मैंने अपने प्राइवेट मेम्बर्स रिज़ोल्यूशन में इस बारे में जिक्र किया था। लेकिन इस बारे में उद्योग-मन्त्रीजी को पता नहीं था। तो उन्होंने यह कहा कि अगर दूसरे प्रान्तों में रॉयल्टी ली जाती है तो हमें भी लेना चाहिये और हम भी लेंगे। मैं सरकार से निवेदन करूंगा कि उनके रॉयल्टी जैसी चीज़ को उद्योगों पर लागू करने से हटाना होगा, कानूनन् हटाना पड़ेगा। लेकिन इसके साथ साथ सरकार को यह भी चाहिये कि वह उद्योगों को प्रोत्साहन देने के निमित्त अपनी नीति निर्धारित करे। पिछली सरकार ने उद्योगों को पांच वर्ष तक

[ श्री चांदमल मेहता ]

कस्टम माफ करने की नीति अपनाई थी। अब जबकि कस्टम हट रहा है तो इसके लिए सरकार क्या करने जा रही है? इस बात का आभास हमें अभी तक नहीं मिल पाया है। मैं उम्मीद करूंगा कि आज की सरकार अगली पंचवर्षीय योजना में इस बात के लिये कुछ व्यवस्था करेगी। कुछ बातें इसके लिए निर्धारित करनी होंगी कि हमारी सरकार क्या क्या सुविधायें यहां के उद्योगों के विकास में देना चाहती है ताकि हमारा राजस्थान औद्योगिक विकास की ओर अग्रसर हो सके। जितनी उपेक्षा औद्योगिक विकास की की गई उतनी उपेक्षा मेरे ख्याल से किसी की भी नहीं की गई। आज हमारे राजस्थान के जो डाइरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्रीज हैं वे गंगानगर की शुगर फैक्टरी के मैनेजर की तौर पर काम कर रहे हैं। क्या मजे की बात है कि एक प्रान्त का डाइरेक्टर ऑफ कॉमर्स एण्ड इण्डस्ट्रीज गंगानगर शुगर फेक्टरी का मैनेजर होकर रहे। अगर सरकार यह सोचती है कि वे शुगर फेक्टरी के मैनेजर के काबिल ज्यादा हैं तो उन्हीं को केवल मैनेजर ही बना दिया जाय और किसी दूसरे काबिल व्यक्ति को डाइरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्रीज बनाया जाय। अगर उनको डाइरेक्टर ऑफ इण्डस्ट्रीज की जगह ज्यादा योग्य समझा जाता है तो उनको इसी पद पर रखिये, दूसरे किसी व्यक्ति को शुगर फेक्टरी का मैनेजर बनाइये।

खास तौर से मैं जिस विषय पर निवेदन करना चाहता हूं—वह है पुलिस का विभाग। माननीय अध्यक्ष, राजप्रमुख के भाषण के वक्त भी मैंने कहा था। हां, यह अवश्य कहा जा सकता है कि डाकों की संख्या कम हो गई है, किन्तु नये ढंग के डाके बढ़ गये हैं जो उन डाकों से भी ज्यादा खतरनाक हैं जिसमें पुलिस सब से अधिक माहिर है। यह विभाग हर मामले में इतना आगे बढ़ा हुआ है, जिसके लिये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि पुलिस विभाग में जितना गठबन्धन है, उतना किसी दूसरे विभाग में नहीं। यहां एक दूसरे भ्रष्ट अधिकारियों को सपोर्ट किया जाता है। आज जिस पुलिस के जरिये हम आम जनता के जान-माल की रक्षा करने की आशा करते हैं, वे ही आज जान-माल के भक्षी हो गये हैं। आज जो पुलिस यह नारा रखती है 'मे आई हेल्प यू' (May I help you) इन अच्छे शब्दों का प्रयोग कर रही है, आज वही पुलिस किस रास्ते पर जा रही है उसे ठीक करना होगा। यह निश्चित बात है कि पिछले वर्षों से पुलिस की स्ट्रेंग्थ बढ़ती जा रही है। जिस जिस तरह पुलिस की स्ट्रेंग्थ बढ़ती जा रही है उतना ही पुलिस में भ्रष्टाचार भी ज्यादा मात्रा में बढ़ता जा रहा है। यह बात जरूर है कि पुलिस ने डाकुओं को पकड़ने में मदद दी है, लेकिन उनके आने से यह दूसरे के प्रकार के डाके पड़ने लग गये हैं। यह बात जरूर है कि एक तरह के डाके कम हो गये, लेकिन दूसरे प्रकार के डाके बहुत ज्यादा मात्रा में बढ़ते जा रहे हैं, जो पुलिस अधिकारियों द्वारा डाले जाते हैं। मैं किशनगढ़ के बारे में निश्चित तौर पर कह सकता हूं कि आज वहां पुलिस खुले-आम डाके डालती है और सरकार द्वारा उनकी पीठ थपथपाई जाती है और आज इसकी काफी चर्चा है। किशनगढ़ क्षेत्र में पुलिस का राज्य है, कोई भी आदमी विधान सभा में उनके खिलाफ आवाज उठाता है तो मंत्रीगण अपने उन अधिकारियों की पीठ थपथपाते हैं न कि उनके खिलाफ एक्शन लेते हैं। इसकी अधिक चर्चा न कर के उस वक्त चर्चा करूंगा जब कि डिमान्ड्स पर बोलना पड़ेगा। मैं यहां सिर्फ एक घटना की चर्चा करूंगा कि एक आदमी के यहां मवाड़े ग्राम में चोरी हुई। पुलिस के कोई कार्यवाही न करने पर (समय समाप्ति सूचक घंटी) उसके विषय में विधान सभा में सवाल उठाया गया, इससे पुलिस अधिकारी कुपित हो गए। यहां से चिट्ठी जाती है कि गलत रिपोर्ट करने के जुर्म में उसका चालान किया जाय

[ श्री चांदमल मेहता ]

जिस व्यक्ति के यहां चोरी हुई। यह हुक्म आई. जी. पी. का है। आई. जी. पी. ऐसा सोचते हैं कि इस प्रकार का दमन करके भविष्य में विधान सभा में प्रश्न पूछना बंद कर देंगे, यह उनका भ्रम है।

मैं कहूंगा कि हमारी सरकार की इच्छा कल्याणकारी राज्य स्थापित करने की है, लेकिन साथ में यह भी कहूंगा कि इच्छा होते हुए भी जो मशीनरी सरकार की है, उससे वह उसको क्रियान्वित नहीं कर सकेगी। तो उस मशीनरी के बारे में सरकार को सोचना पड़ेगा। मशीनरी को ठीक करने में हो सकता है कि उनके सामने कोई कठिनाई हो। भारतीय संविधान में सर्विस क्लासेज़ को संरक्षण दिया गया है, संभवतः मंत्रीजी उस तरफ इशारा करेंगे। मैं यह कहूंगा कि आप इसके साथ साथ दूसरी बातें भी सोच लीजिये। यह सोचने की बात है। आखिरकार यह सिलसिला चल रहा है, उस सिलसिले को ठीक करने के लिए और भी रास्ते हैं। जितनी भी नियुक्तियां या तरक्कियां दी जा रही हैं, वे इस आधार पर नहीं दी जाती हैं कि वे योग्य और ईमानदार हैं, बल्कि आज शासन में सिफारिश के आधार पर यह सब किया जाता है, जिससे भ्रष्टाचारी अधिकारियों का बोलबाला बढ़ता जा रहा है।

दो-एक शब्द लेबर विभाग पर भी कहना चाहूंगा और खास तौर से मैं आपका ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा एडवाइज़री कमेटीज़ की ओर, जो कि लेबर डिपार्टमेंट ने अपनी ओर से कायम की हैं। मुझे खेद के साथ कहना पड़ता है कि इन कमेटियों में मज़दूर प्रतिनिधियों के स्थान पर मिल मैनेजर तक को भी लिया है। माननीय मन्त्री महोदय इस तरह की गर्दन हिला रहे हैं तो मुझे नाम भी बताना पड़ेगा। तो वह नाम यह है–आइलमिल और राइस मिल या दूसरे ऐसे कारखानों के बारे में एक बनाई गई एडवाइजरी कमेटी है। उस एडवाइजरी कमेटी में नाम दिया गया है–मजदूरों की ओर से एक हैं, हमारे मन्त्रीजी के साथी अलवर के। इनके बारे में मुझे कुछ नहीं कहना है। दूसरे हैं मि० गोपीलाल मित्तल जो कि सुमेर ऑयल मिल के मैनेजर हैं। मैं निवेदन करूंगा इस सिलसिले में कि अगर मिल के मैनेजर को मजदूरों का प्रतिनिधि मानकर सरकार चलना चाहेगी तो बहुत बड़ी खतरनाक बात होगी। जो मिल का मैनेजर है, वह मजदूरों की बात कभी नहीं कह सकता है। अगर सरकार को मजदूरों का आदमी नहीं मिल सकता है तो वह राजस्थान के किसी...

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—यह गोपीलाल मित्तल किशनगढ़ वाले ही हैं ?

**श्री चांदमल मेहता**—जी हां, वह किशनगढ़ के हैं।

**श्री बृजसुन्दर शर्मा**—वह मजदूरों के नेता हैं ?

**श्री चांदमल मेहता**—वह सुमेर ऑइल मिल किशनगढ़ के मैनेजर हैं, मजदूरों के नेता नहीं हैं। माननीय मंत्री महोदय को भ्रम हो गया है।

**श्री अध्यक्ष**—कितना समय लेंगे ?

**श्री चांदमल मेहता**—जितना आप देंगे।

**श्री अध्यक्ष**—मैं तो खत्म कर चुका हूं, आप ही खत्म नहीं कर रहे हैं। आधा घण्टा बोल चुके हैं।

**श्री चांदमल मेहता**—माननीय अध्यक्ष, मैं सिर्फ इतना ही कह कर अपने भाषण को समाप्त करता हूं।

**श्री अवनिकुमार मुखर्जी**—माननीय अध्यक्ष, आज दो दिन से बजट पर सामान्य वाद-विवाद चल रहा है। मैं पहले ही आपको बता दूं कि ज्यादा समय नहीं लूंगा। मेरा जो कुछ वक्तव्य है वह संक्षेप में सदन के सामने रख दूंगा। मैं आपसे अनुरोध करूंगा कि मुझे १५ मिनिट का समय आप देंगे।

**श्री अध्यक्ष**—१५ मिनिट कर लिए तो कोई दिक्कत नहीं होगी।

**श्री अवनिकुमार मुखर्जी**—आज कुछ टाइम की पाबन्दी है, इसलिए अर्ज किया है।

**श्री अध्यक्ष**—१५ कह कर २० लेंगे तो दिक्कत होगी।

**श्री अवनिकुमार मुखर्जी**—नहीं, मैं खत्म कर दूंगा।

सबसे पहले वित्तमंत्रीजी ने जो भाषण दिया है उसके पेज २ के पैराग्राफ ५ के बारे में सदन का ध्यान आकर्षित करना चाहता हूँ। वह इस प्रकार है :—

"The trend of economic conditions is favourable. Appreciable fall in prices all round is noticeable. There has been a sharp decline in the prices of certain foodgrains and the Government of India and the State Government are adopting measures to maintain economic level of prices"

उससे ऐसा मालूम होता है कि जो कुछ हो रहा है, उससे वित्त मंत्रीजी को बहुत संतोष है। मैं वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूँ कि आज किसानों की जो पैदावार है और एग्रीकलचर कमोडिटीज जो हैं, उनके मूल्यों के अन्दर जो गिरावट हमारे सामने आई है, वह कोई अच्छी चीज़ नहीं। राजस्थान एक कृषि-प्रधान देश है। यहां......

**श्री मोहनलाल सुखाड़िया**—थोड़ा जोर से बोलें।

**श्री अवनिकुमार मुखर्जी**—राजस्थान एक कृषि-प्रधान देश है। यहां के रहने वाले ८० प्रतिशत किसान हैं। तो जो कुछ वे पैदा करते हैं उनके मूल्यों में जब गिरावट आती है तो वह बहुत बड़ी शंका की चीज़ है। मैं समझता हूँ कि इसके लिए यदि अभी से कोशिश नहीं की गई तो मुझे ऐसा डर है कि सन् ३९ और ४० में इस देश के किसानों की आर्थिक हालत के लिये जो संकट पैदा हो गया था, वही संकट इस वक्त भी पैदा हो सकता है। मैं समझता हूं कि किसान जो कुछ पैदा करता है, उसकी उसे न्यायसंगत कीमत मिलनी चाहिए। उस न्यायसंगत मूल्य के मिलने वाली बात का एक ही तरीका है कि किसान जो कुछ पैदा करता है उसके लिए सरकार जगह जगह मार्केटिंग सेन्टर्स एस्टेब्लिश करे और उनके जरिये से इस पैदावार को खरीदा जाय और इसका वितरण सोसाइटीज़ से किया जाय।

[ श्री अवनिकुमार मुकर्जी ]

अगर हम लोग यह रास्ता अख्त्यार नहीं करेंगे तो मैं कहूंगा कि उनको अपनी पैदावार के लिए न्यायसंगत कीमत नहीं मिल सकती है । मुझे खुशी होती अगर बजट के अन्दर इस बात का पता चलता कि सरकार का ध्यान इस तरफ है । ऐसे मार्केटिंग सेन्टर्स की तरफ सरकार कुछ कर रही है; बजट को देखेंगे तो पता चलेगा कि सरकार ने कुछ नहीं किया । मैं खास तौर से मुख्य मन्त्रीजी और वित्त मन्त्रीजी का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि कुछ न कुछ इस ओर किया जाय जिससे कि किसानों को अपनी पैदावार का न्यायसंगत मूल्य अवश्य मिल जाय ।

दूसरी बात और है कि हमारे यहां कस्टम की जो आमदनी थी, वह १ अप्रेल, सन् १९५५ के बाद हम लोगों को उपलब्ध नहीं होगी । यह जो कुछ है इसके लिए मैं राजस्थान सरकार को उत्तरदायी नहीं समझता हूं, क्योंकि यह बात करीब आज से पांच साल पहले एक फाइनेन्स एग्रीमेंट के जरिये तय हो चुकी है और उसके मुताबिक कस्टम ड्युटी १ अप्रेल, सन् १९५५ से समाप्त करनी पड़ रही है । मैं सरकार को यह कहना चाहता हूं कि आमदनी के अन्दर यह जो कुछ कमी आई है इस कमी को पूरा करने के लिए पहले से ही उन्हें सतर्क होना चाहिये था । अगर पहले से सतर्क नहीं हुए तो अब हम लोगों को इस तरह से सोचना चाहिये कि इस कमी को किस तरह से पूरा किया जाय । मैं समझता हूं कि इस कमी को पूरा करने के लिए दो ही तरीके हमारे सामने हैं । पहला तरीका तो यह है कि सरकारी विभाग जो हैं उनके अन्दर जितनी इकॉनोमी हम कर सकते हैं, उतनी करनी चाहिए । मुझे इस बात की खुशी होती कि यदि एक हाई पावर इकॉनोमिक कमेटी सरकार इसके लिए मुकर्रर कर देती । दूसरी बात यह है कि रेवेन्यू अर्निंग डिपार्टमेंन्ट्स जो हैं उनकी आमदनी के अन्दर जितनी वृद्धि हम कर सकें, उसकी भरसक कोशिश करनी चाहिए ।

अब मैं इस इकॉनोमी के बारे में दो-चार बातें सदन के सामने रखना चहाता हूं । पिछले साल में जो एस्टीमेट्स कमेटी बनी थी, उन्होंने जनरल एडमिनिस्ट्रेशन की अच्छी तरह जाँच-पड़ताल की और जाँच-पड़ताल करने के बाद उन्होंने अपनी रिपोर्ट सदन के सामने रखी । उसके अन्दर कमेटी ने यह दिखाने की कोशिश की है कि जनरल एडमिनिस्ट्रेशन के किन मदों के अन्दर कमी कर सकते हैं ? वह एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट सरकार के सामने है, और सदन के सामने है । मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट पर ध्यान देगी और जितनी कमी उसमें सरकार कर सकती है, उसे सरकार को करना चाहिये ।

अब मैं एक बात की तरफ सरकार का ध्यान और आकर्षित करना चाहता हूं और वह यह है कि आजकल जितनी जल्दी जल्दी से सरकारी कर्मचारियों के तबादले होते रहते हैं और उससे जो सरकार को खर्चा होता है उनको रोकने के लिए सरकार को भरसक प्रयत्न करना चाहिये । यह अकसर देखा जाता है कि अधिकारियों को यहां से वहां भेज दिया जाता है और कभी कभी तो ऐसा भी देखा गया है कि ऐसे एक-आध टिपीकल केसेज का एस्टीमेट कमेटी की रिपोर्ट में भी जिक्र किया गया है कि तीन महीने में छः दफा तबादला कर दिया गया है । इससे मालूम होता है कि सरकार की कोई खास नीति नहीं है जिसके पीछे ये तबादले हों, ऐसा मैं समझता हूं । कभी कभी ऐसा भी होता है कि कोई अधिकारी कहीं काम करता है और उसकी समझ से बड़ी होशियारी से करता है पर उसके

[अवनिकुमार मुकर्जी ]

खिलाफ कुछ लोग शिकायतें करते हैं और फिर उनकी जांच किये बगैर ही उसका ट्रान्सफर कर दिया जाता है। मैं समझता हूं कि इससे सरकार को खर्चा तो होता ही है पर यह एडमिनिस्ट्रेशन के हक में भी अच्छा नहीं होता। तो जबतक एडमिनिस्ट्रेशन में स्टेबिलिटी पैदा नहीं करेंगे अधिकारियों के लिए, तब तक एडमिनिस्ट्रेशन अच्छा चल नहीं सकता है।

एक बात और कुछ दिन पहले अखबार में देखी कि कुछ डिपार्टमेंट्स और और जगह भेजे जा रहे हैं जैसे—जोधपुर, बीकानेर, उदयपुर, अलवर, भरतपुर, कोटा आदि और इसके लिए यह कहा जाता है कि इन डिपार्टमेंट्स को भेजने से हमारी पुरानी कैपिटलों की जो स्थिति आज बन गई है उसमें कुछ सुधार होगा। मैं समझता हूं कि उनकी अवस्था में इससे कोई भी सुधार नहीं होगा। कुछ डिपार्टमेंटों के चले जाने से, कुछ क्लर्कों और कुछ अधिकारियों के चले जाने से हालत में खास तब्दीली नहीं हो सकती। यह तो मानी हुई बात है।

दूसरी तरफ जो दिक्कतें आवेंगी वे बहुत भारी होंगी। जब डिपार्टमेंट के हैड की जरूरत पड़ती है तो उसे बुला लिया जाता है और किसी भी मामले में सलाह लेनी पड़ती है तो आसानी से वह मिल जाती है। पर जब वह दूर चला जावेगा और उनसे विचार-विमर्श की आवश्यकता होगी तो छोटी मोटी बातों के लिए भी जयपुर आना पड़ेगा और जयपुर आने से डिपार्टमेंट के काम में तो बाधा आवेगी, ढिलाई पड़ेगी ही, उसके काम को तो नुकसान होगा ही, पर सरकार को अतिरिक्त खर्चा भी होगा उनके आने-जाने में। मिसाल के तौर पर डाइरेक्टर ऑफ एजूकेशन की मिसाल आपके सामने रखना चाहता हूं। इसका हैड क्वार्टर बीकानेर में है, पर यह अकसर देखा गया है कि सरकारी कामों के सिलसिले में डाइरेक्टर को महीने में पन्द्रह बीस-दिन जयपुर में ही रहना पड़ता है और जब वह जयपुर में रहता है तो यह मानी हुई बात है कि डिपार्टमेंट के काम का तो उसकी अनुपस्थिति में नुकसान होता ही है पर उसके आने जाने के टी० ए०, डी० ए० का अतिरिक्त खरचा भी सरकार को होता है। तो यह स्थानान्तरित करने की सरकार की नीति हमारे समझ में नहीं आई। इस पर सरकार पुनर्विचार करे तो एडमिनिस्ट्रेशन की दृष्टि से भी यह अच्छा होगा और खर्चे की दृष्टि से भी सरकार के लिए ठीक होगा।

अब मैंने सेक्रेटेरियेट की मद को देखा तो उसमें एक इन्क्वायरी अफसर की नियुक्ति देखी। जांच-पड़ताल के बाद मालूम पड़ा कि जगह जगह जो डिपार्टमेन्टल एम्बेज़लमेन्ट के जो केसेज होते हैं उनकी जांच-पड़ताल करने के लिए यह एन्क्वायरी ऑफीसर रक्खा गया है। तो मेरी समझ में यह नहीं आया कि जब एन्टी करप्शन डिपार्टमेन्ट मौजूद है तो फिर इसकी क्या जरूरत पड़ गई? अगर सरकार ने इसकी जरूरत किसी सूरत में भी महसूस की तो इसके नीचे जो स्टाफ है उसको तो कम से कम कॉन्फीडेन्स का लेना चाहिये। इसको मैंने जब मालूम किया तो मालूम पड़ा कि एक डी० एस० पी० भी रक्खे गये हैं इस विभाग में और उनका डेजिग्नेशन रक्खा गया है, डी० एस० पी० एम्बेजलमेन्ट। अब उनकी, डी० एस० पी० की, जो योग्यता है वह मैं आपके सामने रखना चाहता हूं जिसे आपको सुनकर बड़ा ताज्जुब होगा। उन्होंने सब-इन्सपेक्टरी की ट्रेनिंग तक नहीं पास की। मेरी समझ में नहीं आता कि एक शख्स जो सब-इन्सपेक्टरी की ट्रेनिंग भी पास नहीं कर पाया, वह डी० एस० पी०

[ अवनिकुमार मुकर्जी ]

कैसे होगा ? अब इसको आप धांधलीबाजी समझिये या अड़ंगेबाजी समझिये, वह डी० एस० पी० हो गया। फिर तारीफ की बात यह है कि रिफ्रेशर कोर्स के लिए ये साहब किशनगढ़ भेजे गये। मुझे तो अभी तक सुनने में नहीं आया कि वहां जाकर कोई अफसर इसमें नाकामयाब होकर वापिस आ गया हो। पर मैं आपको सूचना दे दूँ कि वह इस पुलिस ट्रेनिंग स्कूल में जाकर इस इम्तिहान में भी फेल हो गये। ऐसी स्थिति में, मैं समझता हूं कि ऐसा जो डी० एस० पी० मुकर्रर किया गया है उससे एम्बेजलमेन्ट की जांच कैसे हो सकती है ? मैं समझता हूं कि जिस तरह से यह इन्क्वायरी ऑफीसर रक्खा गया है और जिस तरह की कार्यवाही की जा रही है उसका कोई नतीजा नहीं निकलने वाला है। ठीक ढंग से इन्वेस्ट करना है तो आपको यह करना चाहिये कि एम्बेजलमेन्ट अफसर के पास जो स्टाफ है वह कॉन्फीडेन्स का हो। इसलिए मैं सदन का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं खास-तौर से माननीय मुख्यमन्त्री महोदय का, ताकि जल्दी से जल्दी इस पर ध्यान दिया जा सके।

अब मैं जागीर रिजम्शन के बारे में दो शब्द कहना चाहूंगा।

**श्री अध्यक्ष**—Now a general criticism on the Budget is required. डिपार्टमेन्ट की डिमान्डस् जब पेश हों तब इतने विस्तार से कहियेगा।

**श्री अवनिकुमार मुकर्जी**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) नहीं साहब, ज्यादा नहीं कहूंगा अभी तो मैं केवल नीति के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं।

माननीय अध्यक्ष, इसके अन्दर प्रतिवर्ष जागीरदारों को मुआवजा देने के लिए काफी रकम की गुंजाइश की गई है। पिछले साल जिन जागीरों को सरकार ने ले लिया है उनको अभी तक मुआवजा नहीं मिला। जिनकी जागीर को लिये दस महीने हो गये, आठ महीने और छः छः महीने होने आये उनको अभी तक मुआवजा देने की व्यवस्था सरकार ने नहीं की है। हालांकि हमको मालूम है कि जागीर रिजम्शन का जो कानून है उसके अनुसार जागीर लेने के छः महीने के अन्दर-अन्दर उनको इन्टेरिम कम्पेन्सेशन मिल जाना चाहिये। ऐसी स्थिति में मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं कि जितना जल्दी हो सके इन्टेरिम कम्पेन्सेशन देने का इन्तजाम किया जावे, क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति अच्छी नहीं है। उनको भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ता है। इसलिए मैं सरकार का ध्यान इस ओर आकर्षित करना चाहता हूं।

अब मैं इलेक्ट्रिसिटी विभाग के बारे में कुछ कहना चाहूंगा। इसके बजट को देखा तो जैसे मैं हर साल देखता आ रहा हूं उसके अन्दर घाटा ही दिखाया गया है। सबसे मजे की बात यह है कि चीफ इन्जीनियर जो है, उनकी तनख्वाह डिप्टी चीफ इन्जीनियर से कम है। तो मेरे समझ में यह बात नहीं आई कि चीफ इन्जीनियर की तनख्वाह अपने डिप्टी से कैसे कम हो सकती है ? मैं आशा करता हूं कि सम्बन्धित मन्त्री महोदय इस सम्बन्ध में स्पष्टीकरण करेंगे।

दूसरी बात यह है कि इसमें यह कहा गया है कि हाइड्रो-इलेक्ट्रिक पावर जल्दी मिलने वाला है और यह सस्ती रेट पर, पांच पैसा यूनिट की रेट पर, इन्डस्ट्रीज़ को और रोशनी के लिए दे सकेंगे। पर इसके अन्दर जो एक समस्या है उसको भी सोच लेना चाहिये। मान लीजिये, बीकानेर में भाखरा

श्री अवनिकुमार मुकर्जी ]

नांगल की पॉवर उपलब्ध हो जाने पर पांच पैसे में दे सकेंगे पर वही बिजली जयपुर या अन्य दूर के शहरों में तीन आने या इससे भी ज्यादा रेट पर दी जावेगी। ऐसी स्थिति में आज मान लीजिये बीकानेर में जो चीज़ें तैयार होंगी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कम होगी और जयपुर में जो तैयार होंगी उनकी कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ज्यादा होगी। इस हालत में जयपुर की इन्डस्ट्रीज़ को नुकसान पहुँचेगा कम्पीटीशन नहीं कर सकेंगी यहां की इन्डस्ट्री और इस कारण नई इन्डस्ट्री भी कोई नहीं पनप सकेगी। वे मार्केट में कम्पीटीशन में ठहर नहीं सकेंगी। इसलिये यह करना चाहिये कि इन्डस्ट्रीज़ में भी आप क्लासिफिकेशन कर दीजिये और इस क्लासिफिकेशन के हिसाब से ही इनको भी बिजली सस्ते दर पर दीजिये। अगर सरकार इसका प्रबन्ध नहीं करेगी तो जिन इन्डस्ट्रीज़ को हायर रेट पर बिजली मिलती है उनको बड़ा भारी नुकसान पहुंचेगा और आखिर ऐसी स्थिति पैदा होगी कि यहां जो थोड़ी बहुत इन्डस्ट्री प्रारम्भ हुई है वह भी बन्द हो जावेगी। अनएम्प्लॉयमेन्ट वैसे ही बढ़ता जा रहा है; वह और बढ़ जावेगा। इसलिये मैं सजेस्ट करूंगा कि सरकार को यह करना चाहिये कि क्लास आफ इन्डस्ट्री मुकर्रर करके यूनिफाइड रेट पर बिजली सबको दे। यह नहीं किया जावेगा तो राजस्थान की इन्डस्ट्रीज़ के लिये ठीक नहीं होगा।

दूसरी बात जो मैं सरकार के ध्यान में लाना चाहता हूं वह यह है कि हमारे यहां उत्पादन जो बिजली का है उसकी जेनरेशन कॉस्ट अलग-अलग जगहों पर अलग-अलग है। आप बीकानेर पॉवर हाउस को लीजिये, जयपुर पॉवर हाउस को लीजिये, या किसी भी जगह के पॉवर हाउस को लीजिये सब की अलग-अलग कॉस्ट है। तो मैं समझता हूं कि सरकार को इस मामले में जरूर जांच-पड़ताल करना चाहिये कि इसमें भी यूनिफॉर्मिटी लाई जा सकती है या नहीं। अगर लाई जावे तो, मैं समझता हूं कि पहली जो आशंका प्रकट की गई थी और उसके लिए जो सुझाव दिया गया था उसको कार्यान्वित करने में कठिनाई का ज़्यादा सामना नहीं करना पड़ेगा।

अन्त में रूरल डवलेपमेन्ट के बारे में दो-चार शब्द कहना चाहूंगा। इसके सिलसिले में...

**श्री अध्यक्ष**—The time is up. Fifteen minutes are over.

**श्री अवनिकुमार मुकर्जी**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अभी समाप्त कर देता हूँ, साहब! थोड़ा सा और कहना है। तो रूरल डेवलेपमेन्ट के बारे में यह कहना है कि राजस्थान के अन्दर रूरल इन्डेटेडनेस की तादाद बहुत ज़्यादा है।

(समय-समाप्ति सूचक घन्टी)

**श्री अध्यक्ष**—Two minutes.

**श्री अवनिकुमार मुकर्जी**—मैं यह मानता हूं कि राजस्थान में किसानों की प्रगति के लिये सरकार ने काफी क़दम उठाया है और उनसे किसानों की भलाई हुई है। लेकिन मैं यह समझता हूं कि सच्चे माने में किसानों की भलाई तभी हो सकती है जब कि उनके ऊपर से रूरल इन्डेटेडनेस का बोझ उठ जाय, लेकिन बजट में इसका कोई ज़िक्र नहीं है। हम तीन साल से इस विधान सभा में बैठे

[ श्री अवनिकुमार मुकर्जी ]

हैं, लेकिन हमारी ओर से कोई कदम इस ओर नहीं बढ़ाया गया। आज से तीन साल पहले मैंने एक प्रस्ताव रखा था कि जल्दी से जल्दी रूरल इन्डेटेडनेस हटाने की ओर कदम उठाया जाय। सम्बन्धित मन्त्रीजी ने यह आश्वासन दिया था कि हम ऐसा ही करने वाले हैं लेकिन बड़े खेद की बात है कि तीन साल में सरकार ने इस सम्बन्ध में कुछ नहीं किया। यदि किसानों की भलाई करनी है तो आप जल्दी से जल्दी क़ानून बनावें जिससे रूरल इन्डेटेडनेस खत्म हो जाय। इसके लिये कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ की संख्या ज़्यादा बढ़ानी पड़ेगी। मैं समझता हूं वित्त मन्त्रीजी, राजस्व मन्त्रीजी और सरकारी कर्मचारी इसके लिये पूरा ध्यान देंगे और रूरल इन्डेटेडनेस को खत्म करने का क़ानून बनावेंगे जिससे कि किसानों का भला हो सके। मैं कहना तो बहुत चाहता था लेकिन माननीय अध्यक्ष ने मुझे दो मिनिट का ही समय दिया है इसलिये मैं अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

**श्री अध्यक्ष**—आपको इतना अधिक समय दिया गया है, फिर भी आप २ ही मिनिट बताते हैं।

**श्री अवनिकुमार मुकर्जी**—मैं और ज्यादा समय चाहता था लेकिन आपने घंटी बजाने के बाद २ ही मिनिट का समय दिया था इसलिये अपना भाषण यहीं समाप्त करता हूं।

**डॉ० श्री मंगलसिंह**—अध्यक्ष महोदय, हमारे माननीय वित्त मंत्रीजी ने जो आय-व्यय का ब्यौरा दिया है और उसके बारे में जो भाषण किया है उससे कुछ तो उत्साह होता है और कुछ मुद्दों को देखकर यह अवश्य मालूम होता है कि आवड़ी के प्रस्ताव की वजह से अथवा स्वयं उनके आत्म-विश्वास की वजह से ऐसे मुद्दों पर जो कल्याणकारी मुद्दे कहे जा सकते हैं, उन्होंने काफी रुपया दिया है, और इस सिलसिले में जो इस सदन में दो दिन से बहस हो रही है वह भी सुनने को मिली है। कुछ मित्रों का सबसे बड़ा जो क्रिटिसिज़्म है वह इस बारे में है कि सबसे बड़ा मद सरकारी कर्मचारियों का है और जो एडमिनिस्ट्रेशन के प्रधान अंग हैं उनके अंदर इतने रुपये खर्च किये जाते हैं और उनका पूरा उपयोग नहीं होता। सरकारी कर्मचारी, दरअसल में यदि देखा जाय तो उनका कार्य बड़ा पवित्र है। उन्होंने संसार के सब सुख छोड़ कर, कुटुम्ब के सब आनंद को छोड़ कर, जन सेवा का व्रत लिया है। आज यदि एक सरकारी कर्मचारी जो बीकानेर में है और उसको कहा जाता है कि कोटा जाओ, यद्यपि उसके घर में बच्चे बीमार हैं और चाहे कुछ भी कुटुंब में तकलीफ है, वह उस समय उन सब की चिन्ता छोड़ कर अपनी ड्यूटी पर चला जाता है। उनमें से पुलिस के ऊपर सबसे ज़्यादा बातें कही गई हैं। उनका जीवन तो हमेशा खतरे में रहता है और वे हर समय अपनी जान हथेली पर रखकर जन-सेवा का काम करते हैं। उन्होंने केवल जन-सेवा के लिये ही अपना जन्म हार दिया है और जन-सेवा की उन्होंने शपथ ली है और व्रत लिया है। उनके लिये इस तरह की बातें कहना कि उनको वेतन अधिक मिलता है, अलाउन्स आदि मिलते हैं, यह मैं समझता हूं, उदारता नहीं है। जिस व्रत को लेकर जिस कार्य की शपथ ली है और जो कठिन कार्य उन्होंने अपने हाथ में लिया है उनको देखते हुए उनका वेतन कोई वेतन नहीं है। यह वेतन उनकी सेवाओं का बदला नहीं है। यह इसलिये दिया जाता है कि उनको सेवा की चिन्ता के आगे कुटुम्ब के भरण-पोषण की चिन्ता नहीं रहे।

**श्री घीसीसिंह**—उनमें से जो भ्रष्ट हो गये हैं उनके बारे में कहा गया था।

**डॉ० श्री मंगलसिंह**—(अपना भाषण जारी रखते हुए) अब सवाल इस बात का है कि जो इस तरह से त्याग का जीवन बिता रहे हैं उन पर इस प्रकार की टिप्पणी की जाय यह उचित नहीं है, लेकिन जैसा कि एक मित्र ने मुझे बीच में कहा है तो उनका कहना भी सच है। उसमें भी तथ्य है कि जिन लोगों ने अपना जीवन जनता की सेवा के लिये दे दिया है और जिन्होंने केवल जन-सेवा का ही व्रत लिया है वे ही उससे च्युत होकर यदि जन-सेवा के बजाय जन-पीड़न करें तो उससे ज्यादा संसार में पतित कौन हो सकता है। आज इन सरकारी कर्मचारियों के वर्ग में कुछ लोग ऐसे घुस गये हैं और शामिल हुए हैं जो सरकारी कर्मचारियों के वर्ग को बदनाम करते हैं। आज वे इतने पतन पर पहुंच चुके हैं कि जिसका अंदाज़ लगाना कठिन है। संसार में और कम से कम इस भारत देश में यह मसला मशहूर है कि नाई नाई से, धोबी धोबी से पैसा नहीं लेता और नाव वाला नाव वाले से पैसा नहीं लेता, लेकिन आज कुछ सरकारी कर्मचारी ऐसे हैं जो सरकारी कर्मचारियों से भी पैसा (रिश्वत) लेते हैं। आज यह शिकायत सुनने को मिलती है कि लोग अपनी तनख्वाह का बिल पेश करते हैं और अगर रिश्वत नहीं दें तो उनका बिल पास नहीं होता। इस प्रकार की शिकायत ऐसे लोगों के बारे में मिलती है जिन्होंने अपना जीवन जन-सेवा के लिये दे दिया है, यह बड़े अफसोस की बात है। मैं समझता हूं, ऐसे कर्मचारी जो वही स्टेन्डर्ड नहीं रख सकते उनको धन कमाने के लिए कोई दूसरा काम करना चाहिये। त्याग की भावना वाले ऐसे सुन्दर वर्ग में घुसने का उनका क्या हक है? यह तो ऐसा कहा जा सकता है कि कोई डाकू सन्यासी के वस्त्र पहन कर डाका डालता है और आज सफेद टोपी लगाकर, क्योंकि उससे फायदा होता है, उसमें घुस कर छुपने का अवसर पा जाता है। यदि इस प्रकार के लोग सरकारी कर्मचारियों में हैं तो सरकारी कर्मचारियों का यह पहला कर्त्तव्य है कि ऐसे बदनाम लोगों को अपने बीच में से निकाल दें वरना उनका वर्ग भी बदनाम हो जायगा और आगे जाकर ऐसा है कि इस वर्ग को जनता की सेवा के लिये बाहर निकलना कठिन हो जाय। इसलिये मैं दोनों ओर के माननीय सदस्यों से अपने विचार कहना चाहता हूं कि हम लोगों को सरकारी कर्मचारियों की सैद्धान्तिक बातों पर ध्यान रखकर उनका उचित आदर और सम्मान करना चाहिये, लेकिन उनमें इस प्रकार के जो लोग आ गये हैं, उनके साथ जो उचित हो वही व्यवहार करना चाहिये और जिस प्रकार की दुष्टता वे करते हैं उनको उचित दंड बगैर दया के देना चाहिये और इसमें सरकारी कर्मचारियों को भी आगे कदम बढ़ाकर अपना वर्ग साफ करना चाहिये।

सरकारी कर्मचारियों के अंदर भी कुछ ऐसा वर्ग है जिनका आदर और सेवा का स्तर और भी ऊंचा होता है। मेरा इशारा शिक्षा और चिकित्सा विभाग की ओर है। उन कर्मचारियों की सेवा का स्टेन्डर्ड (स्तर) और भी ऊंचा होता है। शिक्षा के कार्य में जो लोग हैं वे मनुष्य को मनुष्य बनाने में सहायता करते हैं। उनके अंदर भी यदि इस प्रकार के लोग हैं तो मैं यह कहूंगा कि उनके ज़िन्दा रहने की कोई आवश्यकता नहीं है, उनको आत्महत्या करके मर जाना चाहिये। एक कल्याणकारी राज्य का सबसे पहला कार्य यह है कि सबको रोटी दे, फिर वस्त्र; उसके बाद घर और उसके बाद शिक्षा का नंबर आता है। शिक्षा के लिये जब से राजस्थान कायम हुआ है तब से उत्तरोत्तर धन की वृद्धि इस विभाग में अवश्य होती रही है और इस मद में सबसे अधिक रुपया पिछले सालों के मुकाबले में रखा है। इसके लिए यह कहना कि नॉनरेकरिंग अधिक है, ठीक नहीं है। नॉनरेकरिंग खर्चा हर साल होता है लेकिन यह सत्य है कि इस साल सबसे ज़्यादा रुपया पिछले सालों के मुकाबले में रखा गया है। मुझे

**Page No.71**



[ डॉ० श्री मङ्गलसिंह ]

इस विभाग के बारे में इतना ही निवेदन करना है कि रुपये खर्च करके स्कूल्स खोले गये हैं, शिक्षक अधिक रखे गये हैं और सबसे अधिक रुपये इस विभाग में रखे हैं। लेकिन मुझे खेद है कि किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये, किस प्रकार के प्रदेश के लिये किस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये; इसके ऊपर जितना विचार और ध्यान होना चाहिये, उतना नहीं दिया गया है। यहां पर हमारे बजट के अन्दर भी इस बात पर विचार नहीं किया मालूम होता है कि हमारे देश के अन्दर किस प्रकार की शिक्षा हो ? आज की शिक्षा जो हम दे रहे हैं और जिसके ऊपर हम रुपया खर्च कर रहे हैं, और दूसरा शिक्षा का तरीका मालूम नहीं, इससे होता क्या है ? एक किसान का लड़का है, एक मजदूर का लड़का है, उसको भरोसा है कि मैं अपने जीवन में खाना कमाकर खा सकता हूं और मज़दूरी करके कपड़ा भी पहन सकता हूं। पर यदि एक लड़के ने मेट्रिक्युलेशन किया तो उसका यह आत्मविश्वास चला जाता है कि मैं कमा के खा सकता हूं और जहां ग्रेज्यूएट हुआ तो वह बिल्कुल ही आत्मविश्वास खो बैठता है। शिक्षा भरण-पोषण के लिये ही नहीं, मनुष्य बनाने के लिये है, भरण-पोषण तो शिक्षा का साधारण लाभ (बाई प्रोडक्ट) है। मनुष्य किस काम के लिये जन्मा है, मनुष्य का क्या कर्त्तव्य है, दर असल मनुष्य का ध्येय क्या है, इसको पहचानने के लिये शिक्षा दी जाती है; पर यह पहचानने के लिये उसके पास क्षमता एवं समय नहीं है। इसलिये मेरी अर्ज़ है कि इस प्रकार की शिक्षा होनी चाहिये जिससे आत्मविश्वास भी पैदा हो और भरण-पोषण भी कर सकें। इस बात की जांच के लिये, इस प्रकार की शिक्षा की खोज के लिये कमीशन, कमेटी बैठानी चाहिये और भी व्यय करने की आवश्यकता हो तो वह भी करके इस निर्णय पर पहुंचना अत्यन्त आवश्यक है। आज हजारों की तादाद में शिक्षा विभाग में नौजवान शिक्षकों के रूप में रखे गये हैं। इसलिये भी रखे गये हैं कि अनएम्प्लोयमेंट को दूर करना है; जो एम्प्लोयमेंट में नहीं हैं, इधर-उधर मारे फिरते हैं, उनको लेना है। तो ऐसी सूरत में यह दर असल शिक्षा का विभाग नहीं है वह तो शरणार्थियों को रोटी देने का विभाग है। मन्दिरों में सदाव्रत बंटता है, वैसा है। चाहे पढ़ाने की योग्यता रखते हैं या नहीं, मेट्रिक्युलेशन कर लिया है और अनएम्प्लायड हैं इसलिये रख लेना चाहिये। जहां तक मेरा अनुभव है वे १८ से २५ वर्ष तक की उम्र के लोग हैं; न उनके अन्दर ज्ञान है, न वे जानते हैं कि शिक्षा के क्या माने हैं और न उनको सिखाया गया है कि शिक्षा किस तरह दी जाती है, शिक्षा देने के सिद्धान्त क्या हैं ? गांवों में चले जाते हैं और लड़के इकट्ठे हो जाते हैं क्योंकि आज-कल शिक्षा की भूख है, मिठाई मिले या सूखी रोटी, कैसे भी शिक्षक हों, उनके पास इकट्ठे हो जाते हैं और जो उन्हें वेतन मिलता है उससे वे लोग सन्तुष्ट भी नहीं हैं। मैं सरकार का ध्यान इस ओर दिलाना चाहता हूं कि नौजवान और फिर असन्तुष्ट, इस तरह की अगर फौज़ रखी जायगी तो यह न जाने क्या गज़ब ढायेगी ! नौजवान जिनको हम गांवों में शिक्षक बना कर भेजते हैं, उनके दिलों में असंतोष है और ये नौजवान जिन बच्चों को पढ़ायेंगे वे कल नौजवान होंगे, इन्हीं के पढ़ाये हुए होंगे, इनका असंतोष इन बच्चों के अन्दर फैल जायगा। इसलिये विशेष प्रकार से मैं सरकार से निवेदन कर देना चाहता हूं कि ये जो थोड़े शिक्षित नौजवान शिक्षक हैं, उनकी शिक्षा के बारे में निश्चित किया जाना चाहिये और जब निश्चत हो जाय कि ये पढ़ाने के लायक हैं तभी उन्हें शिक्षक बना कर भेजना चाहिये। हम बच्चों को गलत हाथों में डाल कर गलत एज्यूकेशन नहीं देना चाहते। इस ओर मैं इशारा कर देना चाहता हूं।

[ डॉ० श्री मङ्गलसिंह ]

इस सिलसिले में मुझे एक चीज़ और भी देखने को मिली, लड़कियों की शिक्षा की ओर हमारा प्रदेश उतना ध्यान नहीं दे रहा है, जितना देना चाहिये। मैं यह नहीं कहता कि लड़कों की शिक्षा से भी लड़कियों की शिक्षा ज्यादा महत्वपूर्ण और ज्यादा आवश्यक है, पर किस तरह की शिक्षा लड़कियां को दी जाय ? जिस घर में लड़कियां पढ़ी-लिखी न हों, लड़के ही पढे-लिखे हों उस कुटुम्ब की शिक्षा थोथी शिक्षा है। शिक्षा सभ्यता की जननी है। जिस कुटुम्ब में स्त्रियां शिक्षित न हों उस कुटुम्ब में न सभ्यता की तरक्की हो सकती है और न ही अशिक्षित स्त्रियों के लड़के—लड़की अच्छी शिक्षा पा सकते हैं। शिक्षा के माने केवल अक्षरज्ञान ही नहीं बल्कि खास माने आत्म-विश्वास और कर्तव्य-ज्ञान है। इस समय इस पर विशेष न कह कर आगे शिक्षा का मद आयेगा, उस समय डिटेल्स में ये बातें रखूंगा।

चिकित्सा के सम्बन्ध में भी यही हाल है। चिकित्सा के सम्बन्ध में मैं समझता हूं, इसलिए नहीं कि मैं स्वयं एक चिकित्सक हूं, चिकित्सा को मैं संसार में सब से पवित्र काम समझता हूं। दुःख के समय लोगों को सुख पहुँच सके इससे पवित्र काम संसार में और क्या हो सकता है ?

फीस वाली बात को मैं बहुत भद्दी बात समझता हूं। हिन्दुस्तान में हम रोज़गारी आदमी हैं, रोज़ कमाते हैं और रोज़ खाते हैं। कुटम्ब का एक आदमी जो सब को कमा कर खिलाता है, वह बीमार पड़ गया तो एक तरफ़ तो आमदनी बन्द हो गई और दूसरी ओर खर्चा बढ़ गया, रोजमर्रा का खाना-पीना है और डाक्टर की फ़ीस का मौका पड़ा, यह इतना आवश्यक काम है कि अपने घर-बार को बेच कर शरीर की रक्षा के लिये ज्यों-त्यों कर के पैसा देना पड़ता है। मैं सरकार से निवेदन करूंगा, मैं यह नहीं कहता कि डाक्टरों को नुकसान पहुंचाएं, चाहे इनकी वेतन में वृद्धि करनी पड़े पर उनको कुछ घंटे ऐसे लोगों में खर्च करने चाहिये जो फ़ीस नहीं दे सकते हैं, गरीब हैं। यह काफ़ी नहीं है कि गरीब आदमी अस्पताल में जाकर इलाज करायें और अमीर आदमी फीस देकर डाक्टर को घर बुला कर इलाज करायें। आवड़ी सेशन का मन्तव्य यह नहीं है। उसका मन्तव्य यह है कि सरकार की ओर से जो भी प्रबन्ध हो, वह गरीब और अमीर दोनों को बराबर मिलना चाहिए। इसलिए फीस के मसले को हल करना चाहिए।

मनुष्य-जीवन का सबसे बड़ा सिद्धान्त यह है कि दूसरे दुःखियों का दुख मिटाया जाये। श्री कृष्ण, राम और जितने भी दूसरे अवतार हुए हैं, उन्होंने यही कहा है कि जब दुःख बढ़ जाता है, दुष्ट आगे बढ़ जाते हैं, सज्जन पीछे हट जाते हैं, तब मैं आकर दुष्टों का निवारण कर दुखियों का दुःख दूर करता हूं। यह आदर्श बताता हैं कि मनुष्य-जीवन का कार्य यह है कि लोगों की दुःख से दूर करने की कोशिश करे और इस दृष्टिकोण को निगाह में रखा जाय तो डाक्टर का कार्य सबसे बड़ा है, जो दुःख के समय लोगों के पास जाता है और उनके दुःखों क दूर करता है।

मैं यह बात निवेदन करना चाहूंगा कि इसके अन्दर जितने भी लोग हैं, वे सब सेट हैं।

[ डॉ० श्री मङ्गलसिंह ]

उनके पास पैसे की बात है, उसको किस तरह से हल करनी चाहिये, यह डिटेल की बात है। अगर सलाह मशविरा लिया जावेगा तो बात की जावेगी। मैं इतना और कहूं कि जो सरकारी हॉस्पिटल्स हैं वहां का प्रबन्ध ऐसा अच्छा नहीं है जो आदरणीय और गवर्नमेंट की शान के मुकाबले में अच्छा जान पड़े। आप हॉस्पिटलों में जावेंगे तो देखेंगे कि बड़े-बड़े डाक्टर बैठे हैं। नुस्खा लिख देते हैं और हमारे यहां कोई ऐसा बड़ा हॉस्पिटल नहीं है जिसके दरवाजे पर दो-चार दवाइयों की दुकानें नहीं हों। इसके अलावा जो रुपया डाक्टरों की तनख्वाह पर खर्च किया जाता है, वह दवाइयों के लिहाज से बहुत ज़्यादा है। दवाइयों की जो कीमत मञ्जूर होती है वह नगण्य होती हैं, हॉस्पिटल के दूसरे खर्चों के मुकाबले में। अतः मैं सरकार से प्रार्थना करूंगा कि आपके यहां एक दस हजार के खर्चे का बड़ा अधिकारी मौजूद है मगर बीस रुपये की दवाई के लिये गरीब आदमी को हॉस्पिटल से वापिस निराश लौटना पड़ता है। डाक्टरी एडवाइज़ उस व्यक्ति को कोई फायदा नहीं पहुंचा सकती। वास्तव में देखा जाए तो दवाइयों की कोई शिकायत नहीं होनी चाहिये। डाक्टर अगर नहीं हो तो दूसरा डाक्टर उसकी जगह काम कर सकता है या कम्पाउन्डर उसकी जगह काम कर सकता है और अगर दवाइयां नहीं हैं तो डाक्टर को रखना और उसका रहना या छोटे डाक्टर या कम्पाउन्डर को रखना बेकार हो जाता है। मैंने बीसियों हॉस्पिटल्स देखें हैं, औषधालय भी देखे हैं, लेकिन कोई ऐसा स्थान मुझे नहीं मिला, जिसने यह शिकायत नहीं की हो कि औषधियों की कमी है। मैं इस सम्बन्ध में ज्यादा न कह कर सदन का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता क्योंकि मुझे बहुत सी बातें कहनी है और मैं कहूंगा। माननीय अध्यक्ष, मेरा कितना समय बाकी है ?

**श्री अध्यक्ष**—अब आप ही बोलेंगे, चाहे जितना समय ले लें।

**डॉ० श्री मंगलसिंह**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) मैं ज्यादा समय नहीं लूंगा और जल्दी ही समाप्त कर रहा हूं। मेरे एक मित्र ने कहा कि स्पोर्ट्स के बारे में बोलना चाहिये। मेरी मान्यता यह है कि मेरी सारी ज़िन्दगी ऐसी जगह निकली है जहां स्पोर्ट्स ही स्पोर्ट्स हैं। मेरी यह मान्यता है कि जिस देश के अन्दर जैसे स्पोर्ट्स होते हैं, वैसा ही वहां का एडमिनिस्ट्रेशन होता है। जिन जिन देशों की जिन जिन प्रकार के स्पोर्ट्स में दिलचस्पी है उनके देशों का एडमिनिस्ट्रेशन दूसरे देशों के मुकाबले में अच्छा है। स्पोर्ट्स और गेम्स में यही एक फायदा नहीं है कि जिस्म अच्छा होता है, यह तो उसका बाई प्रोडक्ट है। असली चीज़ डिसिप्लिन बनाये रखना है; जो हमको यह सिखाता है कि हर कष्ट को और अन्याय को किस बहादुरी से बर्दाश्त करना और दुनियां में किस बहादुरी से काम करना चाहिए।

**एक सदस्य**—( अश्रव्य ) आपके यहां टी-पार्टी होती है।

**डॉ० श्री मंगलसिंह**—दुनियां में ऐसा ही होता है।

आप देखिये, हॉकी के खेल को। हॉकी का एक खिलाड़ी फॉर्वर्ड बॉल को लेकर जाता है और वह उस सर्कल तक पहुंच जाता है जहां उसको इस बात की श्योरिटी होती है कि एक हिट में गोल होगा। उसी वक्त रेफ़री विशल बजा देता है। वह उसी वक्त पीछे हट जाता है। वह उस रेफ़री से

[ डॉ० श्री मङ्गलसिंह ]

लड़ता नहीं कि यह क्यों किया गया; मैं गोल करने वाला था ? लेकिन फिर उसी स्प्रिट से खेलना शुरू कर देता है।

क्रिकेट में देखिये आप देखेंगे कि चार-छः घण्टे तक धूप में खड़ा रहना पड़ता है, खिलाड़ी तैयार होकर खेल के मैदान में आता है। आते ही वह पहले ही आउट हो जाता है। वह हंसता हुआ चला आता है और आगे की इनिंग का ध्यान रखता है। यह चीज़ हमको बताती है और सिखाती है कि जब मनुष्य संघर्ष में खड़ा हो और कोई जूनियर उससे सिनियर बना दिया जावे अथवा कोई अन्याय करके आगे बढ़ जावे या धोखा देकर या चालाकी से आगे चला जावे तो उससे उसको घबराना नहीं चाहिये। वह उसी प्रकार अपना काम करता रहे जिस प्रकार विशल होने पर हॉकी का खिलाड़ी बॉल छोड़कर फिर से अपना काम शुरू कर देता है। इस प्रकार की ट्रेनिंग स्पोर्ट्स में दी जाती है। यही महत्व स्पोर्ट्स का है।

अब मैं जल-बोर्ड के सिलसिले में जो बातें कही गई हैं, उनके बारे में दो शब्द कहना चाहता हूं और समय के पहले ही सचेत कर दूं। यह कहा जाता है कि जल-बोर्ड को धनपतियों के हाथ सौंप दिया गया है। इसके लिये यह बात कही गई है कि ये लोग बड़े फिलेनथ्रोपिस्ट हैं; गरीबों की सेवा करते हैं अगर ऐसे शुभचिन्तक लोगों के हाथ में दे दिया जावे तो क्या एतराज़ है; ये भी ग्रामों में शहरों को छोड़कर जल की सेवा करने वाले हैं; ये लोग जल-सेवा सैकड़ों प्याऊ लगाकर करते हैं; उनको शामिल कर दिया जावे तो क्या हर्ज होगा ? होना ही चाहिये लेकिन यह जो व्यापारी हैं, हमारे पुराने ग्रन्थों में लिखा हुआ है कि जो लोग व्यापार करें और उससे जो आमदनी मिले, मालूम नहीं किस जरिये से कैसा पैसा चला आवे और उसमें कोई दोष आ गया हो, इसलिये यह लिखा है कि १/१६ हिस्सा उसमें से दान करना चाहिये। कहीं कहीं १/१० हिस्सा दान करने का भी लिखा है। वे लोग जो पुण्य करते हैं वह तो १/१६ या १/१० में से अपनी आमदनी के दोष को मिटाने के लिए करते हैं। अगर सारे के सारे रुपयों को घर में रखें तो उनके बच्चे नहीं हों अथवा और कोई बात पैदा हो जाए ( हंसी )। ऐसे जो फिलेन्-थ्रोपिस्ट हैं उनके हाथ में हम अपना जल-बोर्ड दे दें और जो लोग चुने हुए हैं उन पर कोई विश्वास नहीं करते, क्योंकि वे सेवा करना क्या जानें ? सरकारी कर्मचारी पर भी इतना भरोसा नहीं करना, क्योंकि वे जन-सेवक नहीं हैं ! तो मैं बड़े अदब से निवेदन करना चाहता हूं कि अगर सरकार खुद प्रबन्ध करती है, उसके मुकाबले में वे लोग ज़्यादा अच्छा और आसानी से इन्तज़ाम करेंगे, ऐसा समझती है तो यह उसकी भूल है। अगर वह यह समझे कि सरकार से ज़्यादा अच्छी जन-सेवा वे लोग करेंगे तो मैं यह कहूंगा कि सरकार को इस्तीफा दे देना चाहिये। सरकार को चलाने में बहुत खर्चा होता है, यह हमें मालूम है। वे यह कहेंगे कि हमको ठेका दे दो, हम सरकार चला लेंगे यह काम भी उनको दे दीजिये। मैं तो यह समझता हूं कि यह आत्म-विश्वास की कमी है। सरकार को ऐसा मन्जूर करने के बनिस्बत सरकार छोड़ना अच्छा है। कर्मचारियों और अपने सदन के सदस्यों या चुने हुए प्रतिनिधियों को ऐसे काम न सौंप कर धनिकों को सौंपा जावे, क्योंकि वे बड़े धनिक हैं, अच्छा नहीं है। वे अपना धन तो हमको नहीं दे देंगे। अगर वे धन हमको दे देंगे तो वे धनिक नहीं होंगे। वे दस-पन्द्रह सालों से विदेशों में रहते हैं, यहां की हालत को वे क्या जानें ? हमें आवड़ी सेशन में हुए निर्णयों के मुताबिक काम करना चाहिये और सरकारी कर्मचारियों के हाथ

[ डॉ० श्री मङ्गलसिंह ]

में और ज़िम्मेदार व्यक्तियों के हाथ में हमें काम देना चाहिये और ज़िम्मेदारी के काम को सरकार को दूसरों के लिये छोड़ना, मैं तो यह कहूंगा कि यह नपुंसकता है।

( "हिअर, हिअर" की आवाज़ )

यह गवर्नमेंट का काम नहीं है कि वह ज़िम्मेदारी से बचे और ज़िम्मेदारी से बचना गवर्नमेंट को शोभा नहीं देता और यह एक उज्वल उदाहरण है।

**श्री गोपीलाल यादव**—Is this word Parliamentary ?

**डॉ० श्री मंगलसिंह**—( अपना भाषण जारी रखते हुए ) श्री कृष्ण ने अर्जुन को कर्त्तव्य-च्युत होने पर यही शब्द कह कर उसको कर्त्तव्यारूढ़ किया था; खेद है बृज के निवासी होते हुए भी कृष्ण के इस शब्द को अनपार्लियामेंटरी बताते हैं !

मैं आशा करता हूं कि इस बात पर विचार किया जायगा और शीघ्र से शीघ्र इस प्रान्त के हित में यह कार्य किया जायगा।

( विपक्ष द्वारा करतल-ध्वनि )

**श्री अध्यक्ष**—घीसीसिंहजी कुछ कह रहे थे।

**श्री घीसीसिंह**—अध्यक्ष महोदय, मैं आपके ज़रिये यह पूछना चाहता हूं, डाक्टर साहब से, कि डिसिप्लिन की बात कर रहे हैं तो क्या आप डिसिप्लिन में हैं या बाहर ?

**श्री हरिकृष्ण व्यास**—यह आप पार्टी मीटिंग में पूछें, अध्यक्ष का काम नहीं।

**डॉ० श्री मंगलसिंह**—अगर आप बाहर से देख रहे थे तो मैं अन्दर था और यदि आप अन्दर होते तो आप यह सवाल ही नहीं करते।

**श्री घीसीसिंह**—मैं अन्दर था।

**श्री अध्यक्ष**—Order please !

सदन की कार्यवाही कल ८॥ बजे तक के लिए स्थगित की जाती है।

( सदन की कार्यवाही कल दिनांक १८–३–५५ के ८–३० बजे प्रातः तक के लिए, १२–३३ मध्यान्होत्तर पर स्थगित हुई। )

विधान सभा भवन,
जयपुर,
दिनांक १७ मार्च, १९५५.

मनसाराम पुरोहित
सचिव,
राजस्थान विधान सभा।

# Page No.76



## परिशिष्ट

( तारांकित प्रश्नोत्तर जो कि सम्बन्धित सदस्य की अनुपस्थिति के कारण सदन की मेज़ पर रखे गये तथा जिनके प्रकाशन की सम्बन्धित मन्त्री महोदय की अनुमति है )

### प्रश्न संख्या ६२

श्री सज्जनसिंह, एम. एल. ए., डिविज़न नम्बर १३२—क्या मन्त्री, कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स तथा प्लानिंग विभाग यह बताने की कृपा करेंगे कि:—

(१) राजस्थान को अब तक कितने (अ) कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स तथा (ब) नेशनल एक्स्टेन्शन ब्लॉक्स प्राप्त हो चुके हैं ?

(२) इनकी जिलावार संख्या क्या है ?

(३) क्या राजस्थान को इस वर्ष भी कोई कम्यूनिटी प्रोजेक्ट्स व नेशनल एक्स्टेन्शन ब्लॉक्स प्राप्त हुए हैं ?

(४) यदि हां, तो दोनों की संख्या क्या है तथा वे किन किन जिलों को वितरित किये गये हैं ?

### उत्तर

१. राजस्थान को अब तक कुल ३६ विकास खण्ड मिले हैं, जिनमें से ९ सामुदायिक विकास खण्ड हैं और शेष २७ राष्ट्रीय विस्तार सेवा-क्षेत्र ।

२. इन विकास खण्डों का जिलावार बंटवारा निम्न प्रकार से है !

| जिला | सामुदायिक विकास खण्ड | राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र | कुल संख्या |
|---|---|---|---|
| अलवर | १ ( किशनगढ़बास ) | १ ( गोविन्दगढ़ ) | २ |
| भरतपुर | १ ( नगर-पहाड़ी ) | १ ( बसेरी ) | २ |
| जयपुर | — | ३ ( बस्सी, कनकपुरा, जोबनेर ) | ३ |
| सवाई माधोपुर | १ ( हिन्डौन ) | ४ ( करोली, महुवा, टोडाभीम, सवाई माधोपुर ) | ५ |
| टोंक | — | १ ( मालपुरा ) | १ |
| बाडमेर | — | १ (सिवाना समदड़ी ) | १ |
| जैसलमेर | — | १ ( सांकड़ा ) | १ |
| जालोर | — | १ ( जालोर गुढ़ा बालोतान ) | १ |
| जोधपुर | — | १ ( बिलाड़ा ) | १ |
| नागोर | १ ( डीडवाना ) | — | १ |
| पाली | १ ( सुमेरपुर) | २ ( बाली, देसूरी ) | ३ |

| | | | |
|---|---|---|---|
| सिरोही | — | १ ( पिंडवारा-भँवारी ) | १ |
| बांसवाड़ा | — | १ ( गढ़ी ) | १ |
| डूंगरपुर | १ ( डूंगरपुर ) | २ ( सागवाड़ा, सिमलवाड़ा ) | ३ |
| उदयपुर | १ ( राजसमन्द ) | ३ ( कुम्भलगढ़, आमेट, गिरवा ) | ४ |
| कोटा | १ ( बारां ) | ३ ( अन्ता, शाहबाद, लाडपुरा ) | ४ |
| गंगानगर | १ ( रायसिंह नगर ) | १ ( करनपुर ) | २ |
| | ९ | २७ | ३६ |

३. हां, १९५४-५५ में १५ राष्ट्रीय विस्तार सेवा-क्षेत्र प्राप्त हुए हैं।

४. इन १५ राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्रों का जिलावार विवरण निम्न प्रकार है—

| जिला | संख्या राष्ट्रीय विस्तार सेवा क्षेत्र |
|---|---|
| अलवर | १ |
| भरतपुर | १ |
| जयपुर | १ |
| सवाई माधोपुर | २ |
| टोंक | १ |
| जोधपुर | १ |
| बाड़मेर | १ |
| जालोर | १ |
| जैसलमेर | १ |
| सिरोही | १ |
| उदयपुर | १ |
| बांसवाड़ा | १ |
| गंगानगर | १ |
| | १५ |